जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

जयपुर, शनिवार 20 सितम्बर, 2025

विचार बिन्दु

जो काम घड़ों जल से नहीं होता उसे दवा के दो घूँट कर देते हैं और जो काम तलवार से नहीं होता वह काँटा कर देता है। –सुदर्शन

जल संरक्षण में स्मार्ट तकनीकें और नवाचार: स्थायी भविष्य की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम

जल संरक्षण आज की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों में से एक है। जल केवल जीवन का आधार नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन का भी मुख्य स्तंभ है। किंतु तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और पारंपरिक स्त्रोतों के अंधाधुंध उपयोग व प्रदूषण के कारण जल संकट गहराता जा रहा है। एक ओर कुछ क्षेत्रों में पानी की गंभीर कमी है, वहीं दूसरी ओर संसाधनों का असमान वितरण समस्या को और जटिल बना रहा है। ऐसे में इस संकट से निपटने के लिए केवल पारंपरिक उपायों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। आधुनिक समय में तकनीकी नवाचार और स्मार्ट तकनीकों का संयोजन ही जल संरक्षण की सबसे प्रभावी रणनीति बनकर उभर रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों में जल संरक्षण की आवश्यकता और भी अधिक गंभीर है। देश की कृषि व्यवस्था आज भी जल पर ही आधारित है, जबकि औद्योगिक और शहरी विकास भी जल की खपत लगातार बढ़ा रहे हैं।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले वर्षों में भारत के कई शहर 'डे-ज़ीरो' की स्थिति तक पहुँच सकते हैं, यानी वह दिन जब नलों से पानी आना बंद हो जाएगा। यह चेतावनी इस बात की ओर इशारा करती है कि यदि जल उपयोग को वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया, तो आगामी पीढ़ियाँ गंभीर जल संकट का सामना करेंगी। तकनीकी नवाचारों ने मानव जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन किया है और जल प्रबंधन भी इससे अछूता नहीं है। नई तकनीकें जल उपयोग और आपूर्ति दोनों को वैज्ञानिक ढंग से नियंत्रित करने की क्षमता रखती हैं। इनमें स्मार्ट वाटर मीटर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट सिंचाई प्रणालियाँ, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी तकनीकें प्रमुख हैं। जल संरक्षण के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव स्मार्ट वाटर मीटर के रूप में देखा जा रहा है। यह उपकरण रीयल-टाइम डेटा प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता अपनी जल खपत पर नज़र रख सकते हैं। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और आवश्यकता से अधिक खपत पर तुरंत नियंत्रण संभव हो पाता है। इसी प्रकार IoT आधारित सेंसर पानी की पाइपलाइनों और टैंकों में रिसाव का पता लगाते हैं। यदि कहीं लीकेज या ओवरफ्लो जैसी स्थिति होती है, तो ये सेंसर तुरंत संदेश भेजकर चेतावनी देते हैं। इस प्रकार बड़ी मात्रा में पानी की हानि को समय रहते रोका जा सकता है।

भारत की कृषि व्यवस्था जल संरक्षण की दिशा में तकनीकी नवाचारों का सबसे बड़ा केंद्र बन सकती है। स्मार्ट सिंचाई प्रणालियों का प्रयोग इसका स्पष्ट उदाहरण है। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम पौधों की जड़ों तक आवश्यक मात्रा में पानी पहुँचाते हैं। अब तो ये प्रणालियाँ मिट्टी की नमी, तापमान और मौसम की स्थिति जैसे आँकड़ों के आधार पर स्वतः सिंचाई करती हैं। इससे न केवल जल की भारी मात्रा में बचत होती है, बल्कि फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर सकारात्मक असर पड़ता है। किसान ऊर्जा और श्रम की लागत बचाकर अधिक उत्पादन व आय अर्जित कर सकते हैं। यह तकनीक 'कम पानी, अधिक उत्पादन' की अवधारणा को साकार करती है। वर्षा जल संचयन की संस्कृति भारत में प्राचीन समय से रही है, लेकिन आधुनिक तकनीक ने इसे और प्रभावी बना दिया है। आज स्मार्ट रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उपलब्ध हैं, जो छत पर गिरे वर्षा जल को स्वतः फ़िल्टर करके टैंकों में संग्रहित करते हैं। इस पानी का उपयोग घरेलू कार्यों, बागवानी और यहाँ तक कि पीने योग्य स्तर पर शुद्ध करके किया जा सकता है। पुनर्चक्रण तकनीक भी जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है। घरेलू और औद्योगिक स्तर पर प्रयुक्त जल को उन्नत वैज्ञानिक तरीकों से शुद्ध कर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। इससे न केवल ताजा पानी की आवश्यकता घटती है, बल्कि नदियों और भूमिगत जल पर दबाव भी कम होता है।

> **वर्षा जल संचयन की संस्कृति भारत में प्राचीन समय से रही है, लेकिन आधुनिक तकनीक ने इसे और प्रभावी बना दिया है। आज स्मार्ट रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उपलब्ध हैं, जो छत पर गिरे वर्षा जल को स्वतः फ़िल्टर करके टैंकों में संग्रहित करते हैं। इस पानी का उपयोग घरेलू कार्यों, बागवानी और यहाँ तक कि पीने योग्य स्तर पर शुद्ध करके किया जा सकता है। पुनर्चक्रण तकनीक भी जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गई है।**

जल संरक्षण में एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स की भूमिका बढ़ रही है। बड़ी मात्रा में एकत्रित जल उपयोग डेटा का विश्लेषण करके भविष्य में होने वाली मांग का अनुमान लगाया जा सकता है। इससे प्रशासन और नगर निकाय जल वितरण की बेहतर योजनाएँ बना सकते हैं। एआई आधारित तकनीकें रिसाव का पता लगाने, बर्बादी रोकने, और अलग-अलग क्षेत्रों में जल खपत की तुलना करके नीतिगत निर्णय लेने में सहायक हैं। भविष्य में इन तकनीकों का विकास जल संकट से निपटने में निर्णायक साबित होगा। शहरों में जल संकट सबसे गंभीर रूप धारण करता है। यहाँ स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणालियों का प्रयोग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सेंसर और क्लाउड बेस्ड प्लेटफार्म के ज़रिए जल वितरण और खपत का रीयल-टाइम नियंत्रण किया जाता है। भारत के कई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में इन तकनीकों का उपयोग करके जल खपत को नियंत्रित करने और रिसाव से होने वाली हानि को घटाने में सफलता भी मिली है। इससे शहरी जीवन स्तर सुधरता है और जल संकट का दबाव कम होता है।

जल संरक्षण के तकनीकी उपाय केवल पर्यावरणीय लाभ ही नहीं देते, बल्कि ये आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी हैं। घरेलू स्तर पर स्मार्ट मीटर और वर्षा जल संचयन से पानी का बिल घटता है। खेती में स्मार्ट सिंचाई से उत्पादन बढ़ता है और लागत घटती है। उद्योगों में जल पुनर्चक्रण से न केवल जल संरक्षण होता है, बल्कि लागत भी कम होती है। सामाजिक दृष्टि से ये तकनीकें जल-संकट से जुड़े झगड़े और संकटों को कम करती हैं। जिन क्षेत्रों में जल की कमी है, वहाँ स्मार्ट समाधान से जल उपलब्धता एक समान और न्यायपूर्ण ढंग से सुनिश्चित होती है। तकनीकी समाधान तभी सफल हो सकते हैं, जब लोग उनमें सक्रिय रूप से भाग लें। जल संरक्षण के प्रति जागरूकता अभियान चलाना और नागरिकों को स्मार्ट तकनीकों के फायदे समझाना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। यह मानना गलत होगा कि केवल सरकारी परियोजनाएँ ही जल संकट से निपट सकती हैं। हर नागरिक को अपनी जल खपत को नियंत्रित करने और नई तकनीकों को अपनाने की ज़िम्मेदारी उठानी होगी।

जल संरक्षण केवल नैतिक दायित्व नहीं, बल्कि यह हमारे अस्तित्व की मूलभूत आवश्यकता है। आधुनिक तकनीकों और नवाचारों ने इस क्षेत्र में नए अवसर पैदा किए हैं। स्मार्ट वाटर मीटर, IoT, एआई, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी तकनीकें यह साबित कर चुकी हैं कि वैज्ञानिक साधनों से जल संकट पर काबू पाया जा सकता है। भारत सहित पूरे विश्व के लिए यह एक प्रेरणादायक दिशा है कि तकनीक और परंपरा का संयोजन करके जल संरक्षण को स्थायी और दीर्घकालिक बनाया जा सकता है। यदि समय रहते इन समाधानों को बड़े पैमाने पर अपनाया गया, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध कराना संभव होगा। अंततः जल संरक्षण केवल सरकारों की योजनाओं का विषय नहीं है, यह समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। वैज्ञानिक नवाचारों की मदद से जल संसाधनों का जिम्मेदाराना, कुशल और सतत उपयोग ही हमें एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की ओर ले जा सकता है।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉर्पोरेट सलाहकार

समाजवाद के प्रणेता अहिंसावादी प्रथम वैश्य सम्राट महाराजा अग्रसेन

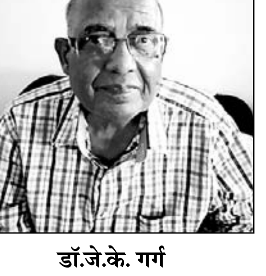

डॉ.जे.के. गर्ग

निर्विवाद रूप से किसी भी राष्ट्र या समाज एवं परिवार को उन्नत विकसित और कल्याणकारी बनाने के लिये उसके आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक स्तम्भों का मजबूत होना अति आवश्यक है । इन चारों स्तंभों को दृढ़ करके ही राष्ट्र को प्रगतिशील एवं विकसित देश बनाया जा सकता है। लगभग 5146 वर्ष पूर्व महाराजा अग्रसेनजी इन्हीं चार स्तंभों को मजबूत कर समद्धर्शाली, कल्याणकारी समाजवादी एवं शक्तिशाली राज्य का निर्माण करने में सफल हुए थे । अठासेन एक पौराणिक कर्मयोगी लोकनायक होने के साथ साथ अहिंसा और समाजवाद के प्रणेता तपस्वी धर्म परायण दानवीर युग पुरुष थे जिनका जन्म द्वापर युग के अंत व कलयुग के प्रारंभ में लगभग 514,6 वर्ष पूर्व अश्विनशुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रताप नगर के सूर्यवंशी राजा वल्लभसेन के यहाँ हुआ था उनकी माताजी का नाम भगवतीदेवी था। प्रतापनगर राजस्थान एवं हरियाणा राज्य के बीच सरस्वती नदी के किनारे स्थित हुआ करता था ।

ऐसा भी कहा जाता है की महाराजा अग्रसेन भगवान श्रीराम के पुत्र कुश की 34वीं पीढ़ी के थे । इस मान्यता के मुताबिक अग्रवंशी भगवान राम के वंशस होते है । कहा जाता है कि महाभारत के दसवें दिन राजा वल्लभसेन वीर गति को प्राप्त हो गये थे । पन्द्रह वर्ष की अल्प आयु मे ही अग्रसेनजी ने महाभारत के धर्मयुद्ध में पांडवो की तरफ से भाग लिया था। भगवान श्रीकृष्ण भी उनकी बुद्धिमता, शोर्य, पराक्रम, समझबुझ से अत्यंत प्रभावित हुए थे और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि युवा अग्रसेन भविष्य में एक पराक्रमी सम्राट एवं युग पुरुष होंगे ।

विवाह-- युवा अग्रसेन ने सर्पों के राजा नागराज की बेटी राजकुमारी माधवी के स्वयंवर में अनेकों राजाओं, राजकुमारों और स्वर्ग के सम्राट इंद्रदेव के साथ भाग लिया था । इंद्र देवता राजकुमारी माधवी की सुंदरता पर मोहित थे इसीलिए एन केन प्रकारेण राजकुमारी माधवी से विवाह करना चाहते थे। स्वयंवर में राजकुमारी माधवी ने राजकुमार अग्रसेन का चयन कर उनका वरण किया । अग्रसेन माधवी के विवाह से दो विभिन्न संस्कृतियों एवं परिवारों का मिलन हुआ क्योंकि राजकुमार अग्रसेन जहाँ एक सूर्यवंशी थे वहीं राजकुमारी माधवी एक नागवंशी थी। राजकुमारी माधवी का विवाह अग्रसेन जी के साथ हो जाने से इंद्रदेव ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और वे ईर्ष्या ग्रस्त होकर बहुत क्रोधित हुए और इन्द्र ने प्रताप नगर के निर्दोष स्त्री-पुरुषों, बालक-बालिकाओं को प्रताड़ित करने हेतु प्रताप नगर पर कई वर्षों तक बारिश नहीं होने दी जिससे प्रताप नगर में भयानक अकाल पड गया । सम्राट अग्रसेन ने अपनी प्रजा एवं प्रताप नगर की सुरक्षा और राजधर्म के पालनार्थ इंद्र के खिलाफ धर्मयुद्ध प्रारम्भ कर दिया । युद्ध में इंद्र की पराजय हुई । पराजित इंद्र ने नारदमुनि से अनुनय-विनय कर उनकी सम्राट अग्रसेन से सुलह कराने का निवेदन किया । नारद मुनि ने दोनो के बीच में मध्यस्थता करके सुलह करवा दी ।

भगवान शिव और माता लक्ष्मी की आराधना

यहाँ यह स्मरण रखने वाली बात है कि महाभारत के युद्ध के कारण जन धन की बहुत तबाही हुई थी इसलिए अपने राज्य की खुशहाली के वास्ते महाराजा अग्रसेन ने काशी जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की जिससे खुश हो कर भगवान शिवजी ने उन्हें दर्शन दिया और उनको आदेश दिया कि वे महालक्ष्मी जी की पूजा और ध्यान करे । अग्रसेन ने महालक्ष्मी की पूजा आराधना शुरू कर दी। माँ लक्ष्मी ने उनकी परोपकार हेतु की गई तपस्या से खुश होकर उन्हें दर्शन दिए और आदेश दिया कि वे अपना एक नया राज्य बनायें और क्षत्रिय परम्परा के स्थान पर वैश्य परम्परा अपना लें। माता लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके और उनके अनुयायियों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी, वे सभी सदैव सुख-सुविधा युक्त जीवन व्यापन करगें। लक्ष्मी माता का आदेश मान कर अग्रसेन महाराज ने क्षित्रय कुल को त्याग वैश्य धर्म को अपना लिया, इस प्रकार महाराजा अग्रसेन प्रथम वैश्य सम्राट बने ।

अग्रोहा शहर का जन्म– देवी महालक्ष्मी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद राजा अग्रसेन ने नए राज्य की स्थापना एवं उस राज्य की राजधानी के चयन हेतु रानी माधवी के साथ भारत का भ्रमण किया, अपनी यात्रा के दौरान वे एक जगह रुके जहाँ उन्होंने देखा कि कुछ शेर और भेड़िये के बच्चे साथ खेल रहे थे । राजा अग्रसेन ने रानी माधवी से कहा के ये बहुत ही शुभ दैवीय संकेत है है जो हमें इस पुण्य भूमि पर हमारे राज्य की राजधानी को स्थापित करने का इशारा कर रहा है। ऋषि मुनियों और ज्योतिषियों की सलाह पर नये राज्य का नाम अग्रोयगण रखा गया जिसे कालान्तर में यह स्थान अग्रोहा नाम से जाना गया। अग्रोहा हरियाणा में हिसार के पास हैं। आज भी यह स्थान अग्रवाल समाज के लिए तीर्थ स्थान के समान है। यहां भगवान अग्रसेन, माता माधवी और कुलदेवी माँ लक्ष्मी जी के भव्य और दर्शनीय मंदिर है ।

समाजवाद के प्रेरणता– महाराजा अग्रसेन जी के राज्य में यह परंपरा थी कि जो भी व्यक्ति या परिवार उनके राज्य में आकर बसता था, अग्रोहा के सभी निवासी नवागंतुक नागरिक को सम्मान और स्वागत के रूप में एक रुपया और एक ईंट भेंट करते थे। कहा जाता है कि उस समय अग्रोहा में लगभग एक लाख से अधिक परिवार बसते थे। इस प्रकार उनके राज्य में आने वाला हर नागरिक एक लाख रुपये तथा एक लाख ईंटों का स्वामी बन जाता था। इन रुपयों से वह अपना व्यवसाय प्रारम्भ कर लेता था वहीं ईंटों से अपना खुद का मकान बना लेता था। यही परंपरा समाजवाद की ही मिसाल है निसंदेह अग्रसेन जी ने विश्व में सबसे पहले समाजवादी राष्ट्र की स्थापना की थी।

पशु बलि बंद करने वाले प्रथम सम्राट कुलदेवी माता लक्ष्मी की कृपा से भगवान अग्रसेन के 18 पुत्र हुये। राजकुमार विभु उनमें सबसे बड़े थे। महर्षि गर्ग ने भगवान अग्रसेन के 18 पुत्र के साथ 18 यज्ञ करने का संकल्प करवाया। उन दिनो यज्ञों में पशुबलि दी जाती थी। जिस समय 18वें यज्ञ में जीवित पशुओं की बलि देने की तैयारी की जा रही थी उस वक्त एक घोडा बली के लिए लाया गया । महाराज अग्रसेन ने देखा कि घोड़े की निरीह आँखों से अविरल आंसू बह रहे थे और वो निरीह पशु यज्ञ की वेदी से दूर जाने और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था । इस दृश्य को देख कर महाराज अग्रसेन का दिल दया से भर गया और वे आहत भी हुए । उन्होंने सोचा कि ये कैसा यज्ञ है जिसमें हम मूक जानवरों की बलि चढ़ाते है ? महाराजा अग्रसेन ने पशु वध को बंद करने के लिये अपने मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया और अपने मंत्रिमंडल के विचारों के विपरीत जाकर उन्हें समझाया कि अहिंसा कभी भी कमजोरी नहीं होती है बल्कि अहिंसा तो एक दूसरे के प्रति प्रेम और अपनापन जगाती है। महाराजा अग्रसेन ने तुरंत प्रभाव से मुनादी करवा दी की उनके राज्य मे कभी भी कोई हिंसा और जानवरों की हत्या नहीं होगी । अग्रसेन जी अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाले प्रथम महाराजा बन अहिंसा का संदेश उन्होंने भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के अहिंसा के संदेश से 2500 साल पहले दे दिया था ।

शासन व्यवस्था– भगवान अग्रसेन ने एक तांत्रिक शासन प्रणाली के स्थान पर एक नयी प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था को जन्म दिया अग्रसेन जी ने वैदिक सनातन आर्य संस्कृति की मूल मान्यताओं को लागू कर राज्य के पुनर्गठन में कृषि व्यापार उद्योग, गौ पालन के विकास के साथ-साथ नैतिक मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा का बीड़ा उठाया। महाराजा अठासेन जी पहले शासक थे जिन्होंने सहकारिता के आदर्श को सामाजिक जीवन में प्रतिस्थापित किया। उन्होंने जीवन के सुख-सुविधाओं एवं भोग विलास आदि पर धन के अपव्यय के स्थान पर जीवन में सादगी, सरलता और मितव्ययिता बरतने पर जोर दिया। अग्रसेन के मतानुसार व्यक्ति को अपनी उपार्जित आय को चार भागों में बांट कर एक भाग का उपयोग परिवार के संचालन हेतु, दूसरे भाग का उपयोग उद्योग व्यवसाय या जीविका चलाने हेतु, तीसरे भाग का उपयोग सार्वजनिक कार्यों तथा चौथे भाग का उपयोग बचत कर राष्ट्र की समृद्धि में करना चाहिये।

अग्रवाल के 18 गोत्र एवं उनका नामकरण हममें से अधिकाक्षं लोगों की मान्यता है कि अग्रवालों के 18 या साढ़े सत्तराह गोत्रो के नाम उनके 18 पुत्रों के नाम से रक्खें गये है किन्तु वास्तविकता में गोत्रो के नाम 18 यज्ञ करवाने वाले ऋषियों के नाम से है । महर्षि गर्ग ने भगवान अग्रसेन को 18 पुत्र के साथ 18 यज्ञ करने का संकल्प करवाया। माना जाता है कि इन 18 यज्ञों को ऋषि मुनियों ने सम्पन्न करवाया और इन्हीं ऋषि-मुनियों के नाम पर ही अग्रवंश के गोत्रों का नामकरण हुआ । प्रथम यज्ञ के पुरोहित स्वयं गर्ग ऋृषि बने, उन्होंने राजकुमार विभु को दीक्षित कर उन्हें गर्ग गोत्र से मंत्रित किया। इस प्रकार अग्रवालों के 18 गोत्र हैं यथा– गर्ग, तायल, कुच्चल, गोयन, भंदेल, मंगल, मित्तल, बंसल, बिंदल, कंसल, नागल, सिंघल, गोयल, तिंगल, जिंदल, धारण, मधुकुल, एरेन । ऋृषियों द्वारा प्रदत्त अठारह गोत्रों को भगवान अग्रसेन के 18 पुत्रों के साथ भगवान द्वारा बसाई 18 बस्तियों के निवासियों ने भी धारण कर लिया एक बस्ती के साथ प्रेम भाव बनाये रखने के लिए एक सर्वसम्मत निर्णय हुआ कि अपने पुत्र और पुत्री का विवाह अपनी बस्ती में नहीं दूसरी बस्ती में करेंगे। आगे चलकर यह व्यवस्था गोत्रों में बदल गई जो आज भी में प्रचलित है। राज्य के उन्हीं 18 गणों से एक-एक प्रतिनिधि लेकर उन्होंने लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की, जिसका स्वरूप आज भी हमें भारतीय लोकतंत्र के रूप में दिखाई पडता है। महाराजा अग्रसेन ने परिश्रम से खेती, व्यापार एवं उद्योगों से धनोपार्जन के साथ-साथ उसका समान वितरण और आय से कम खर्च करने पर बल दिया। जहां एक ओर अग्रसेन जी ने वैश्य जाति को न्याय पूर्ण व्यवसाय का प्रतीक तराजू प्रदान किया वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी प्रजा को आत्मरक्षा के लिए शास्त्रों के उपयोग की शिक्षा भी प्रदान करवाई थी । कुलदेवी महालक्ष्मी से परामर्श पर वे आग्रेय गणराज्य का शासन अपने ज्येष्ठ पुत्र विभु के हाथों में सौंपकर तपस्या करने चले गए। वर्तमान में अग्रवंशियो की संख्या लगभग आठ करोड है ।

अग्रसेन जी के वंशज आज भी उन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर जनकल्याण के हितार्थ धर्मशाला, मंदिर, अनाथालय, अस्पताल पुस्तकालय, स्कूल एवं कालेज की स्थापना करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं । सच्चाई तो यही है कि महाराजा अग्रसेन ने अपने विशाल परिवार को हमेशा एकता के सूत्र मे बांध कर एकजुट रक्खा । इसलिए सम्राट अग्रसेनजी ने अपने आपको एक महान एवं सफल मेनेजमेंट गुरु के रूप में स्थापित किया। महाराजा अग्रसेन ओर माता माधवी ने अपने सभी 18 पुत्रों को श्रेष्ठतम संस्कार प्रदान किये थे । महाराजा अग्रसेन को समाजवाद का प्रवर्तक, अहिसां के पुजारी, सुयोग्य प्रशासक एवं आदर्श मेनेजमेंट गुरु के रूप में जाना जाता है आठ करोड़ से ज्यादा अग्रवालों के लिये उनके सिद्धांत हमेशा अनुकरणीय और प्रेरक बने रहेगें। याद करने योग्य बात यह भी है सम्राट अकबर के नवरत्नों में दो नवरत्न अग्रवाल थे। अठासेनजी के 5146वें जन्मदिवस पर कोटि-कोटि प्रणाम ।

–डा. जे. के. गर्ग,
पूर्व संयुक्त निदेशक कालेज शिक्षा जयपुर

विवाद से विश्वास तक, सेवा शिविर बना नई शुरुआत का मंच

70 साल पुराने भूमि विवाद का समाधान हुआ

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्यभर में संचालित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत जसवंतपुरा के लिए एक ऐतिहासिक पल लेकर आया। लगभग 70 वर्षों से चले आ रहं खातेदारी भूमि विवाद का समाधान यहाँ आपसी सहमति से हो गया।

सात दशकों से लंबित विवाद पर लगी समाधान की मुहर-

गाँव के डूंगरराम, त्रिलोकराम, पपली देवी, भूराराम, निंबाराम, मेघाराम और शोभाराम की कुल

जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत जसवंतपुरा में सात दशक के विवाद को शिविर में सुलझाया।

2.5161 हेक्टेयर भूमि वर्षों से विवादों में उलझी हुई थी। पीढ़ी-दर-पीढ़ी चल रहे इस मामले में बंटवारा संभव नहीं हो पा रहा था। सेवा पखवाडे के अंतर्गत आयोजित प्री-कैंप में राजस्व अधिकारियों ने सभी खातेदारों को सहमति विभाजन हेतु समझाइश की। परिणामस्वरूप ग्रामीण सेवा शिविर के दिन सभी परिवारों ने एकमत होकर समझौते पर सहमति दी और बंटवारा संपन्न हुआ।

शांति और सौहार्द का प्रतीक बना शिविर: विवाद के समाधान पर खातेदारों ने भावुक होते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राज्य सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल ज़मीन का बंटवारा नहीं, बल्कि शांति, राहत और नई उम्मीद की शुरुआत है।

70 वर्षों बाद लौटी मुस्कान: गाँव के बुजुर्गों के अनुसार यह फैसला सिर्फ़ भूमि विवाद का हल नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सौहार्द और विश्वास की नींव है। जसवंतपुरा का यह ग्रामीण सेवा शिविर सचमुच विवाद से विश्वास की अनूठी यात्रा का साक्षी बना।

–आकांक्षा/सोनू शर्मा

धूमधाम से भरा इच्छापूर्ण दाणा बाबा का मेला

ब्यावर (निसं) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर गांव कालिंजर में मगरा क्षेत्र के आराध्य देव श्री इच्छापूर्ण दाणा बाबा का मेला धूमधाम से भरा। मंदिर में दिनभर दर्शन करने को लेकर भक्तों का तांता लगा रहा। मेला की पूर्व संध्या पर रात्रि जागरण में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रितुल म्यूजिकल ग्रुप ब्यावर के बैनर तले प्रदेशभर से आए एक से बढ़कर एक ख्यातिप्राप्त कलाकारों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भौंर होने तक रोके रखा।

प्रसिद्ध भजन गायक धूलसिंह कडीवाल ने गणेश वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धूलसिंह ने लाज राख ज्यों इच्छापूर्ण दाणा बाबा..., ऊंचा मगरा पे बैठोड़ी कालिंजर धराणी..., घूमा दे रहे बजरंग बालाजी..., कालिंजर सूं आवे बाबा कोटडा दरबार... आदि भजनों पर भक्त थिरकते नजर आएं। चित्तौड़गढ़ से आई नृत्यांगना सोनू ने मांथे पर 101 कलश लेकर आकर्षक भवई नृत्य प्रस्तुत किया तो हनुमान, दुर्गा शक्ति, शिव तांडव की झांकियों ने दर्शकों का मन मोह लिया।

"रावता ने क्यूं ललकारे रे, थारा कने कांई है सामान..." इस गाने पर नृत्यांगना हंसा रंगीली और राखी रंगीली की आकर्षक नृत्य प्रस्तुति पर दर्शक दीर्घा में युवा नाचते-झूमते नजर आएं। हंसा और राखी की जोडी ने लोकगीतों पर जमकर ठुमके लगाए। हास्य कलाकार रमेश कुमावत ने दर्शकों को खूब हंसाया।"

युवाओं को जोश में होश संभालने की नसीहत"- एसपी रतनसिंहमेला संयोजक हरजीसिंह चौहान ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्यावर जिला पुलिस अधीक्षक रतनसिंह थे। एसपी रतनसिंह ने आयोजन को सराहनीय बताते हुए युवाओं को जोश में होश संभालने की नसीहत भी दी। विशिष्ट अतिथि जवाजा पंचायत समिति प्रधान गणपतसिंह रावत, जवाजा सरपंच संघ अध्यक्ष महिपालसिंह बामनहेड़ा, थानाधिकारी महादेव गुर्जर, भामाशाह पुखराज लखारा आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय सरपंच व प्रशासक ब्रजपालसिंह रावत ने की। इस मौके पर पूर्व सरपंच रमेश लाल, ओमप्रकाशसिंह राजश्री, युवराजसिंह पंवार, महेन्द्रसिंह गौड़, रूपसिंह गहलोत, बुधासिंह, श्रवणसिंह, हरिसिंह, जसवंतसिंह, सोनू गौड़, योगेन्द्रसिंह, राजेन्द्रसिंह, पुखराजसिंह, नरेन्द्रसिंह समेत मेला कमेटी कार्यकर्ता और जवाजा पुलिस थाना का जाब्ता के साथ-साथ बड़ी संख्या ब्यावर पुलिस लाइन से आरएसी के जवान और होमगार्ड भी तैनात रहे। मंच संचालन सरपंच ब्रजपालसिंह रावत व तरूण पंडित ने किया। कबड्डी में अंधेरी देवरी विजेता और उपविजेता रही बड़ासमेला में दूधिया रोशनी में डे-नाइट कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। मेला संयोजक हरजीसिंह चौहान ने बताया कि मेला में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के रोमांचक फाइनल मुकाबले में अंधेरी देवरी ने बडास को हराकर चैंपियनशिप जीती। इसमें विजेता टीम अंधेरी देवरी को ग्यारह हजार रुपए नकद राशि पुरस्कार स्वरूप देकर पुरस्कृत किया। इसी प्रकार उपविजेता रही बडास टीम को सात हजार सौ रुपए नकद राशि पुरस्कार स्वरूप देकर पुरस्कृत किया गया।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शनिवार 20 सितम्बर, 2025

आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, चतुरशी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, मघा नक्षत्र प्रातः 8:06 तक, साध्य योग रात्रि 8:07 तक, विष्टि करण दिन 11:57 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कन्या, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-तुला, बुध-कन्या, गुरू-मिथुन, शुक्र-सिंह, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज भद्रा दिन 11:57 तक रहेगी। आज चतुरदशी का श्राद्ध और विष शास्त्रादि से मृतकों का श्राद्ध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ 7:49 से 9:19 तक, चर 12:20 से 1:51 तक, लाभ-अमृत 1:51 से 4:52 तक।

राहूकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 6:18, सूर्यास्त 6:13

मेष
परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी और अनावश्यक धन खर्च होगा।

वृष
घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता यथावत बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में आज शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

कर्क
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। परिवार में वाद-विवाद हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। घर-परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज धार्मिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि हो सकती है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

तुला
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। आज स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखें।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी।

कुंभ
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा।

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

ARBiT

The Gun Gave Out At Wrong Times ...

Colonel George Sangster was employed to create an arsenal at Agra in 1790, he cast excellent cannon and made muskets as good as the European models for ten rupees each

Devil's Apple

Honeybee Venom Defeats Breast Cancer

ट्रंप के टैरिफ के "श्राप" को भारतीय ज्वैलर्स ने वरदान में तब्दील किया

ज्वैलरी पर लगे 50 प्रतिशत टैरिफ को, बड़ी होशियारी से कानूनी दाँव-पेच से 5.5 प्रतिशत टैरिफ में बदला

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19, सितंबर। जब ट्रंप प्रशासन ने भारत से आभूषण आयात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया, तो इस कदम का उद्देश्य अमेरिका के सबसे बड़े सोने और हीरे के आभूषणों के सप्लायरों में से एक को करारा झटका देना था। अमेरिका के आभूषण आयात में भारत का एक बड़ा हिस्सा है और इस शुल्क से कीमतें बढ़ने, मार्जिन कम होने और लाखों लोगों की आजीविका को सहारा देने वाले उद्योग को झटका लगने का खतरा है।

लेकिन इस समस्या को एक अनूठा ट्विस्ट देते हुए, भारतीय ज्वैलर्स ने टैरिफ की दीवार को पार करने का एक रास्ता खोज लिया है। इस काम में सबसे आगे है, मुंबई स्थित आभूषण निर्माता गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसके पास लगभग चार दशकों का वैश्विक अनुभव है। टैरिफ से कुचले जाने के बजाय, कंपनी ने इसे एक अवसर में बदल दिया है।

इसका राज़ अमेरिकी टैरिफ़ कानून के एक अनदेखे प्रावधान में छिपा है: यदि कच्चा माल अमेरिका का है और प्रोसैसिंग के लिए विदेश भेजा जाता है और तैयार माल के रूप में वापस आता है, तो आयात शुल्क सिर्फ अतिरिक्त वैल्यू एडिशन पर ही लागू होता है। गोल्डियम ने अपनी सप्लाई चेन को इस छूट के अनुसार दोबारा ढाल लिया है।

यह व्यवस्था इस प्रकार काम करती है। कंपनी अमेरिका से सोना खरीदती है, जिससे उसे टैरिफ नियमों के तहत "घरेलू" दर्जा मिल जाता है। आधे-तैयार आभूषण भारत भेजे जाते हैं, जहाँ कारीगर इन आभूषणों को पॉलिश करते हैं और हीरे जड़ते हैं। इन उन्नत उत्पादों को फिर से अमेरिका निर्यात किया जाता है। 50 प्रतिशत का कठोर टैरिफ चुकाने के बजाय, गोल्डियम को अतिरिक्त श्रम और हीरों पर केवल 5.5 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है, जो प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बहुत कम है।

गोल्डियम के लिए, यह सिर्फ़

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **अमेरिका के टैरिफ कायदे-कानून के अनुसार, अगर किसी भी कच्चे माल की खरीद अमेरिका में होती है तथा इस खरीद को विदेश भेजकर "प्रोसेस" कराया जाता है तो वह तैयार माल जब अमेरिका में बिक्री के लिये आता है तो उस प्रॉडक्ट की "प्रोसेसिंग लागत" पर ही टैरिफ लगता है, जो लगभग 5.5 प्रतिशत ही होता है, पर, अगर सीधा तैयार माल अमेरिका भेजा जाए तो उस पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगता है।**
- **भारतीय ज्वैलर्स अमेरिका में सोना खरीद कर, "सेमी फिनिश्ड" हालत में भारत भेज रहे हैं। भारतीय कारीगर उस "सेमी फिनिश्ड" सोने की ज्वैलरी को पॉलिश आदि करके चमकाकर, उसमें हीरे, माणिक, रूबी, आदि रत्न, डिज़ाइन के अनुसार सैट करके अमेरिका वापस भेज देते हैं, बिक्री के लिए। अतः अब निर्यात की गई ज्वैलरी पर केवल 5.5 प्रतिशत टैरिफ लगता है, न कि 50 प्रतिशत जो सीधे अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पर लगता।**

लोकसभाध्यक्ष के ओ.एस.डी. दत्ता को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप करने से इन्कार किया तथा हाई कोर्ट को इंगित किया कि वह राजीव दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायें, "ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 19 सितम्बर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला के ओएसडी (ऑफ़िसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) राजीव दत्ता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है और हाई कोर्ट को उनके खिलाफ मानव तस्करी और उनके खिलाफ केस करने वाले वकीलों को डराने-धमकाने के आरोपों में एफ आई आर दर्ज करने का निर्देश दिया है।

सूत्रों के अनुसार, आज सुबह स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आवास पर जाकर मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उन्होंने मेहता से कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, और यह सुनिश्चित करने को कहा कि राजीव दत्ता के खिलाफ एफ आई आर दर्ज न हो। राजीव दत्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में देश के नामी वकीलों की टीम ने पैरवी की, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पूछा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 5 झूठे केस क्यों दर्ज किए गए और उन्हें असामाजिक तत्वों के मार्फत क्यों धमकाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दत्ता को यह विकल्प जरूर दिया है कि वे चाहें तो दोबारा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जयपुर में एफ आई आर लेकिन अब तक हाई कोर्ट द्वारा दर्ज करने का जो निर्देश पुलिस को दिया गया था, वह अभी तक लागू नहीं किया गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, स्वयं ओम बिड़ला शुक्रवार की सुबह, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के घर गए, उन्हें बताने कि दत्ता को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और वे (तुषार मेहता) दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने दें।**
- **राजीव दत्ता की ओर से कई बड़े-बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, उनके मामले की पैरवी करने के लिए। पर, फिर सुप्रीम कोर्ट राजीव दत्ता से काफी सख्ती से पेश आया और पूछा कि याचिका दायर करने वालों के खिलाफ पाँच-पाँच केस दर्ज करवाये गये हैं तथा उन्हें धमकी दी जा रही है।**

'आईबी के आग्रह पर मैं आतंकियों से मिला, इसे अब मेरे खिलाफ "यूज़" किया जा रहा है'

तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी कश्मीरी नेता यासीन मलिक ने हाई कोर्ट में दायर 81 पेज के हलफनामे में दावा किया

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली,19 सितंबर। मृत्युदंड की सजा पाए कश्मीर के पूर्व अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने दावा किया है कि 1990 में गिरफ्तारी के बाद उन्हें लगातार 6 सरकारों वी.पी. सिंह से लेकर मनमोहन सिंह तक-द्वारा कश्मीर मुद्दे पर बातचीत और समाधान के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया गया था।

मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि 2006 में उन्होंने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी हाफिज सईद और अन्य उग्रवादियों से मुलाकात की थी, और यह मुलाकात तत्कालीन खुफिया ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर वी.के. जोशी के कहने पर हुई थी।

उन्होंने कहा, मुझे विशेष रूप से हाफिज सईद और पाकिस्तान के अन्य आतंकवादी नेताओं से मिलने के लिए कहा गया था। यह तर्क दिया गया था कि आतंकवाद और शांति वार्ता एक साथ नहीं चल सकती, खासकर जब राजधानी में बम धमाका हुआ था।

मलिक ने आगे कहा कि इस मुलाकात के बाद जब वे भारत लौटे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एन.के. नारायणन से मुलाकात की और उन्हें पूरी जानकारी दी। मलिक, जिन्होंने तिहाड़ जेल नंबर 7 के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के सह-हस्ताक्षर के साथ 81 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है, ने आगे दावा किया कि पाकिस्तान में आतंकी नेताओं से मुलाकात के बाद जब वे भारत लौटे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एन.के. नारायणन से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **मलिक ने कहा, 2006 में आईबी के स्पेशल डायरैक्टर वी.के. जोशी के कहने पर मैं हाफिज़ सईद व अन्य आतंकियों से मिला था। मुलाकात के बाद मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एन.के. नारायणन् से बात कर उन्हें जानकारी दी थी।**
- **मलिक ने कहा, कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद प्र.मंत्री मनमोहन सिंह ने मुलाकात कर कहा था कि वे कश्मीर मुद्दे का हल करना चाहते हैं।**

एसआई पेपर लीक में एक और प्रोबेशनर गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, एक प्रोबेशनर एसआई को गिरफ्तार किया है, जो चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन में तैनात था। गिरफ्तार प्रोबेशनर एसआई परीक्षा से पहले लीक सॉल्व पेपर को पढ़ कर चयनित हुआ था। एसओजी फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, प्रोबेशनर एसआई कैलाश कुमार विश्नोई निवासी सांचौर जिला जालोर गिरफ्तार किया गया है। कैलाश कुमार एसआई भर्ती पेपर की दोनों पारियों की लिखित परीक्षा में लीक हुआ सॉल्वड पेपर पढ़ कर चयनित हुआ था और वर्तमान में पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ में पुलिस एसआई (प्रोबेशनर) है। अब तक 56 एसआई सहित, कुल 127 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी की ओर से साल 2024 में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

चुनाव आयोग के बचाव में राहुल गांधी के खिलाफ पूरी ताकत से मैदान में उतरी भाजपा

शुक्रवार को एक के बाद एक भाजपा के दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी की और उनके वोट चोरी के आरोपों की कड़ी आलोचना की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19, सितंबर। कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग पर हो रहे हमले के बीच, सत्तारूढ़ भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देश में अशांति फैलाने की कथित कोशिशों को लेकर निशाने पर लिया।

एनडीए के कई नेताओं ने कांग्रेस नेता के हालिया बयानों की आलोचना की है, जिनमें उन्होंने जेनरेशन ज़ैड को लोकतंत्र का रक्षक बताया था। उन्होंने राहुल गांधी पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

जब भाजपा पर खतरा आता है, तो उसका मुख्य हथियार आक्रामक होना होता है और भाजपा के नेता सैयद शाहनवाज़ हुसैन ने विपक्ष के नेता पर देश के युवाओं को उकसाने का आरोप लगाते हुए यह बात पूरी स्पष्टता के साथ प्रदर्शित की। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी देश के युवाओं, छात्रों और जेन ज़ैड को भड़का रहे हैं। वे उन्हें राष्ट्र के खिलाफ उकसा रहे हैं। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। देश के युवा प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं। उन्हें पता है कि यह सरकार उनके लिए और गरीबों के लिए काम कर रही है।"

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और पूर्ववर्ती और वर्तमान शासन के बीच तीव्र अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "जिन लोगों ने देश को लूटा, उन्हें अपने बचाव पर ध्यान देना चाहिए। जब उनके पिता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार द्वारा दिये गये हर एक रुपये में से 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, तो लोग स्तब्ध रह गए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में अगर एक लाख करोड़ रुपये सरकार की योजनाओं के तहत भेजे जाते हैं, तो पूरा पैसा सीधे लोगों तक पहुंचता है।"

इसी तरह, जनता दल (यू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस सांसद की टिप्पणी की आलोचना की और भारतीय युवाओं में किसी भी प्रकार की सत्ता-विरोधी लहर से इनकार किया। उन्होंने कहा, "भारत के युवा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के "विज़न 2047" से जुड़ रहे हैं। यहां कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। भारत में लोग नौकरियों, तकनीक और विकास पर केन्द्रित हैं, न कि सत्ता परिवर्तन पर।"गुरुवार को, राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था, "देश के युवा, देश के छात्र, जेन ज़ैड संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं हमेशा उनके साथ हूं। जय हिंद!"

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **भाजपा नेता सैय्यद शाहनवाज़ हुसैन ने कहा कि विपक्ष के नेता देश के युवा वर्ग व जनरैशन ज़ैड को देश के खिलाफ भड़का रहे हैं।**
- **भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का आरोप लगाया। जद (यू) नेता राजीव रंजन प्रसाद ने भी राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला।**
- **भाजपा सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के निर्देश पर भाजपा व एनडीए के नेता राहुल पर आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वोट चोरी विरोधी मुहिम बिहार में ही नहीं देश भर में जोर पकड़ रही है।**

साउदी अरब व पाकिस्तान का सुरक्षा अनुबंध क्या केवल आपसी सुरक्षा का वादा है?

सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है, इस अनुबंध में कोई "सुरक्षा की गारंटी" नहीं है, एक पर आक्रमण होने पर दूसरा हथियार लेकर लड़ने चला आयेगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19, सितंबर। "स्वराज्य" पत्रिका में प्रकाशित एक विश्लेषण में कहा गया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुए रणनीतिक समझौते का भारत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा।

विश्लेषण में कहा गया है कि इस समझौते के अनुसार, किसी एक देश पर हमला, दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। सऊदी और पाकिस्तानी आधिकारिक मीडिया ने कहा है कि यह समझौता किसी भी आक्रामकता के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करता है और दशकों से चली आ रही रक्षा साझेदारी को संस्थागत रूप देता है।

ऐतिहासिक रूप से, सऊदी-पाक सुरक्षा सहयोग काफी गहरा रहा है। सन् 1947 में पाकिस्तान को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में सऊदी अरब भी था और 1951 की "ट्रीटी ऑफ फ्रैंडशिप" ने उनके करीबी रिश्तों की नींव रखी। 1960 के दशक से, पाकिस्तान ने सऊदी अरब में सैनिक और प्रशिक्षक भेजे हैं और हज़ारों सऊदी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है।

रियाद इस रिश्ते के तहत अक्सर इस्लामाबाद को कर्ज़ और तेल-क्रेडिट के रूप में आर्थिक मदद भी देता रहा है।

नया समझौता ऐसे समय आया है, जब क्षेत्र में अस्थिरता है। खाड़ी देशों में सीमापार संघर्षों और अमेरिका की कम होती दखलंदाजी के कारण सुरक्षा चिंता बढ़ी है। हाल के वर्षों में गाज़ा में इज़राइल का युद्ध और पड़ोसी देशों पर उसके हमले, जिनमें 9 सितम्बर 2025 को दोहा पर हवाई हमला शामिल है, अरब देशों की राजधानियों को बेचैन कर चुके हैं।

खाड़ी नेताओं को अब केवल अमेरिकी सुरक्षा पर भरोसा करने में हिचक होने लगी है, क्योंकि वॉशिंगटन इज़रायल का खुला समर्थन करता है। इसी बीच, इस साल की शुरुआत में भारत ने एक संक्षिप्त संघर्ष के अन्तर्गत पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिससे पाकिस्तान फिर से गहरी आर्थिक मुसीबत में पहुँच सकता था, जबकि उसने हाल ही में उससे थोड़ा बाहर निकलना शुरु किया था। पर्यवेक्षकों का कहना है कि सऊदी-पाकिस्तानी समझौता इन्हीं दबावों को प्रदर्शित करता है। भारतीय अधिकारियों ने, इस पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि सरकार को पहले से पता था कि ऐसा समझौता हो सकता है और अब उसके राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर का अध्ययन किया जाएगा। भारतीय मीडिया ने बताया कि बातचीत के दौरान सऊदी अधिकारियों ने भारत को भरोसे ले रखा था, यानी दिल्ली पूरी तरह अंधेरे में नहीं थी। राजनीतिक विश्लेषक इस समय को अमेरिका की पीछे हटने वाली भूमिका और मध्य पूर्व की उथल-पुथल से जोड़कर देखते हैं, न कि भारत के लिए किसी सीधी धमकी के रूप में। कुल मिलाकर, भारत अचानक चौंका नहीं और अधिकारियों ने सतर्क चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा है कि वे देखेंगे कि यह समझौता उपमहाद्वीप और क्षेत्र की स्थिरता पर कैसा असर डालता है।

क्या इसमें कोई सुरक्षा गारंटी शामिल है? हाँ और नहीं। इस समझौते की मुख्य धारा कहती है कि एक पर हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा। यह मूल रूप से परस्पर रक्षा की प्रतिबद्धता है। इस नज़रिए से यह एक तरह की सुरक्षा गारंटी तो देता है, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के खिलाफ़ किसी हमले को रोकने या जवाब देने का वादा करते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुख्यतः राजनीतिक और प्रतीकात्मक है। जारी किये गये बयानों में साझा रोकथाम और परामर्श पर ज़ोर है, लेकिन इनमें यह स्पष्ट नहीं है कि किसी हमले की स्थिति में सऊदी या पाकिस्तान बिना शर्त फ़ौज भजेंगे ही।

पर्यवेक्षक इसकी तुलना "नाटो के आर्टिकल 5" से करते हैं, क्योंकि इसमें साझेदार को परस्पर समर्थन का वचन तो दिया गया है लेकिन वास्तविक सैन्य कार्रवाई का फ़ैसला हालात देखकर किया जाएगा। पाकिस्तान के पहले के शीतयुद्ध कालीन अमेरिका के साथ रक्षा समझौते भी स्वतः (ऑटोमैटिक) हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते थे।

- **शीत युद्ध के प्रारंभिक दिनों में पाकिस्तान ने अमेरिका से ऐसे कई समझौते (पैक्ट्स) किये थे तथा अमेरिका ने कोई गारंटी नहीं दी थी कि पाकिस्तान पर कोई हमला होने पर, अमेरिका उसके पक्ष में युद्ध भूमि में कूद पड़ेगा।**
- **एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यह साउदी अरब व पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का लक्ष्य भारत नहीं है, बल्कि इस उत्पत्ति का मुख्य कारण है, अमेरिका का आँख बंद करके इज़रायल का साथ देना, चाहे गाज़ा स्ट्रिप पर इज़रायल का हमला हो या 9 सितंबर 2025 को इज़रायल द्वारा बमबारी। अतः अब खाड़ी देश केवल अमेरिका पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रहना चाहते।**

भक्ति संध्या में गूंजे बालाजी के भजन

पोकरण। कस्बे के अंजनी माता मंदिर महारथी मारूति सेवा सदन आश्रम, फलसूंड रोड स्थित हनुमान मंदिर में गुरुवार की रात्रि को भक्ति और आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाडा के अंतर्गत यहां सुन्दरकाण्ड पाठ का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पोकरण विधायक एवं तारातरा मठ के मठाधीश महंत प्रतापपुरी महाराज उपस्थित रहे।

सुन्दरकाण्ड पाठ के दौरान जैसे ही महंत प्रतापपुरी महाराज व अन्य संत मंदिर में पूजा-अर्चना कर धार्मिक चर्चाओं में लीन थे, तभी अचानक मंदिर कक्ष में एक छोटा वानर पहुंच गया। संतों के पास रखे ड्राई फ्रूट और फल खाकर उसने सबको चौंका दिया। इसके बाद वानर सीधे विधायक प्रतापपुरी महाराज के सिर पर चढ बैठा और कुछ देर तक वहीं ठहर कर कूदता-फांदता नजर आया। यह दृश्य देखते ही श्रद्धालुओं ने इसे अदभुत मानते हुए अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। लोगों ने वानर के मंदिर में इस तरह आना और संतों के बीच बैठना भगवान हनुमान की कृपा का प्रतीक माना। श्रद्धालुओं का मानना था कि वानर का यह व्यवहार हनुमान जी के आशीर्वाद का द्योतक है, क्योंकि वानर को स्वयं बजरंगबली का प्रतीक माना जाता है।

ओरण गोचर को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए चौथे दिन धरना जारी

किसानों को 18 घंटे बिजली देने तथा लंबित फाइलों को जयपुर भिजवाने की मांग

जैसलमेर। ओरण टीम द्वारा कलेक्टर कार्यालय के सामने दिए जा रहे धरने का चौथे दिन प्रशासन का कोई भी ठोस आश्वासन नहीं मिला तीसरे दिन चल रहे ग्रामीण सेवा शिविरों का ग्राम पंचायत पुनम नगर, सताया,पिथला, तेजराृवा, बईया, आसकन्दरा,भैसडा, रुपसी, अन्य जगह चल रहे सेवा शिवरों का ग्रामीणों द्वारा बहिष्कार किया गया। वह मुख्यमंत्री के नाम और गोचर को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का ज्ञापन सोपा गया ग्रामीणों द्वारा टीम ओरण के सहयोग से जिला कलेक्टर प्रतापसिंह , विधायक जैसलमेर छोटूसिँह भाटी, पोकरण प्रतापपुरी को ज्ञापन सौपा गया जिसकी मुख्य मांगे और गोचर नदी नाले कुए तालाब खड़ीन आगौर की भूमियों के संरक्षण गांव ढाणिया की आबादी का विस्तार कंपनियों में स्थानियों को रोजगार भूमि किसानों को भूमि आवंटन व किसानों को 18 घंटे बिजली देने हेतु तथा ओरण की जो फाइलें कलेक्टर कार्यालय में लंबित हैं उन्हें यथाशीघ्र जयपुर भिजवाने की

धरना स्थल पर पोकरण विधायक प्रतापपुरी, पूर्व विधायक सांगसिंह ग्रामीणों से मिलने आये।

■ नगरीय विकास एवं स्वायत शासन मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया

और नई ओरण की पत्रावलियो तैयार करने हेतु ज्ञापन सोपा गया धरणे में सुमेरसिंह सांवता, भोपालसिंह झलोड़ा, कुन्दन सिंह मोकला, दुर्गसिंह सत्याया, अमरसिंह खुहडी, चुतरसिंह, हेम सिंह दवाड़ा रमेशसिंह,मनोहरसिंह मोकला, अनोप सिंह बडोडा गांव, रेवंत सिंह, विरमसिंह,रूगनाथ सिंह, लीलसिंह रणधा दिलीप सिंह सोढा आदी उपस्थित रहे।

पुश्तैनी मकान का पट्टा मिला

भीलवाडा। राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू के दिशा-निर्देशानुसार उपखण्ड क्षेत्र बिजोलिया में ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 19 सितंबर को उपखण्ड अधिकारी बिजोलिया के नेतृत्व में ग्राम पंचायत आरोली में शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ। शिविर के दौरान सोहनी पत्नी पूरणमल भील निवासी आरोली ने उपखंड अधिकारी के समक्ष अपने पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी करने का निवेदन प्रस्तुत किया। उनके आवेदन पर तुरंत संज्ञान लेते हुए शिविर प्रभारी ने ग्राम विकास अधिकारी को नियमानुसार तत्काल कार्यवाही के निर्देशदिए। निर्देशों का पालन करते हुए मौके पर ही निरीक्षण कर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पात्र लाभार्थी का पुश्तैनी मकान का पट्टा प्रदान किया गया। इस त्वरित समाधान से लाभार्थी के चेहरे पर संतोष एवं प्रसन्नता झलक उठी। शिविर में मौजूद ग्रामीणों ने प्रशासन की तत्परता, संवेदनशीलता और समस्याओं के शीघ्र समाधान की सराहना करते हुए इस पहल को अत्यंत लाभकारी बताया। ग्रामीणों ने राज्य सरकार एवं उपखंड प्रशासन के प्रतिहृदय से आभार व्यक्त किया।

■ आवेदन आने पर शिविर प्रभारी ने तुरंत पटटा जारी करने के आदेश दिए

तीन आरोपियों को आजीवन कैद

भरतपुर (निस)। भरतपुर के चर्चित संजय बिहारी हत्याकांड में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हैं। साथ ही कृष्ण कुमार उर्फ बेबी पर 60 हजार, नरेश गुप्ता और बिट्टू पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। दोष सिद्ध होने पर संजय बिहारी फरार हो गया था। आज मथुरा गेट थाना पुलिस आरोपी बेबी को पकड़कर लाई और कोर्ट में पेश किया, जहां सजा सुनाई गई।

लोक अभियोजक नरेश सेन ने बताया कि 28 जनवरी 2023 को बेबी और नरेश गुप्ता ने संजय बिहारी नाम के व्यक्ति को फोन कर अपने घर बुलाया। जब संजय उनके घर पहुंचा तो वहां नरेश गुप्ता, कृष्ण कुमार उर्फ बेबी और बिट्टू चाय पी रहे थे। संजय भी उनके पास जाकर बैठ गया। तभी अचानक बेबी वहां से उठकर अपने कमरे में गया और कट्टा लाकर संजय बिहारी को पीछे से गोली मार दी। इलाज के दौरान संजय बिहारी की मौत हो गई।

संजय बिहारी के परिजनों ने मथुरा गेट थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। तीनों पर आरोप सिद्ध हो गया। आरोपी बेबी पर पहले से 25 मुकदमे दर्ज हैं। आरोप सिद्ध होने के बाद बेबी फरार हो गया था। आज मथुरा गेट थाना पुलिस बेबी को पकड़ कर थाने लेकर आई और कोर्ट में हाजिर किया।

Office Executive Engineer Water Resources Division Khajuwala

No.:-Acctt/ NIB 05/2025-26/1203 **Notice Inviting Bid** Dated:- 15/9/2025

(NIB Code WRN2526A0093)

Bid for the Reconstruction of Various Water Courses at Anoopgarh Branch IGNP estimated cost Rs 37.43 to 70.53 Lacs of invited from prospective bidders upto 24.09.2025 at 6.00 PM. Other particulars of the bids may be visited on the procurement portal http://www.eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in, of the state and www.water.rajasthan.gov.indepartmental website.

UBN No- WRN2526WSOB00274, WRN2526WSOB00275, WRN2526WSOB00276 WRN2526WSOB00277, WRN2526WSOB00278, WRN2526WSOB00279 WRN2526WSOB00280, WRN2526WSOB00281, WRN2526WSOB00282 WRN2526WSOB00283, WRN2526WSOB00284

(Nitish Kumar Nagar)
Executive Engineer
Water resources Division Khajuwala

DIPR/C/13800/2025

कार्यालय उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभ्यारण्य, धौलपुर

महिला पुलिस थाने के पास हाउसिंग बोर्ड, पुरानी छावनी, धौलपुर पिन कोड़ 328001
Email ID:-dcfwl.ncs.forest@gmail.com

क्रमांकः एफ ()/ उवसं/वजीधौ./राचघअ./2025-26/2449 दिनांक-10/9/2025

Notice Inviting Bid

Bid for providing Construction of Choki and installation of solar pump at Forest Block of Wildlife Range Chambal sevar District- Dholpur of DCF WL NCS Dholpur are invited from interested bidders upto 11:00 AM, 22.09.2025, other particulars of bid may be visited on the procurement portal http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in of the state. The approximate value of the procurement is 20.00 lakhs.

UBN No. FOR2526WSOB01904

(डा. आशीष व्यास) उप वन संरक्षक (वन्यजीव) राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण्य धौलपुर

DIPR/C/13751/2025

बीकानेर में पूर्व सरपंच को कुल्हाड़ी से काट डाला

प्रॉपर्टी विवाद में हत्या का शक, मर्डर के बाद से भतीजा फरार

बीकानेर। यहां पूर्व सरपंच की हुई नृशंस हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्या के बाद से उसका भतीजा फरार है, ऐसे में पुलिस को उसी पर शक है।

जानकारी के अनुसार पूर्व सरपंच का मर्डर कुल्हाड़ी से किया गया है। घटना जिले के श्रीडूंगरगढ़ के धीरदेसर चोटियान गांव की देर रात की है। श्रीडूंगरगढ़ डीएसपी निकेत पारीक ने बताया कि पूर्व सरपंच मेघराज चोटिया (70) और उसके भतीजे बलबीर के बीच देर रात झगड़ा हुआ था। दोनों में दुकान को लेकर विवाद था। आशंका है कि बलबीर ने मेघराज की कुल्हाड़ी से वारकर हत्या कर दी। झगड़े दौरान मेघराज की पत्नी रामी देवी घर पर ही थी, लेकिन वो सो रही थी।

■ दोनों पक्षों के बीच कई बार समझाइश की कोशिश हुई थी। उम्मीद नहीं थी कि विवाद इतना बढ़ सकता है।

सुबह उसने मेघराज को लहूलुहान देखा तो बेटों व अन्य लोगों को घटना की जानकारी दी। पुलिस को भी सूचना दी गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच कई बार समझाइश की कोशिश हुई थी।

उम्मीद नहीं थी कि विवाद इतना बढ़ सकता है। पुलिस शुक्रवार सुबह से बलबीर को ढ़ूंढ रही है। पुलिस ने कई जगह दबिश भी दी है। जानकारी के अनुसार मेघराज वर्ष 2005 से 2010 तक धीरदेसर चोटियान गांव के सरपंच थे। तभी से उनके परिवार में दुकान को लेकर विवाद था। पिछले दिनों गांव के कुछ लोगों की मध्यस्थता के बाद समझौता भी हुआ, लेकिन बलबीर इस समझौते को लेकर नाखुश था। इसी कारण वो देर रात झगड़ा करने पहुंचा। अब तक इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।

मनुज साहित्य सम्मान फतेह सिंह भाटी को

जयपुर। डॉ ओ पी शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट चूरू की ओर से प्रतिष्ठित मनुज साहित्य सम्मान 2025 जोधपुर के साहित्यकार फतेह सिंह भाटी को अर्पित किया जायेगा।

यह जानकारी देते हुए ट्रस्ट के संरक्षक तेजकरण सुराणा और प्रबंध ट्रस्टी डॉ सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि रविवार, 21 सितम्बर को नगरश्री चूरू में आयोजित ट्रस्ट के वार्षिक साहित्य समारोह की अध्यक्षता विचारक और साहित्यकार कमल सिंह कोठरी करेंगे। मुख्य अतिथि जाने माने लेखक और जनसम्पर्क विभाग के उप निदेशक कुमार अजय होंगे।

समारोह के सूत्रधार प्रो़फ़ेसर सुरेंद्र सोनी होंगे। डॉ ओ पी शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रवक्ता राजेंद्र शर्मा मुसाफिर ने बताया इस अवसर पर श्रीमती स्नेहलता शर्मा के हिंदी कहानी संठाह वजूद का लोकार्पण भी होगा। गौरतलब है डॉ ओ पी शर्मा साहित्यानुरागी और शिक्षा शास्त्री के साथ लोकप्रिय होम्योपैथी चिकित्सक थे।

फुटबॉल मैत्री मैच का आयोजन

जालोर । जालोर जिला फुटबॉल संघ और जिला ओलम्पिक संघ जालोर के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को भीनमाल के शिवराज स्टेडियम में प्रातः 10 बजे डी एफ ए और वडाभाडवी ए टीमों के बीच सीनियर पुरुष फुटबॉल मैत्री मैच का आयोजन किया गया।

यह आयोजन जिला फुटबॉल संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रोमैक पाइप और फेब्रिकेशन पुणे व मुंबई के निदेशक जगदीश सारण दाता के जन्मदिन के अवसर पर उनके खेलों के प्रति विशेष योगदान के फलस्वरूप सम्मान में किया जा रहा है। जालोर जिला फुटबॉल संघ के सचिव हरिराम डारा ने जानकारी देते हुए बताया कि जगदीश सारण दाता जिले में खेल और खिलाडियों के प्रोत्साहन के लिए हमेशा आगे आते हैं और खेल संघों और खिलाडियों को किट और आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। उनके इस योगदान से जिले के खिलाडयों का भविष्य संवर रहा है और वे अपने खेल कौशल को विकसित करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। भामाशाह के जन्मदिन पर आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के इस अवसर पर जालोर जिला ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष प्रकाश बिश्नोई, महासचिव लाल सिंह सांखला, निंबाराम चौधरी प्राचार्य क्रीडा भारती के जिलामंत्री भागीरथ गर्ग उपस्थित रहेंगे। इस समारोह में नरपत देवासी, पंकज खिलेरी, प्रवीण सारण, उत्तम कबावत सहित फुटबॉल एवं खेल संघों के पदाधिकारी एवं खिलाडीगण भी मौजूद रहेंगे।जालोर जिला ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष प्रकाश बिश्नोई ने कहा की फुटबॉल प्रतियोगिता के इस आयोजन के माध्यम से हम जगदीश सारण दाता के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

कार्यालय नगर पालिका सादड़ी (पाली) राजस्थान

क्रमांक : न.पा.सा. / 2025 / 2841-2843 दिनांक 17.09.2025

-:: कोरीजेण्डम निविदा सूचना ::-

एतद् द्वारा समस्त पंजीकृत संवेदको को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका सादड़ी द्वारा जारी ई-निविदा सूचना पालिका क्रमांक / नपासा / 2025-26 / 2458-2460 दिनांक 01 / 09 / 2025 को आमंत्रित की गई थी। उक्त ई-निविदा में कार्य संख्या 01 व 03 में एकल निविदा प्राप्त होने से कार्य संख्या 01 व 03 को निरस्त किया जाता है। सूचित रहे।

DLB2526WSOB16378, DLB2526WSOB16376

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सादड़ी

राज.संवाद / सी / 25 / 10407

कार्यालय विश्वविद्यालय अभियन्ता, राजस्थान विश्वविद्यालय

क्रमांक :- यू.ई./लेखा/2025-26/1074 दिनांक :- 19/09/2025

निविदा सूचना संख्या 08/ 2025-26

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में विभिन्न कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन निविदा उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको, जो राजस्थान सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग, केन्द्र सरकार के लोक निर्माण विभाग, डाक एवम् दूरसंचार विभाग, रेलवे एवम् अन्य राज्य सरकार के अधिकृत संगठनों जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के समकक्ष हो से, ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा में कुल कार्यों की संख्या 02 है जिनकी कुल अनुमानित लागत 62.18 लाख है। निविदा से सम्बन्धित विवरण वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** एवम् **http://sppp.raj.nic.in** पर देखा जा सकता है जिसका यू. बी.एन. नम्बर **URA2526WSOB00093 to 97** है।

NIB Code : URA2526A0033

राज.संवाद/सी/25/10453 विश्वविद्यालय अभियन्ता

3 बदमाश गिरफ्तार

भरतपुर (निस)। भरतपुर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने सम्मोहित कर झांसे में लेकर ठगी करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी लॉटरी खिलाने के नाम पर ठगी करते थे। जब लोग पैसे हारने लग जाते तो, वह अपने कीमती सोने के जेवर दाव पर लगाते और आरोपी उन्हें झांसे लेकर फरार हो जाते। अभी 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीओ पंकज यादव ने बताया की मथुरा गेट थाना पुलिस ने एक गैंग को पकड़ा है। यह गैंग लोगों को सम्मोहित कर और झांसा देकर लोगों से ठगी करती थी। इस गैंग के 4 लोग 2 बाइक से आते थे और, सड़क पर आने जाने लोगों को उलझाते थे।

किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास, पीटीआई पर केस

श्रीगंगानगर। एफआईआर के अनुसार जिले के सरकारी स्कूल से पीड़िता सहित 5 छात्राओं को जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए गजसिंहपुर ले जाने के लिए शिक्षक (पीटीआई) कृष्णचंद्र बिश्नोई और महिला अनिता शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई थी। 4 सितंबर को छात्राएं महिला शिक्षक व आरोपी के साथ गजसिंहपुर चली गईं। रात को मैच खत्म होने के बाद अध्यापिका अनिता चली गई। कृष्णचंद्र ने पीडिता व अन्य छात्राओं को पीडिता के एक रिश्तेदार के घर ठहरा दिया। खुद चला गया। अगले दिन 5 सितंबर को कृष्णचंद्र पीडिता के रिश्तेदार के घर आया अन्य छात्राओं को वहीं रोक दिया। अध्यापिका अनिता को गजसिंहपुर रेलवे स्टेशन से लाने के बहाने से पीड़िता को अपने साथ गाड़ी में ले गया। आरोप है कि रास्ते में उसे दोस्ती करने को कहा और अश्लील हरकतें की। पीड़िता ने इसका विरोध भी किया। इस घटना के बाद 7 सितंबर को भी आरोपी गजसिंहपुर से पदक व प्रमाण-पत्र आदि लाने बहाने से अकेली पीडि़ता को अपनी कार में अनजान रास्ते पर ले गया। जहां उसके साथ अश्लील हरकतें की और दुष्कर्म का प्रयास किया।

आरोपी ने उसे इस संबंध में किसी को कुछ भी नहीं बताने के लिए जान से मारने की धमकी दी। परिजनों के पास गांव लौटने के बाद पीडिता डरी सहमी थी। वह मानसिक अवसाद में आ गई थी। परिजनों ने काफी प्रयास के बाद पूछा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। आरोप है कि शिक्षक कृष्णचंद्र पहले भी उसके साथ अश्लील हरकतें कर चुका है। शिक्षक पर कुछ अन्य बालिकाओं के साथ भी अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

खेल प्रतियोगिता के दौरान हुई छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास के मामले के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध जताया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रधानाचार्या को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। घटना गजसिंहपुर थाना क्षेत्र में 7 सितंबर को हुई। इस संबंध में आरोपी कृष्णचंद्र बिश्नोई निवासी 16 जीबी, श्रीविजयनगर के खिलाफ पोक्सो एवं अन्य संबंधित धाराओं में नामजद केस दर्ज किया है। पूरे प्रकरण में एक महिला शिक्षक की लापरवाही भी सामने आई। मामले की जांच श्रीकरणपुर के पुलिस उपाधीक्षक संजीव चौहान कर रहे हैं। पीडि़ता का मेडिकल मुआयना करवाया गया है। पीडि़ता के परिजनों ने इस संबंध में 15 सितंबर को थाने में शून्य नंबर की एफआईआर दर्ज करवाई। बाद में इसी के आधार पर गजसिंहपुर थाने में केस दर्ज किया गया। प्रकरण को लेकर 181 नंबर पर शिकायत की गई है। मामले में शिक्षा विभाग के स्तर पर भी जांच के लिए दो प्रधानाचार्यों की कमेटी गठित की है। इस संबंध में ग्रामीणों की शिकायत भी मिली है। मामले की जांच के लिए दो प्रधानाचार्योंकी कमेटी गठित की गई है। कमेटी शुक्रवार को स्कूल जाकर जांच करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा जाएगा।

शिविर 25 को

जालोर। जिला प्रशासन व जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 25 सितम्बर को प्रातः 10 बजे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) जालोर में एक दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया जायेगा। जिला रोजगार अधिकारी राजीव सुथार ने बताया कि रोजगार शिविर में बेरोजगार आशार्थियों को स्थानीय व निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा साक्षात्कार लेते हुए उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जायेंगे।

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, करौली

वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज के पास, धनलक्ष्मी केन्द्र, KARAULI.WE@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकः **विज्ञिप्त** दिनांकः

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संसोधित) - 2024 दिनांक 18.09. 2024 एवं निदेशालय महिला अधिकारिता, राजस्थान जयपुर के राजकाज पत्र क्रमांक 13542346 दिनांक 13.02.2025 में वर्णित शर्तो के अनुसार पात्रताधारी गैर-शासकीय संस्थाओं से निम्न महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है।

क्र. सं.	पुलिस जिले का नाम	पुलिस सर्किल का नाम	महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन हेतु चयनित थाने का नाम
1	जिला महिला थाना करौली	महिला थाना करौली	महिला थाना करौली

आवेदन दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 23.09.2025 को सांयकाल 5.00 बजे तक कार्यालय सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता वीणा मेमोरियल पीजी कॉलेज के पास, धनलक्ष्मी केन्द्र करौली में प्रस्तुत किये जा सकते है। संबंधित प्रारूप, पात्रता की शर्ते तथा नियम 2024 आदि विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है।

(अनिरूद्ध शर्मा)
सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग करौली

DIPR/C/13692/2025

मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने श्रमदान किया

जालोर। निकटवर्ती भागली सिंधलान में गुरूवार को आयोजित शिविर में "स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम-2025" का आयोजन किया गया। जिसमें राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने भागली सिंधलान पंचायत समिति परिसर में साफ-सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया।

मुख्य सचेतक ने कहा कि "स्वच्छता ही सेवा है और यह अभियान तभी सफल होगा जब प्रत्येक नागरिक इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे बढ़े। कार्यक्रम में स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करने के साथ ही समाज को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने में सामूहिक भागीदारी पर बल दिया गया।

इस दौरान ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और स्वच्छ भारत अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया गया।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने पंचायत समिति परिसर एवं आस-पास सफाई अभियान चलाया और स्वच्छ भारत का संदेश दिया। ग्रामीणों ने भी सक्रिय सहयोग कर कार्यक्रम को सफल बनाया।

इस दौरान जालोर प्रधान नारायण सिंह राजपुरोहित, तहसीलदार, विकास अधिकारी प्रदीप मायला सहित ग्रामीण मौजूद रहें।

मंत्री खर्रा ने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के चैक प्रदान किए

दौसा। नगरीय विकास एवं स्वायत शासन मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने शुक्रवार को यहां बारादरी मैदान में आयोजित शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को पट्टे एवं चैक प्रदान किए।

मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने शिविर में उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य सरकार ने शहरी एवं ठाम सेवा शिविरों का आयोजन किया है। इनके माध्यम से भूमि पट्टा, भूमि विभाजन, नामान्तकरण, सफाई, नाली, सड़क मरम्मत, रोशनी जैसे आवेदन प्राप्त कर आमजन की समस्याओं का त्वरित गति से मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही, लम्बित रहने वाले प्रकरणों का निश्चित समय सीमा में निस्तारण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा इन शिविरों के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाना है। काम में पारदर्शिता एवं समयबद्धता के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी शिविरों में विशेष व्यवस्था की गई है।

मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने शहरी सेवा शिविर का अवलोकन कर लाभार्थियों को चैक प्रदान किए।

■ नगरीय विकास एवं स्वायत शासन मंत्री खर्रा ने शहरी सेवा शिविर का अवलोकन किया

उन्होंने कहा कि यदि किसी आवेदन में गलती से कोई कमी रह गई हो तो उसे भी दुरुस्त कराकर नियमानुसार लाभ दिया जा रहा है। मंत्री झाबरसिंह खर्रा ने उपस्थित लोगों से आ ान करते हुए कहा कि पात्र एवं जरूरतमंद लोग शहरी सेवा शिविरों में पहुंचकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ लें। उन्होंने इन शिविरों का आमजन को समुचित फायदा दिलवाने में प्रबुद्धजन से सक्रिय भागीदार बनने का आग्रह किया। नगरीय विकास एवं स्वायत शासन मंत्री ने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के पट्टे और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं आवास योजना (शहरी) के चैक प्रदान किए। इस अवसर पर पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा, नगर परिषद सभापति कल्पना जैमन, नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा एवं जगमोहन मीणा सहित अन्य प्रबुद्धजन एवं आमजन उपस्थित थे।

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

क्रमांकःएफ 3(1)लेखा/देव/ऋषभ/2025-26/3146 दिनांकः11/09/25

ई निविदा सूचना संख्या- 02./2025-28

इस कार्यालय द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों में दो वर्षों में विविध उत्सवों के आयोजनों हेतु विभिन्न सामग्री उपलब्ध करवाने एवं कार्यों हेतु पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया द्वारा ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट devasthan.rajasthan.gov.in, eproc.rajasthan.gov.in तथा htpp://sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत दो वर्ष हेतु (लाख में)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र शुल्क (रूपये में)	प्रोसेसिंग शुल्क (रूपये में)
1.	देवस्थान विभाग द्वारा द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों मे जिला डुंगरपुर में 2 वर्ष के लिये उत्सवों के आयोजन करवाये जाने हेतु टेंट, विद्युत सजावट कार्य, भजना संध्या, फुल व बलुन सजावट कार्य सामग्री एवं कार्य हेतु दर संविदा ।	60.00 लाख	120000/-	2000/-	1000/-
2.	देवस्थान विभाग द्वारा द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों मे जिला बॉसवाडा में 2 वर्ष के लिये उत्सवों के आयोजन करवाये जाने हेतु टेंट, विद्युत सजावट कार्य, भजना संध्या, फुल व बलुन सजावट कार्य सामग्री एवं कार्य हेतु दर संविदा।	80.00 लाख	160000/-	2000/-	1000/-
3.	देवस्थान विभाग द्वारा द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों मे जिला डुंगरपुर में 2 वर्ष के लिये उत्सवों के आयोजन करवाये जाने हेतु पुजन एवं भोग सामग्री हेतु दर संविदा।	20.00 लाख	40000/-	1000/-	500/-
4.	देवस्थान विभाग द्वारा द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों मे जिला बॉसवाडा में 2 वर्ष के लिये उत्सवों के आयोजन करवाये जाने हेतु पुजन एवं भोग सामग्री हेतु दर निविदा	30.00 लाख	60000/-	1500/-	500/-
5	देवस्थान विभाग द्वारा द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्म निर्भर श्रेणी के मंदिरों मे राज्य के बाहर स्थित 08 मंदिरो में 2 वर्ष के लिये उत्सवों के आयोजन करवाये जाने हेतु टेंट, विद्युत सजावट कार्य, भजना संध्या, फुल व बलुन सजावट कार्य एवं पुजन एवं भोग सामग्री हेतु दर संविदा।	10.00 लाख	20000/-	1000/-	500/-

विवरण	दिनांक व समय
बिड डॉक्यूमेन्ट डाउनलोड करने की की प्रारम्भ एवं जमा की अंतिम तिथि व समय तिथि	दिनांक 12.09.2025 समय प्रातः 10.00. बजे से दिनांक 23.09.2025 समय दोपहर 12.00 बजे तक
प्री बिड बैठक दिनांक व समय	दिनांक 17.09.2025 समय प्रातः 11.00 बजे
बिड डॉक्यूमेन्ट अपलोड करने की प्रारम्भ एवं जमा की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 12.09.2025 समय प्रातः 10.00. बजे से दिनांक 23.09.2025 समय दोपहर 12.00 बजे तक
बिड सिक्योरिटी राशि, बिड फीस एवं प्रोसेसिंग शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक 23.09.2025 समय दोपहर 02.00 बजे तक कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान ऋषभदेव
तकनीकी बिड खोलने की दिनांक	दिनांक 23.09.2025 समय दोपहर 03.00 बजे

नोट :-निविदा के दस्तावेजों का विस्तृत विवरण https://devasthan.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in एवं eproc.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, ऋषभदेव

परकोटे में दो जर्जर भवन ध्वस्त, दो बिल्डिंग सीज

सुभाष चौक में पुन: जर्जर इमारत गिरने के बाद हैरिटेज निगम की सख्ती

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। सुभाष चौक इलाके में पुन: जर्जर इमारत गिरने के बाद हैरिटेज निगम प्रशासन हरकत में आया है। शुक्रवार को किशनपोल जोन ने परकोटे में दो भवनों के जर्जर हिस्से को ध्वस्त कर दिया, वहीं दो अन्य भवन को खाली करवाकर सीज किया है।

किशनपोल जोन उपायुक्त दिलीप भंभानी ने बताया कि जोन कार्यालय की ओर से जर्जर भवनों के निरीक्षण के लिए बनी कमेटी को 14 जर्जर भवनों की रिपोर्ट रैफर की गई थी, जिनमें 7 को पिछले सप्ताह ध्वस्त किया था, शुक्रवार को दो और भवन के जर्जर हिस्से को इंजीनियरिंग विंग की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सतर्कता शाखा की टीम भी मौजूद रहे। लोहा मंडी नाटाणी के रास्ते में एक अन्य जर्जर भवन के नीचे संचालित गोदामों को अस्थाई रूप से सीज गोदाम संचालक को मरम्मत कराने के लिए पाबंद किया है।

वहीं, हवामहल आमेर जोन उपायुक्त सीमा चौधरी ने आमेर इलाके में 11 जर्जर भवन का निरीक्षण किया और संभावित खतरे को देखते हुए मकान में रहने वाले लोगों को तुरंत मकान खाली कर मरम्मत कराने के लिए निर्देश दिए। वहीं जर्जर भवन को सीज किया। इस दौरान जोन उपायुक्त ने भवन मालिक से शपथ पत्र लेकर भवन के जर्जर हिस्से को तुरंत ध्वस्त करने या मरम्मत करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा हैरिटेज निगम की सर्तकता विंग ने बीते दो दिनों में परकोटे में आम रास्ते और बरामदों से अवैध अतिक्रमण हटाकर 21 ट्रक सामान जब्त किया है। साथ ही 18 हजार रुपए का चालान भी काटा गया। सतर्कता उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि परकोटे में अस्थाई अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही थी। ऐसे में सतर्कता शाखा को निर्देश देकर सड़क और बरामदे पर किए जा रहे अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिसमें पुलिस निरीक्षक श्रीमोहन मीणा में नेतृत्व में विशेष टीम गठन पर राजस्व निरीक्षक जगदीश सरधना ने अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान गलियों में भी अतिक्रमण कर रहे थडी ठेलो को जब्त किया गया। दो दिन में कुल 21 ट्रक सामान जब्त किया है, साथ ही 13 हजार रुपए परिवहन शुल्क लिया।

हैरिटेज नगर निगम के किशनपोल जोन की टीम ने इलाके में जर्जर इमारतों को शुक्रवार को ध्वस्त किया।

- **सतर्कता विंग ने चारदीवारी के बरामदों और सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाकर 21 ट्रक सामान जब्त किया**

800 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कराया

जयपुर (कासं)। राज्य सरकार द्वारा संचालित शुद्ध आहार - मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के निर्देशन में फूड सेफ्टी टीम ने आगरा रोड स्थित बीएस डेयरी पर छापा मारा। जांच में टीम को 800 किलो पनीर बरामद हुआ, जो जांच में रबर की तरह खिंचने वाला और दुर्गंधयुक्त पाया गया। टीम ने मौके पर ही पनीर के सैंपल लिए व शेष खेप नष्ट करवा दी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि डेयरी संचालक द्वारा यह पनीर हरियाणा से 190 रुपए किलो की दर पर मंगवा कर जयपुर शहर सहित आगरा, दिल्ली और अजमेर रोड स्थित रेस्टोरेंट्स व ढाबों को 230 रुपए किलो में सप्लाई किया जाता था। इस कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश चेजारा, विनोद शर्मा और क्लर्क पुखराज शामिल रहे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रवि शेखावत ने आमजन से अपील की है कि त्योहारों के समय खाद्य सामग्री खरीदते समय सावधानी बरतें तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य वस्तु या मिलावट की सूचना तुरंत विभाग को दें, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

परकोटे में चिन्हित किए 19 अवैध भवनों को तुरंत सील करें : हाईकोर्ट

अदालत ने कहा "आदेश की पालना हैरिटेज नगर निगम कमिश्नर की निजी जिम्मेदारी होगी"

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जयपुर परकोटे के रिहायशी इलाके में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में सख्ती बरतते हुए राज्य सरकार व हेरिटेज नगर निगम को हल्दियों के रास्ते में अवैध तौर पर चिन्हित 19 भवनों को सील करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने हैरिटेज नगर कमिश्नर को कहा है कि आदेश की पालना करवाना उनकी निजी जिम्मेदारी है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्देश शुक्रवार को शहर के रिहायशी क्षेत्र में व्यावासायिक गतिविधियों के स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में दिया।

खंडपीठ ने आगामी सुनवाई 8 अक्टूबर तय करते हुए राज्य सरकार को कहा है कि वह आदेश की पालना में की कार्रवाई का ब्यौरा दे। सुनवाई के दौरान कुछ प्रभावितों भवन मालिकों की ओर से अदालत से उनके भवनों की सील खुलवाने का आग्रह किया। जिस पर न्याय मित्र शोभित तिवारी ने कहा कि अदालत ने पूर्व में भी पूरे 19 भवनों को ही सील करने का निर्देश दिया था। लेकिन नगर निगम ने केवल 5 भवनों को ही सील किया है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि कार्रवाई में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से एएजी जीएस गिल ने अदालत से समय मांगा। अदालत ने राज्य सरकार को समय देते हुए कार्रवाई रिपोर्ट देने के लिए कहा। गौरतलब है कि इस मामले में हाईकोर्ट ने माना था कि ये 19 भवन पूरी तरह से अवैध हैं और अदालत ने इस संबंध में प्रमुख यूडीएच सचिव की कमेटी बनाकर उसे रिपोर्ट देने के लिए कहा था।

वहीं 12 भवनों को आंशिक तौर पर अवैध माना था। दरअसल हाईकोर्ट ने शहर के परकोटे में आवासीय इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए राज्य सरकार व नगर निगम से रिपोर्ट देने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि रिहायशी इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां चलाना पूरी तरह से कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2025 में हाईकोर्ट के 25 फरवरी के 19 भवनों को सील करने वाले आदेश और 10 मार्च 2025 के आदेश में दखल से इंकार करते हुए प्रभावितों की एसएलपी को खारिज कर दिया था।

- **हाईकोर्ट ने जयपुर परकोटे के रिहायशी इलाके में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में सख्ती दिखाई**

लम्पी रोग से गौवंश को बचाने की पूरी तैयारी : मंत्री जोराराम कुमावत

जयपुर। पशुपालन, गौ-पालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि लंपी रोग के बारे में किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार लंपी रोग के प्रति पूरी तरह सतर्क है और इसकी रोकथाम के लिए सभी एहतियाती कदम उठा रही है। पशुपालकों को इस बीमारी से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, विभाग अपना काम पूरी मुस्तैदी से कर रहा है और जहां भी कुछ ऐसे केस मिल रहे हैं वहां तुरंत सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। इस वर्ष अन्य राज्यों से सटे सीमावर्ती जिलों में लंपी के कुछ छिटपुट केस देखने में आ रहे हैं। इन सीमावर्ती जिलों में त्वरित कार्यवाही के लिए आर.आर.टी. का गठन कर दिया गया है। विभाग में प्रचुर मात्रा में औषधियां भी उपलब्ध हैं। रोगी गौवंश को अविलम्ब आइसोलेशन कर समुचित उपचार की व्यवस्था विभाग द्वारा सुनिश्चित कर ली गई है। वर्तमान में स्थिति पूर्णत: नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि रोग को नियंत्रित करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें से टीकाकरण और जागरूकता अभियान मुख्य हैं। टीकाकरण इस रोग से बचाव का एक प्रमुख हथियार है इसलिए राज्य सरकार ने पशुओं के टीकाकरण पर जोर दिया जिससे रोग के प्रसार को समय रहते रोका जा सके।

सार-समाचार

पशु चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण

जयपुर। पशुपालन विभाग द्वारा भारत सरकार की असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीज (एस्केड) योजना के अंतर्गत राज्य रोग निदान केंद्र के तत्वावधान में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारियों को फॉरेंसिक आस्पेक्ट ऑफ वेट्रो लीगल केसेज के पहलुओं के साथ साथ डीएनए फिंगर प्रिटिंग के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। दो चरणों में संपन्न दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रदेश भर से कुल 185 पशु चिकित्सकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के आयोजन में राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान तथा एस एम एस मेडिकल कॉलेज की भी सहभागिता रही। राज्य रोग निदान केंद्र के संयुक्त निदेशक डॉ लोकेश शर्मा ने बताया कि राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के विषय विशेषज्ञों ने प्रशिक्षणार्थियों को फॉरेंसिक पहलुओं के साथ साथ डीएनए फिंगर प्रिटिंग आदि विषयों के बारे में जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण के दौरान सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज द्वारा ब्रूसेल्ला, लेप्टोस्पाइरोसिस और स्क्रब टाइफस जैसे जूनोटिक रोगों के जांच हेतु प्रशिक्षणार्थियों का ब्लड सैंपल लिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पशु चिकित्सकों को संबोधित करते हुए विभाग के निदेशक डॉ आनंद सेजरा ने कहा कि पशु चिकित्सा न्यायशास्त्र वह क्षेत्र है जो पशु चिकित्सा कानून, नैतिकता, और कानूनी मामलों से संबंधित है, जिसमें पशुओं के उपचार के दौरान हुई लापरवाही या दुर्व्यवहार के कानूनी निहितार्थ और पशु-कानूनी मामलों में पोस्टमार्टम और कानूनी रिकॉर्ड का प्रबंधन शामिल है। उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों के क्षमतावद्धर्न के लिए इस तरह के प्रशिक्षण के कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उल्लेखनीय है कि एस्केड योजना का मुख्य उद्देश्य प्रमुख रोगों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु टीकाकरण, टीका उत्पादन तथा रोग निदान की सुविधाएं पशुपालकों को उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक हानि से बचाना है।

युवा साथी केन्द्रों के कार्मिकों को प्रशिक्षण

जयपुर। राजस्थान यूथ बोर्ड, युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इन केंद्रों के नव नियुक्त संस्था-आधारित कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन राजस्थान यूथ बोर्ड एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव डॉ. नीरज कुमार पवन उपस्थित रहे। उन्होंने विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हुए बताया कि सभी संभाग स्तर पर संचालित युवा साथी केंद्रों के माध्यम से जिलों के सरकारी एवं निजी विद्यालयों में 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक-बालिकाओं तक युवा साथी के उद्देश्य "शिक्षा, उद्यिमता, मनोरंजन, रोजगार एवं सशक्तिकरण" पर आधारित जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे। डॉ. पवन ने कहा कि युवा साथी राजस्थान सरकार की एक अभिनव पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को जोड़कर, मार्गदर्शन देकर उन्हें विकसित भारत 2047 के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाना है। राजस्थान यूथ बोर्ड के सदस्य सचिव कैलाश चन्द पहाड़िया ने 'युवा साथी' कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों पर तकनीकी प्रेज़ेंटेशन प्रस्तुत किया तथा नव नियुक्त कर्मचारियों को प्रेरित किया। यूनिसेफ, राजस्थान कार्यालय की चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हेमाली ने किशोर-किशोरियों एवं बच्चों से संबंधित सुरक्षा और संरक्षण पर विस्तृत जानकारी दी। तकनीकी सत्र के दौरान यूनिसेफ, राजस्थान कार्यालय के स्टेट कंसल्टेंट धर्मेंद्र कुमार, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर राखी, तथा स्मृति कुशवाहा (युवा साथी) ने कार्यक्रम के एवं रिपोर्टिंग सिस्टम पर विस्तृत चर्चा की। इसी क्रम में निधि (कंसल्टेंट) ने युवा नीति पर अपने विचार रखे। अमित ने 'युवा साथी पोर्टल' की जानकारी दी। कार्यक्रम में सभी संभागीय युवा साथी केंद्रों के संचालन प्रमुखों एवं कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार

जयपुर। प्रताप नगर थाना ने कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चोरी करने वाले दो वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चार चोरी के दुपहिया वाहन भी बरामद किए गए है। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि प्रताप नगर थाना ने कार्रवाई करते हुए दुपहिया वाहन चोरी करने वाले आशीष कलवाल निवासी सांगानेर जयपुर और पुखराज गुर्जर निवासी टोंक को गिरफ्तार किया है और उनके पास से चुराए गए चार दुपहिया वाहन भी जब्त की है। पुलिस पूछताछ में और भी कई वारदातें खुलने की आशंका जताई जा रही है।

2 क्विंटल डोडा-चूरा तस्करी में लिप्त दंपत्ति व बेटा गिरफ्तार

जयपुर। आतंकवाद निरोधक दस्ता राजस्थान जयपुर (एटीएस) टीम ने कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थ की सप्लाई का काम करने वाले इनामी शातिर तस्कर को उसकी पत्नी और बेटे सहित गिरफ्तार किया है। जिस के चलते इन पर पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं की ओर से आरोपित पर बीस हजार का इनाम रखा हुआ था। एटीएस की टीम ने दो माह तक इन पर नजर रखी जिस के बाद इनकी गिरफ्तारी की।

एटीएस पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विकास कुमार ने बताया कि एटीएम टीम ने सीकर जिले से वर्ष 2024 में करीब 2 क्विंटल डोडा चूरा के तस्करी के मामले में फरार शेखावाट कॉलोनी चूरू निवासी आरिफ हुसैन, उसकी पत्नी शहनाज बानो सहित बेटे जाबिद को एटीएस की टीम ने झुंझुनू जिले के बिसाऊ पुलिस थाना के पास से पकड़ा है।

गिरफ्तार इनामी तस्कर आरिफ हुसैन अपने बेटे जाबिद के नाम से रजिस्टर्ड ट्रक (कंटेनर) से मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी में लिप्त होने पर फरार चल रहा था। आरीफ हुसैन कम पढ़ा लिखा होने के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। मादक पदार्थों की तस्करी की काली कमाई से अपनी पत्नी शहनाज बानो के नाम से इनोवा गाडी व बेटे जाबिद के नाम से ट्रक (कंटेनर) खरीदे। मादक पदार्थ तस्करी में फरार आरिफ हुसैन की पत्नी शहनाज बानो व बेटा जाबिद भी फरार चल रहे थे।

इनामी आरिफ हुसैन अपनी पत्नी और बेटे के साथ सीकर में किराए का मकान लेकर मजदूरी करने की जानकारी पुलिस टीम को मिली। पिछले दो महीने से एटीएस की टीम सीकर में आरीफ के किराए के घर की पहचान करने के लिए जुटी हुई थी। जैसे ही किराए पर रहने की पुष्टि हुई पुलिस टीम ने दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार किया।

- **झुंझुनूं पुलिस ने इन आरोपियों पर 20 हजार रुपए का इनाम रखा हुआ था**
- **तस्करी की काली कमाई से आरोपी आरिफ हुसैन ने अपनी पत्नी शहनाज बानो के नाम से इनोवा गाड़ी तथा बेटे जाबिद के नाम से ट्रक खरीदे**

पाइप लाइन के बीच फंसा युवक

जयपुर। गलता गेट थाना इलाके में रोड पार करते समय एक युवक का सतुंलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से युवक डिवाइडर पर पाइप लाइन के बीच में फंस गया। घटना स्थल पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम की करीब आधा घंटे की बडी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और उपचार के लिए सैटेलाइट हॉस्पिटल भिजवाया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया। थानाधिकारी उदय यादव ने बताया कि जयपुर दिल्ली हाईवे पर स्थित गणेशपुरी में सड़क के बीचो-बीच डिवाइडर पर पानी की पाइप लाइन डाली हुई है। गुरुवार रात 9 बजे रोड पार करते समय युवक डिवाइडर पर चढ गया और उसका पैर फिसल गया।

पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे ग्रामीण तब दर्ज हुई भू-माफियाओं के खिलाफ एफ.आई.आर.

बस्सी क्षेत्र में भू-माफियाओं के आतंक और अवैध कब्जों की शिकायत लेकर पहुंचे थे लोग

जयपुर (कासं)। बस्सी क्षेत्र में भू-माफियाओं के बढ़ते आतंक और अवैध कब्जों से त्रस्त ग्रामीणों ने आखिरकार पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कमिश्नर ने एसीपी बस्सी को भू-माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

प्रभावित ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से सक्रिय भूमाफिया गिरोह उनकी वैध रूप से खरीदी गई दुकानों और भूखंडों पर जबरन कब्जा कर रहा है। भू-माफियाओं ने बाउंड्रीवाल तोड़कर व पक्के निर्माण को ध्वस्त कर भूखंडधारियों को जान से मारने की धमकियां दी।

पीड़ित सतीश सोनी ने बताया कि आरोपी उनकी दुकानें तोड़कर मलबा तक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर ले गए ताकि दुकान का सबूत भी मिटाया जा सके। वहीं, रामदयाल जोगी ने कहा कि वे 20 वर्षों से अपने मकान में रह रहे हैं, बिजली का कनेक्शन भी है, इसके बावजूद लगातार मकान खाली करने और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर गैरकानूनी कब्जे किए और दुकानों व भूखंडों को नुकसान पहुंचाया।

उल्लेखनीय है कि गोनेर रोड स्थित सिमरन वाटिका में वर्ष 2005 में भूमि विक्रय हुई थी। इसके बाद से लोगों ने मूल खातेदारों से भूखंड खरीदकर कॉलोनी विकसित की और निर्माण कार्य किया। पीड़ितों का कहना है कि इस कॉलोनी में 20 से अधिक लोगों ने भूखंड और दुकानें खरीदी हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस दोषियों की गिरफ्तारी कर उचित कार्रवाई नहीं करती तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे।

पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीणों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। इसमें रामबाबू शर्मा, कमल कुमार शर्मा, मुकेश मीना और बाबूलाल मीना समेत कई लोगों पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने और मारपीट कर डराने-धमकाने का आरोप है। पूर्व में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पीड़ित ने एसीपी विनय डी.एच. से भी शिकायत की थी। इसके बाद एसीपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और भू-माफियाओं की अवैध गतिविधियों को तुरंत रोकने के निर्देश दिए थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्व विधायक प्रत्याशी चन्द्रमोहन मीना ने भी पीड़ितों से फोन पर बात कर हर संभव मदद और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता अमरीश शर्मा ने बताया कि पीड़ितों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को कोर्ट में पेश कर दावा किया जाएगा। उन्होंने भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जों को गलत ठहराते हुए पीड़ितों को हरसंभव न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया।

बस्सी क्षेत्र में भू-माफियाओं की शिकायत लेकर स्थानीय ग्रामीण पुलिस के पास पहुंचे।

राजस्थान हाईकोर्ट ने कस्टम्स आयुक्त द्वारा 14 वर्ष पहले दिए गए "कारण बताओ नोटिस" और न्यायिक कार्रवाई रद्द की

वर्ष 2022 में कंपनी के मालिक के पुत्र के खिलाफ "टैक्स" ब्याज व पेनल्टी वसूलने के आदेश को भी रद्द किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिल्ली में स्थित "कस्टम के आयुक्त" द्वारा एक कंपनी को वर्ष 2008 में दिए गए "कारण बताओ नोटिस" पर 14 साल बाद न्यायिक प्रक्रिया और सुनवाई शुरू करने तथा वर्ष 2022 में कंपनी के मालिक के पुत्र के खिलाफ "टैक्स" ब्याज व पेनल्टी वसूलने के आदेश को रद्द किया है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में कंपनी के मूल मालिक की वर्ष 2021 में मृत्यु हो गई थी और उनके पुत्र ने अपने पिता से विरासत में उनकी कंपनियों का मालिकाना हक भी प्राप्त नहीं किया था।

इस मामले के तथ्य के अनुसार याचिकाकर्ता शिवेक शर्मा के पिता पवन कुमार शर्मा "मैसर्स मीनाक्षी इंटरनेशनल जयपुर" के मालिक थे। यह कंपनी गारमेंट्स, लेदर और ब्रास आइटम्स का व्यवसाय करती थी। इस कंपनी के खिलाफ वर्ष 2006 में हुई एक शिकायत के आधार पर कस्टम विभाग ने एक जांच शुरू की थी। इस शिकायत के आधार पर दिसंबर 2006 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने उक्त कंपनी के ठिकानों पर छापे मारे थे। इसी जांच के दौरान, वर्ष 2001 से 2005 के बीच उक्त कंपनी तथा "जे.एस. इंटरनेशनल" "मैसर्स कनिष्का इंटरनेशनल" और इनके मालिकों को भी "कारण बताओ नोटिस" भेजे गए थे।

हैरानी की बात है कि इस "कारण बताओ नोटिस" को जारी करने के 13 साल बाद तक कस्टम आयुक्त ने इस प्रकरण में किसी भी तरह की न्यायिक प्रक्रिया आरंभ नहीं की थी। इसी बीच 22 अप्रैल 2021 को पवन कुमार शर्मा का निधन हो गया था, परंतु उनके पुत्र, जिसने अपने पिता की मृत्यु के उपरांत, उक्त कंपनी का मालिक आना भी प्राप्त नहीं किया था, उसे कस्टम्स के आयुक्त द्वारा 2008 में भेजे गए "कारण बताओ नोटिस" के मामले में सुनवाई के लिए बुलाया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में पवन कुमार शर्मा के पुत्र की उम्र 13 वर्ष की थी।

याचिकाकर्ता शिवेक शर्मा ने कस्टम के आयुक्त को मामले की जानकारी नहीं होने के बारे में कहा। साथ ही यह भी कहा कि मैं इस कंपनी का मालिक नहीं हूं। विभाग द्वारा दिए गए उस "कारण बताओ" नोटिस की कॉपी भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। परंतु कस्टम्स आयुक्त ने इन तमाम दलील और तर्कों को अनसुना कर दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसने कम से कम 3 बार कस्टम्स के आयुक्त को पत्र लिखे थे कि उसे उक्त कंपनी के व्यवसाय में लेनदेन की जानकारी नहीं है और ना ही समझ है। परंतु आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ता की सभी दलीलों और तर्कों को दरकिनार किया।

शिवेक शर्मा की ओर से कस्टम्स आयुक्त को यह भी बताया गया कि पिता की मृत्यु उपरांत उनके पुत्रों पर कस्टम के टैक्स की देनदारी का भार नहीं डाला जा सकता है। इसलिए कस्टम विभाग को यह कार्यवाही यही रोक देनी चाहिए। उक्त मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका ने बताया कि कस्टम्स एक्ट 1962 में कारण बताओ नोटिस पर न्यायिक कार्रवाई शुरू करने या उसे अंजाम देने की कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है, परंतु इसी कानून की धारा 28 में लिखा गया है कि नोटिस जारी किए जाने के 6 महीने के भीतर ही न्याय कार्यवाही शुरू की जाए और एक वर्ष के भीतर ही इस न्यायक प्रक्रिया में सुनवाई को खत्म किया जा सकता है।

अदालत ने इस मामले में कस्टम्स आयुक्त के रवैये के खिलाफ कई कड़ी टिप्पणियां की है। पहला कि, उन्होंने 14 साल बाद "कारण बताओ" नोटिस पर न्यायिक सुनवाई क्यों शुरू की? दूसरा कि, कार्रवाई में एक दशक के विलंब पर चुप्पी क्यों साधे रखी। तीसरा, याचिकाकर्ता द्वारा बार-बार जांच के विषय में पूछने पर अंधेरे में क्यों रखा गया और उसके द्वारा दिए गए तर्कों को दरकिनार क्यों किया गया? मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम और न्यायाधीश मनीष शर्मा की खंडपीठ ने अपनी कठोर टिप्पणियां रिकॉर्ड करते हुए कस्टम के आयुक्त द्वारा दिए गए "कारण बताओ नोटिस" और उस पर की गई न्यायिक कार्रवाई को रद्द किया है।

- **अदालत ने इस मामले में कस्टम्स आयुक्त के रवैये पर कई कड़ी टिप्पणियां की। अदालत ने कहा कि, 14 साल बाद "कारण बताओ" नोटिस पर न्यायिक सुनवाई क्यों शुरू की? कार्रवाई में एक दशक के विलंब पर चुप्पी क्यों साधे रखी। याचिकाकर्ता द्वारा बार-बार जांच के विषय में पूछने पर अंधेरे में क्यों रखा गया और उसके द्वारा दिए गए तर्कों को दरकिनार क्यों किया गया?**

Celebrating the Power of Dance

National Dance Day, celebrated on September 20, 2025, is an occasion that highlights the joy, creativity, and health benefits of dance. Established to inspire people of all ages to embrace movement, the day promotes dance as both an art form and a fun way to stay physically active. From classical styles to modern hip-hop, dance bridges cultures, tells stories, and strengthens communities. In India, where diverse dance traditions, from Bharatanatyam to Bhangra, reflect the nation's cultural richness, the day is a reminder of how movement can uplift spirits, improve well-being, and foster togetherness through rhythm and expression.

#HERO

Devil's Apple

Potatoes, From the Prison Cell to Europe's Salvation!

Long before it became a household staple, the potato was viewed with deep suspicion across Europe. When it first arrived from the Americas in the 16th century, its underground growth and strange appearance made it seem unnatural, almost sinister. Its relation to toxic nightshades like belladonna only deepened fears. Rumors spread that it caused leprosy, madness, or moral corruption. In religious circles, some even dubbed it the 'Devil's Apple,' believing no godly food could thrive buried in the dark. For

centuries, the humble tuber was rejected by farmers, shunned by nobles, and feared by the common folk alike.

A Prisoner's Diet: When Survival Meets Science

Enter Antoine-Augustin Parmentier, a French army pharmacist. Captured during the Seven Years' War and held prisoner by the Prussians, he was fed almost exclusively on potatoes during his captivity. Far from suffering ill health, Parmentier remained surprisingly well-nourished. When he returned to France in 1763, he set out on a one-man campaign to change public perception of the potato. Armed with scientific studies, public outreach, and savvy publicity stunts, he turned the once-feared tuber into a symbol of nourishment and hope.

The Rising: Potato's Breakthrough in Europe

Europe in the 18th century was no stranger to hunger. Famines were frequent, France alone suffered forty nationwide famines between 1500 and 1800, and England faced seventeen major ones between 1523 and 1623. Parmentier's advocacy proved pivotal. He convinced the Paris Faculty of Medicine that potatoes were safe to eat as early as 1772. He hosted lavish dinners centering on potatoes, persuaded royalty like Louis XVI and Marie Antoinette to wear potato blossoms in public, and even staged potato fields just outside Paris, so that inviting that hungry citizens would steal the crop, thereby spreading its cultivation.

It wasn't only France. Prussia, under Frederick the Great, had earlier mandated potato planting during famine to provide food security.

Harvesting Hope: The Potato's Role in Ending Famine

The impact was seismic. Farmers could plant potatoes on otherwise fallow land, doubling available calories per acre compared to grain. This innovation dramatically bolstered food security across Europe.

By the late 18th century, the potato had become a dietary staple in countries from Ireland to Russia, helping blunt the worst effects of famine, and ultimately preventing repeated mass starvation. Economists like Adam Smith recognized the potato's power to increase population: a staple crop capable of feeding more people per acre enabled Europe's demographic boom.

Legacy: From Distrusted Tuber to Lifesaver

Antoine Parmentier's experience as a prisoner turned into a beacon of reform. By championing a maligned crop born of 'devil's earth,' he helped transform European diet, agriculture, and even demography. His efforts turned the 'Devil's Apple' into the backbone of famine relief, reshaping Europe's food landscape.

Conclusion

The journey of the potato, from a feared, 'devilish' root to a celebrated famine fighter, embodies transformation. Through Parmentier's determination, a rejected tuber gained respect and became a cornerstone in European survival and progress. What began in the darkness of a prison cell sprouted hope across a continent.

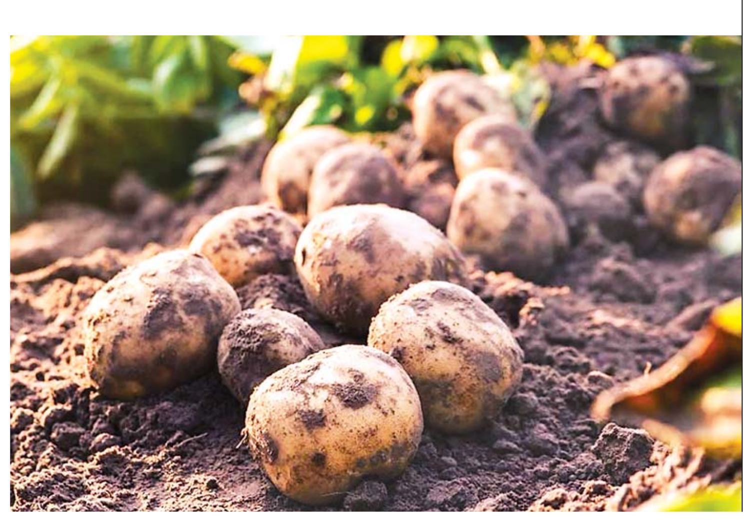

The Gun Gave Out At Wrong Times And The Bow Was Sacred

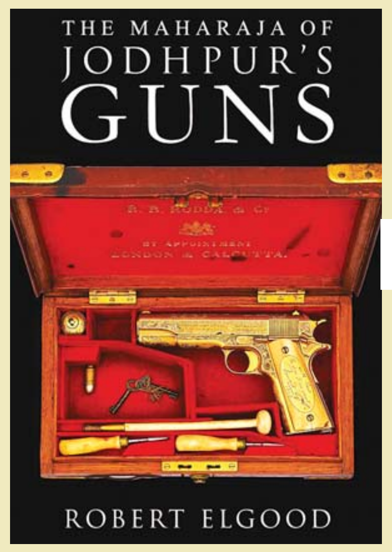

PART:3

The British, at that time, thought the bow was archaic but Indians took a different view and it was commonly included among the weapons in the howdah of princes out hunting until very late in the nineteenth century, for use as well as the symbol of a gentleman. James Tod, who knew the people well, wrote in 1830: "The Rajput who still curses those vile guns which render of comparative little value the lance of many a gallant soldier, and he still prefers falling with dignity from his steed to descending to an equality with his mercenary antagonists."

Anjali Sharma
Senior Journalist & Wildlife Enthusiast

The nineteenth-century writer Irvine argued that in India, until the mid-eighteenth century, the bow was considered a far more reliable weapon than firearms. Too much credence in the apparent technical superiority of the matchlock over the bow has encouraged the assumption that firearms were swiftly adopted. True that it was easier to train a matchlock man than a bowman, but the theoretical advantages of the gun was often negated on the battlefield by it not working or poor powder or a shortage of bullets, all very common in India, when responsibility was individual, until the development of a competent commissariat and a conscientious and honest supervisory structure. This applies to Indians and Europeans. There are accounts of small units of British soldiers being hastily sent up-country in 1857 with half their muskets defective or lacking flint, powder or shot.

The Rajput view on this would probably admit the use of guns as a necessary evil but favour the bow until the mid-eighteenth century. The Rajputs are conservative people and the bow won approval because it was used by familiar heroes in classic literature. Bhishma, 'Terrible,' a prominent warrior in the Mahabharata, displays Rajput virtues as a man of courage, honour, loyalty and chivalrous behaviour, which all warriors would be taught since childhood to emulate.

Akbar shot Jaimal at the siege of Chittor.

> The Rajput view on this would probably admit the use of guns as a necessary evil but favour the bow until the mid-eighteenth century. The Rajputs are conservative people and the bow won approval because it was used by familiar heroes in classic literature. Bhishma, 'Terrible,' a prominent warrior in the Mahabharata, displays Rajput virtues as a man of courage, honour, loyalty...

The Rathores deliberately sought death in battle as a sacrifice to the Goddess and Bhishma was gloriously pierced by so many arrows in battle that he fell from his chariot. His dying body was held off the ground by the arrow shafts protruding from his body. Lying on this couch of arrows, he managed to delay his death for fifty-eight days until the sun started its northern course because Rajputs believed that the passage to warrior heaven is easier during this period.

In Hinduism, dharma, a Vedic concept, changes its meaning over the centuries and cannot be expressed in a single word but 'order,' 'model,' 'custom,' 'duty' and 'law' have been used concerning it. Hinduism personifies dharma as a deified Rishi (enlightened person) personifying goodness and duty. His son is Yudhishthira, 'firm in battle.' Dharma expresses the obligation of correct behaviour in all aspects of daily life integrated with religious duties so that individual responsibilities and cosmic order can harmoniously align. Rajput dharma adds to this philosophical concept a unique social and religious code of its own that is the core of group identity and behaviour patterns.

Individual Rajputs acknowledge rigidly shared sanctified rules, declaimed by court poets (Charans) and enforced by group pressure that gloried in and maintained tradition. Rajput dharma created an exclusive, tightly united, conservative group that was unsympathetic to the use of guns.

The Rajputs were taught that the bow was a part of Rajput dharma and that warriors should practise with it every day, either hunting, or shooting at a baked earth target. It took years of practice to become a good archer. The bow in question was not the great self bows used by the indigenous peoples, that are depicted in the hands of many of India's warrior gods. It was the kaman turki, chahar kham (four curved) recurved bow, used in Central Asia from the third millennium BC that came to India at the time of the Scythian invasions. Made of horn, sinew and wood, painted and lacquered to make the bow waterproof and attractive, such bows, the work of skilled craftsmen, were vulnerable to the climate and often had to be replaced. For Rajputs and Muslims, the bow was a status symbol.

#THE INDIAN MATCHLOCK

New Indian dynasties, seeking to burnish their kshatriya credentials, noted this and sometimes used the bow and quiver in their accession ceremonies. Guru Har Gobind, the sixth Sikh Guru, put on a quiver and held a bow in his ceremony in 1606. The same recurved bow was used by Indian Muslims. The Prophet, himself an archer, had urged the faithful to practise with the bow, so, for Muslims archery was a spiritual exercise. For these reasons, the bow remained popular. Irvine heard stories of British troops killed with arrows in the Mutiny. The British, at that time, thought the bow was archaic but Indians took a different view and it was commonly included among the weapons in the howdah of princes out hunting until very late in the nineteenth century, for use as well as the symbol of a gentleman. James Tod, who knew the people well, wrote in 1830: "The Rajput who still curses those vile guns which render of comparative little value the lance of many a gallant soldier, and he still prefers falling with dignity from his steed to descending to an equality with his mercenary antagonists."

The transition from matchlock to flintlock in the eighteenth century was gradual and largely due to European military commanders appointed by Indian rulers. The eighteenth-century European wars between the British and French were also fought in India where defeat resulted in disbanded French soldiers seeking employment, training and equipping local armies in the European manner. The Maratha sardar's 'regular' infantry were increasingly armed with flintlocks, but they also recruited Kolis and Bhils armed with matchlocks as auxiliary troops.

A Scottish mercenary, Colonel George Sangster, was employed by the mercenary General de Boigne to create an arsenal at Agra in 1790. 'Sangster, who had trained as a gunfounder and manufacturer before coming to India, cast excellent cannon and made muskets as good as the European models for ten rupees each.' It was customary for European mercenaries to equip their troops with arms and ammunition. De Boigne's camp included Najibs, Pathans, Rohillas and high-caste Hindus and these gave up their matchlocks and were equipped with Sangster's flintlocks. He eventually created five arsenals run by daroghas, at Mathura, Delhi, Gwalior, Kalpi and Gohad. Indian troops used their flintlocks in idiosyncratic ways as Fitzclarence noted in 1817:

"As we approached… I was thrown upon the qui vive by the flash of a gun or pistol in that direction; but, from no report reaching me, I was convinced it had originated in that most unsoldierly trick so common among the native cavalry of India, of flashing in the pan of their pistols to light their pipe."

In 1796, a European observer noted that the matchlocks of the irregular infantry at Oudh 'carried further and infinitely truer than the firelocks (flintlocks) of those days.' Fitzclarence in 1818 wrote that: "…the matchlock is the weapon of this country" and "the flintlock… is far from being general, and I may even say is never employed by the natives, though the Terlinga, armed and disciplined after our manner, in the service of Scindiah and Holkar, make use of it. Some good flintlocks are, however, made at Lahore." However, in the early nineteenth century, Lahore also continued making matchlocks, popular in Rajasthan and, 'like the locally produced examples, they are often highly finished and inlaid with mother-of-pearl and gold, those of Bundi are the best.' Tod noted that matchlocks, swords and other arms were manufactured at Pali and Jodhpur.

Egerton, an experienced arms collector in India from 1858, reports that Kotah and Bundi made famous matchlocks. This probably reflects the arms market created by Kotah's prime minister, Zalim Singh, who in the latter part of the eighteenth century, hired large numbers of mercenaries to defend the state against the Marathas. These troops included two brigades led by Firangis, who had become Indian in all but name, brigades of Dadhu Panthi Naga ascetics, individual Marathas and a great many Pathans. In the late eighteenth century, many Pathans were in Rohilla service in the Rampur region, but after the British helped the Nawab of Oudh to defeat the Rohillas in 1774, there was a general reshaping of north Indian military employment and the Pathans moved west of the Ganges and found employment in Kotah, Jodhpur, and indeed, all the Rajput states. These troops brought their arms with them but needed the support bazaar gave them until Zalim Khan, probably acting with the advice of French officers, introduced central control on all aspects including equipment, towards the end of the eighteenth century.

The Pushtun Amir Khan, deeply involved in Rajput affairs, ended as Nawab of Tonk in 1806, a good example of a mercenary's rise to power. He was born in Sambhal in Rohilkhand in 1767 and started as a leader with ten men. By 1814, he commanded 30,000 horse and foot and a well-run train of artillery. Nineteenth-century inventories give the origin of guns, showing that at that date, the Rajputs made gun barrels and also imported them, but these are generally hunting guns. A distinction needs to be made between the needs of the aristocracy, the mercenary, and the peasant, who sought cheap guns to defend his mud-walled village from marauding Pindaris, Marathas, dacoits, wild animals, rapacious landlords and tax collectors.

The Rajputs had no military necessity to adopt new technology because from 1818, the British were treaty-bound to protect the Rajput states. Rajputs acquired European hunting guns if they had good contacts but paintings rarely show maharajas using them and they were rare until the 1840s. One sees relatively few in the state armouries until the nineteenth-century military examples come into use. Sometimes, one finds whole rooms of racked nineteenth century British military weapons in forts, as though a regiment had handed in their arms and marched away. From the Indian point of view, the complex flintlock mechanism had to be kept clean, lubricated and was hard to repair. The matchlock had few moving parts, was cheap to produce, easy to maintain and repair and used as a locally grown match. Gun flint is not found in India and had to be imported from Europe. Agates, used as a substitute, were extremely hard and damaged the frizzen. A variety of sizes was required and these needed reversing in the jaw of the cock when they became worn after a small number of shots, usually using a knife edge as a screwdriver. The flintlock was an unreliable weapon. It is suggested that even in good weather, it misfired 15 per cent of the time, and in damp or wet weather, the rate rose significantly. European flintlock mechanisms were not used to upgrade Rajput matchlocks. This is surprising since their neighbours, the Sindhis when given European guns as presents, usually discarded all but the English lock they fitted to their jezails. Sometimes, they copied these, Sindhi lockplates spuriously signed Parker after the noted London maker being particularly common. In this, they were possibly influenced by Persian attitudes to Western guns, Persian metalworkers being technically competent and happy to copy Western gunlocks in the nineteenth century. Iqtidar Alam Khan wrote that 'the inability of the Indians to copy cast-iron cannon and adopt more efficient flintlocks as standard military muskets were perhaps the two most conspicuous failures in the field of firearms during the seventeenth century.'

Concluded.

rajeshsharma1049@gmail.com

A Mughal Infantryman.

> The matchlock had few moving parts, was cheap to produce, easy to maintain and repair and used as a locally grown match. Gun flint is not found in India and had to be imported from Europe. Agates, used as a substitute, were extremely hard and damaged the frizzen. A variety of sizes was required and these needed reversing in the jaw of the cock.

#FROM STING TO CURE

Honeybee Venom Defeats Breast Cancer

Melittin's ability to destroy aggressive cancer cells selectively means it could be developed into a powerful new treatment

In a groundbreaking development, scientists have discovered that honeybee venom, specifically a powerful compound called melittin, can destroy aggressive breast cancer cells in laboratory tests. This fascinating finding opens up new avenues for cancer research and potential therapies targeting one of the most challenging forms of breast cancer.

What is Melittin?

Melittin is the main active component of honeybee venom, making up about 50% of its dry weight. It is a small peptide known for its potent anti-inflammatory, antibacterial, and antiviral properties. Traditionally, melittin has been studied for its role in treating arthritis and other inflammatory conditions, but recent research has revealed its ability to attack cancer cells.

The Science Behind the Discovery

Researchers conducted laboratory experiments exposing aggressive triple-negative breast cancer cells (TNBC), a subtype known for its resistance to many conventional treatments, to melittin. The results were promising.

- Melittin was able to penetrate the cancer cells' membranes and disrupt their integrity.
- It induced cell death (apoptosis) by interfering with the cancer cells' ability to reproduce.
- The compound specifically targeted aggressive cancer cells, leaving healthy cells mostly unharmed.
- This specificity is crucial because one of the biggest challenges in cancer treatment is destroying tumor cells without damaging healthy tissue.

Why is This Important?

Triple-negative breast cancer is among the most difficult breast cancers to treat. It lacks the three receptors (estrogen, progesterone, and HER2) that many common breast cancer therapies target, making standard hormone treatments ineffective. Finding new ways to attack TNBC cells is a top priority in oncology. Melittin's ability to destroy these cells selectively means it could be developed into a powerful new treatment, potentially improving survival rates for patients with aggressive breast cancer.

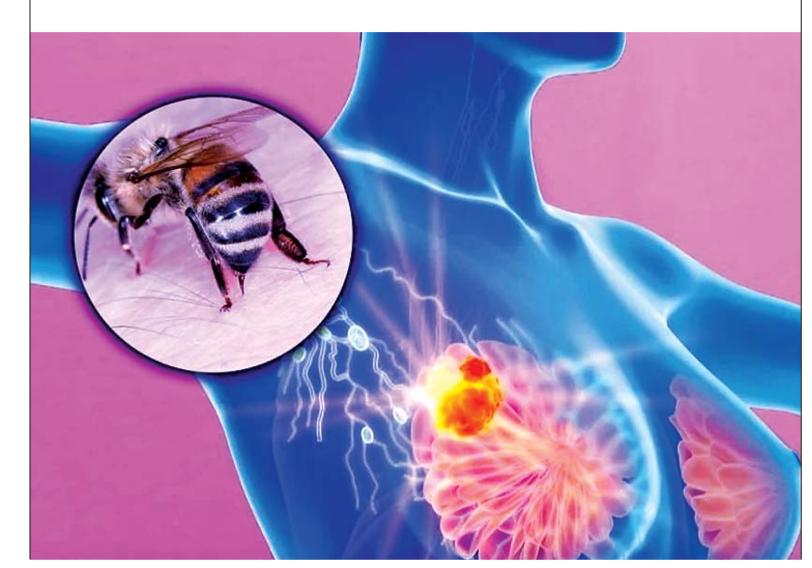

Challenges and Future Directions

While the laboratory results are exciting, translating them into practical treatments faces challenges.

Toxicity: Honeybee venom is toxic and can cause severe allergic reactions. Scientists need to develop delivery methods that harness melittin's cancer-killing power without harming patients.

Targeted Delivery: Researchers are working on nanoparticles and other vehicles to deliver melittin directly to tumor sites, minimizing side effects.

Clinical Trials: Extensive testing in animals and humans is necessary to confirm safety and effectiveness.

Despite these hurdles, the discovery marks an important step forward in cancer research.

Nature's Medicine Chest

This discovery underscores the incredible potential of natural compounds in medicine. Honeybees, often celebrated for their role in pollination and honey production, might also hold keys to future cancer therapies. As researchers continue to explore bioactive substances from nature, melittin stands out as a promising candidate for next-generation cancer treatments.

The ability of honeybee venom, and specifically melittin, to destroy aggressive breast cancer cells in the lab offers hope for developing new, targeted cancer therapies. While further research is required before it becomes a mainstream treatment, this natural compound could revolutionize the way we approach difficult cancers like triple-negative breast cancer.

In the quest to defeat cancer, sometimes, the smallest creatures provide the biggest breakthroughs.

THE WALL

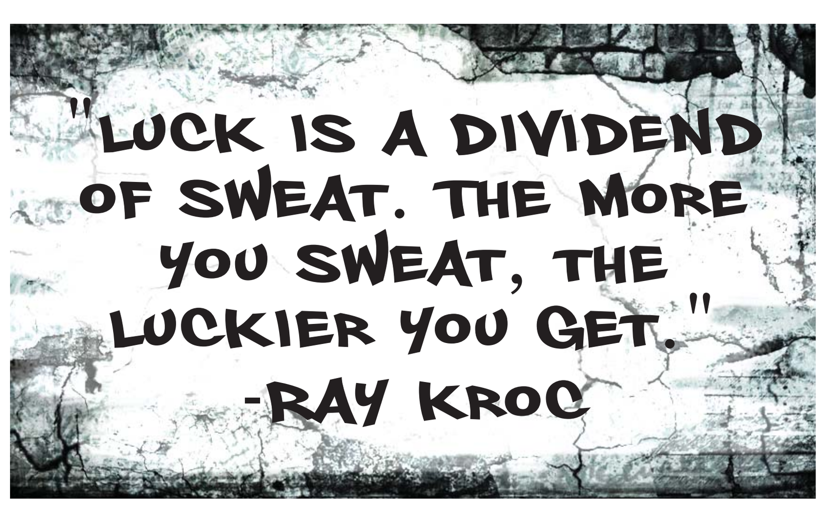

BABY BLUES

By Rick Kirkman & Jerry Scott

ZITS

By Jerry Scott & Jim Borgman

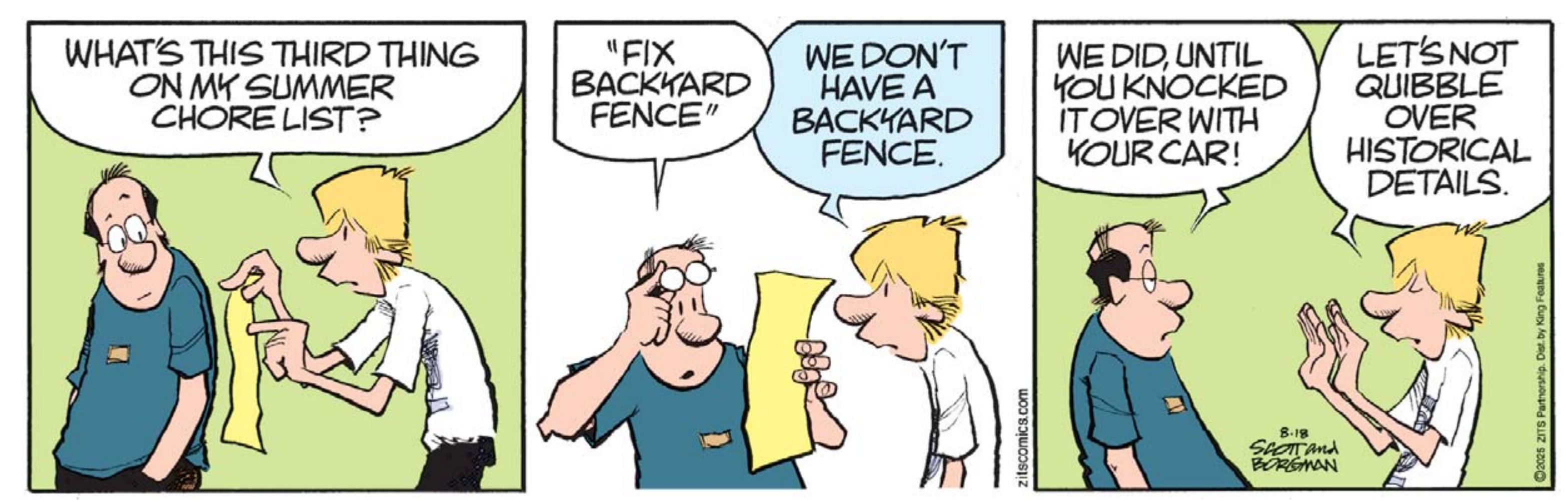

धीरज गुर्जन व खाचरियावास की मौजूदगी में भीलवाड़ा में ''फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन'' शुरु

अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों पर तुरंत मुआवजा दिलाने की मांग की

भीलवाड़ा। जिले के किसानों की बर्बाद फसल और जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज ''फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन'' की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर के साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, प्रहलाद गुंजल ने की। खटिक छात्रावास, अहिंसा सर्किल में जनसभा के आयोजन करने के बाद रैली के रूप में सांगानेरी गेट, रामस्नेही अस्पताल, श्री गेस्ट हाउस चौराहा, मंगला चौक, भीमगंज चौकी, गोल प्याऊ चौराहा और रेलवे स्टेशन होते हुए जिला न्यायालय के सामने से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां किसानों की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा सौंपा।

भीलवाड़ा जिले के किसानों की बर्बाद फसल और जनता की बुनियादी समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आज ''फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन'' की शुरुआत की।

- जनसभा के आयोजन करने के बाद रैली के रूप में सांगानेरी गेट, रामस्नेही अस्पताल, श्री गेस्ट हाउस चौराहा, मंगला चौक, भीमगंज चौकी, गोल प्याऊ चौराहा और रेलवे स्टेशन होते हुए जिला न्यायालय के सामने से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां किसानों की ओर से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा

पूर्व मंत्री गुर्जर ने बताया कि आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मिलकर सरकार से पाँच सूत्रीय माँगों को लेकर ज्ञापन सौंपने, जिसमें जिलेभर में अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों की घोषणा कर किसानों को तुरंत मुआवजा दिलाना, सरपंचों को मिले न्यायालय आदेशों की पालना सुनिश्चित कराना, पंचायत परिसीमन में जनता की भावनाओं का ध्यान रखना, विद्यालयों में जर्जर भवन व शौचालयों की मरम्मत कर बच्चों की सुरक्षा करना तथा भीलवाडा शहर में सीवरेज और सड़क निर्माण कार्यों से उत्पन्न अव्यवस्था को दूर करना प्रमुख बिंदु हैं। कांग्रेस और किसानों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। शहर के मुख्य मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और जुलूस मार्ग पर विशेष निगरानी रखी गई ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या बाधा उत्पन्न न हो। हजारों की संख्या में किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गईं।

आश्वासन पर किसानों का धरना समाप्त

गुडामालानी। उपखंड मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ के बैनर तले तहसील परिसर के सामने किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना तहसील कार्यालय के सामने दिया जा रहा था। धरना स्थल पर उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा, पुलिस उपाधीक्षक सुखाराम विश्नोई, प्रधान बिजलाराम चौहान,विधुत विभाग अधिकारी देवेन्द्र कच्छवाह पहुंचकर किसानों से वार्तालाप कर आश्वासन दिया।

तहसील अध्यक्ष खेताराम सियाग एवं जिला मंत्री दिनेश पटेल ने बताया कि चार दिनों से मुख्यालय पर किसानों द्वारा रबी वर्ष 2022 एवं 2023 में ओलावृष्टि होने के कारण पुरे क्षेत्र में ईसबगोल व जीरे की फसल के साथ अन्य किस्म की फसलें अत्यंत खराबा होने के बावजूद भी अभी तक अनुदान राशि नहीं मिली एवं रबी एवं खरीफ सीजन की बकाया सब्सिडी और आदान अनुदान राशि सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में धरना दिया जा रहा था। इस दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर आकर जिला स्तर पर उच्च अधिकारियों से बात कर किसानों से वार्तालाप कर 15 दिनों तक उनके मांग को पुरा करनी बात कहने पर सभी किसानों ने धरना समाप्त किया। उपखंड अधिकारी केशव कुमार मीणा ने कहा कि किसान अपने अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा लगाए जा रहे कैम्प में जाकर उसका फायदा लेवे। वही किसानों के आने वाली समस्याओं का समाधान होने कि बात कही। पुलिस उपाधीक्षक सुखाराम विश्नोई ने कहा कि नशा मुक्ति को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है।

भिवाड़ी में जलभराव निस्तारण को लेकर मंत्री की उद्योगपतियों से चर्चा

मंत्री ने उद्योगपतियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग भी किया

अलवर। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को रिको गेस्ट हाउस सभागार, भिवाडी में उद्योगपतियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भिवाडी जलभराव की समस्या के निस्तारण को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री ने उद्योगपतियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग करते हुए अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं उपचार की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया। इससे पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने केंद्र एवं राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय बैठक भी ली, जिसमें भिवाडी जलभराव समाधान के संबंध में व्यापक चर्चा की गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने औद्योगिक क्षेत्रों में अपशिष्ट जल प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक में सीईटीपी (सेंट्रल इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन के अनुरूप एफ्लूएंट जल की सघन मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी परिस्थिति में उपचारित किए बिना अपशिष्ट जल को खुली नालियों में नहीं छोड़ा जाए। उन्होंने उद्योगपतियों को उनके दायित्वों से अवगत कराते

मंत्री भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय उच्च स्तरीय बैठकों के बाद भिवाडी में ली विभिन्न विभागों एवं उद्योगपतियों की बैठक ली।

हुए सीईटीपी के माध्यम से ही जल का शोधन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक में विशेषज्ञों ने भिवाडी जलभराव की समस्या के निस्तारण हेतु प्रस्तावित डीपीआर पर विस्तार से जानकारी दी। इसमें भिवाडी क्षेत्र के घरेलू जल, औद्योगिक अपशिष्ट जल और वर्षा जल का पृथक्करण कर उपचारित जल को औद्योगिक इकाइयों को पुन: उपयोग हेतु उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शामिल है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक इकाइयों के दूषित जल उपचार हेतु 6 एमएलडी क्षमता की सीईटीपी पहले से स्थापित है, जबकि 34 एमएलडी क्षमता का एसटीपी निर्माणाधीन है। इसे एडिशनल और टर्शरी ट्रीटमेंट तकनीक से आधुनिक बनाकर औद्योगिक इकाइयों के पैरामीटर के आधार पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग औद्योगिक इकाइयों में पुन: किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने औद्योगिक इकाइयों को अपने जल उपयोग के पैरामीटर साझा करने के निर्देश दिए ताकि एसटीपी को अपठोड कर गुणवत्ता के अनुरूप पानी सप्लाई किया जा सके। बैठक में बताया गया कि भिवाड़ी एवं चौपानकी औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 10.2 एमएलडी पानी का उपयोग हो रहा है। आगामी योजना के तहत एसटीपी से उपचारित जल को औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराने के साथ-साथ शेष जल को कृत्रिम झील और सारेखुर्द बांध तक पहुँचाया जाएगा।

ग्रामीणों ने किया सेवा शिविर का बहिष्कार

पोकरण। विधानसभा क्षेत्र में ओरण, गोचर, तालाब एवं आगोर की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्राम पंचायत आसकन्द्रा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का ग्रामीणों ने सामूहिक बहिष्कार किया।

ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी वर्षों पुरानी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे किसी भी प्रशासनिक शिविर में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो पूरे जैसलमेर जिले के ग्रामीण सेवा शिविरों का बहिष्कार किया जाएगा। गुरुवार को सुबह से शाम तक ग्राम पंचायत का एक व्यक्ति ने शिविर पांडाल में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, ग्रामीणों की मुख्य मांगें चारागाह भूमि सुरक्षित करना - गाँव के मवेशियों के लिए पारंपरिक चरागाह (गोचर व ओरण) की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जाए, ताकि इन पर अतिक्रमण न हो। गाँव के तालाब, नाडी व आगोर को सुरक्षित दर्ज कर उनकी सफाई और संरक्षण की व्यवस्था की जाए। सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर हो रहे कच्चे-पक्के अतिक्रमण तुरंत हटाए जाएँ।

मृतक की विधवा को तीन वर्ष बाद न्याय मिला

20 लाख रु. मुआवजा देने के आदेश

जालोर। जिला उपभोक्ता आयोग जालोर के अध्यक्ष घनश्याम यादव ने बीमा कंपनी को सेवा में त्रुटि का दोषी मानते हुए मृतक की विधवा को बीमा क्लेम की राशि बीस लाख रुपए मय ब्याज देने का आदेश सुनाया है। साथ ही बीमा कंपनी पर एक लाख सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

परिवादी सीतादेवी पत्नि धनाराम चैधरी, निवासी कारलू ने परिवाद पेश कर बताया कि परिवादीयां के पति धनाराम द्वारा बीमा कम्पनी एस.बी.आई. जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि. से एक व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी एक वर्ष की अवधि के लिए ली थी, जिसके लिए परिवादीयां के पति द्वारा एसबीआई बीमा कम्पनी को एक हजार रुपये का भुगतान किया था। 14 मार्च 2020 को परिवादीया के पति अपनी स्कूटी से कारलू से शिवगढ जा रहे थे तो अचानक स्कूटी से गिरने से उनके सिर में गहरी चोट आई, जिससे दौराने इलाज उनकी मौत हो गई। परिवादीया ने एक क्लेम सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित नॉमिनी होने से एसबीआई बीमा कम्पनी के समक्ष पेश किया। बीमा कंपनी ने अपने पत्र 18 फरवरी 2021 के द्वारा क्लेम को खारिज किये जाने की सूचना दी। जिस पर परिवादिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विधिक नोटिस भेजा। जिसका बीमा कंपनी ने जवाब भेजकर क्लेम देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी बीमा कम्पनी ने केवल मात्र सुनी सुनाई बातों को आधार मानकर बीमा क्लेम को गलत रूप से खारिज किया है।

परिवादिया ने आयोग से क्लेम राशि एवं हर्जाना दिलाने की मांग की। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष घनश्याम यादव एवं सदस्य निरंजन शर्मा ने तथ्यों और बीमा कंपनी के जवाब आदि तथ्यों का अवलोकन करने के पश्चात बीमा कंपनी जरिए प्रबंध संचालक को सेवा में त्रुटि को दोषी मानते हुए 45 दिन के भीतर बीमा क्लेम राशि 20 लाख रुपये परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक से ब्याज सहित देने का आदेश दिया है।

कटसुरा में पट्टे वितरित किये

मदनगंज-किशनगढ़(निस)। निकटवर्ती गांव कटसुरा में सेवा शिविर के दौरान केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के पुत्र भाजपा युवा नेता सुभाष चौधरी ने शामिल होकर पात्र परिवारों को पट्टे वितरण किये। पट्टे मिलने पर गांव वालों ने हर्ष व्यक्त किया। युवा नेता चौधरी ने कहा कि शिविरों के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं को लाभ मिल रहा है, सभी जायज समस्याओं का मौके पर ही त्वरित समाधान किया जायेगा। उन्होंने श्रीराम गौशाला में बोरवेल का शुभारंभ कर गौमाता हरा चारा व गुड़ खिलाकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। श्रीराम गौशाला संतो द्वारा केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी को पानी के लिये बोरवेल की आवश्यकता बताने पर तत्काल ट्यूबवेल स्वीकृत कर दिया। इस दौरान भाजपा सिलोरा मण्डल अध्यक्ष लक्ष्मण पहलवान, सुरसुरा मण्डल अध्यक्ष कुलदीप सुनारीवाल, पूर्व मण्डल अध्यक्ष रामावतार वैष्णव, मण्डल महामंत्री मदन जांगिड़, गणेश प्रजापत, राजेन्द्र खोरवाल, राजकिशोर सैनी, प्रधाननाथ योगी, कमल कुमावत, सांवरलाल योगी, रामनिवास सैनी, सहित अनेक संतगण, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहें।

'अजमेर विधानसभा के वोट चोरी की भी हो जांच'

अजमेर (कासं)। गंज स्थित जनकपुरी में शुक्रवार को अजमेर उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का शुभारम्भ हुआ। मुख्य अतिथि हस्ताक्षर अभियान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के समन्वयक रणजीत चंदेलिया व पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर के बैनर पर अपने हस्ताक्षर कर अभियान का शुभारम्भ किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्व विधायक डॉ राजकुमार जयपाल, पूर्व विधायक डॉ श्री गोपाल बाहेती, डेयरी चेयरमैन रामचन्द्र चौधरी, कांठोस प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता, नगर निगम अजमेर में नेता प्रतिपक्ष द्रोपदी कोली सहित अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की आंधी चल रही है। भाजपा की मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों मिलीभगत कर वोट चोरी कर रहे है भाजपा को चुनाव जीता कर उनकी सरकार बना रहे है। कर्नाटक और महाराष्ट्र चुनाव में वोटों की चोरी सामने आई है, उन्होंने कहा कि जहां कांठोस चुनाव जीतती है, वहां वोट चोरी ज्यादा

अजमेर उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का शुभारम्भ हुआ।

हुए है। वोट चोरी का लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता करके दो बार खुलासा किया। बावजूद इसके न तो चुनाव आयोग के कानों पर जू रेंग रही है न ही मोदी सरकार इस पर कोई एक्शन ले रही है। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि अजमेर के उत्तर विधानसभा व दक्षिण विधानसभा सहित जिले में हम बहुत ही कम वोटो के अंतर से हारे है। ऐसे में अजमेर के चुनावो की वोट चोरी की जांच की मांग करते है। हस्ताक्षर अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद अजमेर उत्तर के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र अठावाल व वाहिद मोहम्मद, अजमेर दक्षिण के ब्लॉक कांग्रेस चंदन सिंह व लक्ष्मी धोलखेडिया, महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका चौधरी, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष पार्षद लक्ष्मी बुंदेल, शहर कांग्रेस महासचिव पार्षद नौरत गुजर, उपाध्यक्ष गुलाम मुस्तफा, आदि ने अभियान के तहत हस्ताक्षर किए और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर वोटो की चोरी रोकने के लिए जुटने का आव्हान किया।

आपसी समझौते और प्रशासनिक तत्परता से सुलझा भूमि प्रकरण

भीलवाडा। राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में उपखंड क्षेत्र बिजौलियां में ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का आयोजन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में 19 सितम्बर को ग्राम पंचायत मकरेड़ी में उपखंड अधिकारी बिजौलियां की अध्यक्षता में शिविर का सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस शिविर के दौरान ठााम कामा की खाता संख्या 94, कुल रकबा 0.7284 हैक्टेयर भूमि के बंटवारे से संबंधित एक मामला प्रस्तुत किया गया, जिसमें श्रीमती मांगी देवी पत्नी भोलुराम निवासी सलावटिया, रामकन्या पुत्री शंभुगिरी निवासी सलावटिया, तथा ललित कुमार पुत्र रतनलाल निवासी माण्डलगढ़ द्वारा एक संयुक्त लिखित आवेदन शिविर प्रभारी को सौंपा गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए शिविर प्रभारी एवं उपखंड अधिकारी के निर्देशन में तहसीलदार बिजोलिया द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से मौके पर ही दस्तावेजों की समुचित जांच की गई तथा नियमानुसार आदेश पारित कर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया गया। इस शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई के फलस्वरूप न केवल संबंधित पक्षों में संतोष का वातावरण बना, बल्कि उपस्थित ग्रामीणजनों ने प्रशासन की पारदर्शी एवं समाधान केंद्रित कार्यशैली की सराहना करते हुए राज्य सरकार एवं उपखंड प्रशासन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।

परीक्षा केन्द्रों पर भारी भीड़ रही

भीलवाड़ा। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पद के बजाय सरकारी नौकरी के सपने को सच करने के लिए शुक्रवार सुबह से ही युवाओं की भारी भीड़ केंद्रों पर देखने को मिली। इसके चलते परीक्षा केंद्रों पर भी जबरदस्त उपस्थिति देखने को मिली। शहर में 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए है जहां पूरा इंतजाम किया हुआ था। परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की तलाशी अभियान पुरानी परीक्षाओं के तरह ही रहा।

शिविर में अव्यवस्थाएं मिलने पर भड़के कलेक्टर

- शिविर में मौजूद नहीं मिले कई विभागीय अधिकारी
- विभागीय कार्मिकों को जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश
- डीएम बोले, लापरवाही और शिथिलता नहीं की जाएगी बर्दाश्त

डीडवाना। जिला मुख्यालय स्थित नगर परिषद में जारी शहरी सेवा शिविर का आज जिला कलेक्टर डॉ. महेंद्र खड़गावत ने आज शाम आकस्मिक निरीक्षण किया। शिविर में अचानक जिला कलक्टर के पहुंचने पर मौजूद कार्मिकों में हड़बड़ी मच गई। वहीं निरीक्षण में कई अव्यवस्थाएं पाई गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताई। साथ ही शिविर में अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद नहीं मिले, बल्कि उनके स्थान पर अधीनस्थ कर्मचारी ही मौजूद मिले। इसे जिला कलेक्टर ने गंभीर लापरवाही बताया, साथ ही सभी अधिकारियों को शिविर में मौजूद रहकर जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने और उनकी समस्याओं की सुनवाई करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने शिविर में उपस्थित आम जनता से भी संवाद किया और उनकी समस्या सुनकर संबंधित विभागों को निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन की परिकल्पना के तहत आमजन की समस्याओं की सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए इन शिविरों का आयोजन किया है, ताकि जनता की मांगों व समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिविर में किसी भी प्रकार की लापरवाही और शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई कर्मचारी लापरवाही करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगा।

मेड़ता सहित पूरे जिले में धर्मांतरण नियंत्रण कानून को लेकर हिन्दू संगठनों में उत्साह

मेड़ता सिटी। राजस्थान सरकार द्वारा जबरन या प्रलोभन के माध्यम से होने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए नया कानून बनाए जाने के बाद मेडता क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला।

इसको लेकर आज विश्व हिन्दू परिषद के नेतृत्व में विभिन संगठनो ने मुख्य मंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को धन्यवाद पत्र सौंपा। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 बनाने के लिए अभिनंदन मुख्य मंत्री और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। राजस्थान हमेशा से वीरों, महापुरुषों और संतों की धरती है। धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए राजस्थान के संघर्ष का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। यह पावन धरती दुर्भाग्य से लंबे समय से अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के षडयंत्रों से त्रस्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन

विश्व हिन्दू परिषद के नेतृत्व में विभिन संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को धन्यवाद पत्र सौंपा।

- विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने इस कानून का समर्थन जताया

षड्यंत्र पर अंकुश लगना चाहिए था लेकिन इन षडयंत्रों के वीभत्स स्वरूप कई बार सामने आते रहे हैं। राजस्थान की धर्म प्राण जनता इससे पीड़ित है। राजस्थान का धर्म प्रेमी समाज विभिन्न सरकारों से बार-बार इन षडयंत्रों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कानून बनाने की मांग करता रहा है लेकिन वे वोट बैंक से प्रेरित घृणित राजनीति के चलते इन राष्ट्र विरोधी षडयंत्रों पर रोक लगाने की जगह इनको प्रश्रय देते रहे।

जिला प्रचार प्रमुख जितेंद्र गहलोत गहलोत ने कहा कि एक लोकप्रिय जन प्रतिनिधि और कुशल प्रशासक होने के नाते मुख्य मंत्री जी ने इस समस्या की भीषणता को समझा और जन भावनाओं और कानून व्यवस्थाओं की संवेदनशीलता को समझते हुए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 बनाया। इसके लिए समस्त राजस्थान की जनता सरकार का अभिनंदन करती है और विश्वास व्यक्त करती है कि राजस्थान को मानवता के विरुद्ध इस सबसे बड़े अपराध से मुक्ति मिलेगी। अब राजस्थान के समाज को यह विश्वास हो रहा है कि वह अपनी आस्थाओं के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक और निर्भीक होकर अपना जीवन यापन कर सकेगा। राजस्थान की जनता अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के विरुद्ध इस संघर्ष में आपका सहयोग देने के लिए संकल्प व्यक्त करती है और विश्वास करती है कि मजबूत सरकार तथा मजबूत समाज दोनों मिलकर राजस्थान की पवित्र धरती को इन षडयंत्रों से मुक्त करेंगे। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए इसे सम्पूर्ण हिंदू समाज के हित में एक ऐतिहासिक कदम बताया। इस मौके पर वीएचपी जिला अध्यक्ष नवरत्न पंवार,जिला मंत्री ओमप्रकाश सोनी,छतरी धाम महंत संत हरिनारायण शास्त्री,वीएचपी जिला प्रचार प्रमुख जितेन्द्र गहलोत,वीएचपी जिला कौषध्यक्ष गजानंद तिवारी,पालिका अध्यक्ष शोभा लाहोटी,भाजपा जिला उपाध्यक्ष कल्पना चौहान,पूर्व चेयरमेन पवन परतानी, गजेंद्र सिंह,प्रखंड प्रचार प्रमुख चंद्र प्रकाश जांगिड,धर्म जागरण प्रमुख श्रवण कुमार चौधरी, विकास कुमार दायमा,धनराज सोनी,विनोद कुमार,कन्हैलाल सोनी,ओमप्रकाश बाता, लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा ,अवतार सिंह, मंडल सह कौशाध्यक्ष रवींद्र गहलोत सहित अनेक पदाधिकारी और प्रतिनिधी मौजूद रहे।

भरतपुर में परीक्षा देने पहुंचे स्टूडेंट्स की आस्तीन काटी

भरतपुर (निस)। भरतपुर में आज से ग्रेड फोर्थ सीधी भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। इसके लिए जिले में 52 सेंटर बनाए गए हैं। तीन दिन तक रोज 2 पारियों में यह एग्जाम होगा। पहली पारी के पेपर के लिए सुबह 9 बजे से ही सभी सेंटर के गेट बंद कर दिए गए। 9 बजे के बाद किसी भी अभ्यर्थी को सेंटर के अंदर एंट्री नहीं दी गई। गहनता से चेकिंग के बाद भी सभी अभ्यर्थियों को सेंटर में एंट्री दी गई। महिलाओं के कानों के कुण्डल, गले की चेन उतरवाई गई। वहीं व्यक्तियों के फूल स्लीव्स वालों कपड़ों के बाजू काटे गए। जींस के बटन हाथ के धागे भी काटे गए। बायोमेट्रिक प्रजेंस के बाद ही सभी अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। इन 3 दिन में 96 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यह परीक्षा 6 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में 15 हजार 200 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। दूसरी पारी का पेपर 3 बजे से शुरू हुआ। 2 बजे के बाद ही परीक्षा सेंटर के गेट बंद कर दिए गए। शाम 5 बजे दूसरी पारी की परीक्षा छूटेगी। पहली पारी का पेपर ख़त्म होने के बाद बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिली। अभ्यर्थियों में बस की सीट मिलने को लेकर होड़ देखी गई।

3 दिन के अंदर भरतपुर में लगभग 96 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी 6 चरणों में पेपर देंगे। हर दिन 32 हजार अभ्यर्थी पेपर देंगे। इस दौरान ई-मित्र और साइबर कैफे पर पुलिस निगरानी रखेगी। इसके अलावा शहर के मुख्य चौराहे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस ने शहर के होटल, लॉज, धर्मशालाओं की जांच की है। जिला परिवहन अधिकारी ने प्राईवेट बस संचालकों, ऑटो संचालकों, ई-रिक्शा यूनियनों की बैठक लेकर उन्हें परीक्षार्थियों से मनमाना किराया वसूल नहीं करने के लिए पाबन्द किया गया है। ट्रेनों में कोच बढ़ाये गए हैं। जयपुर बयाना ट्रैन को भरतपुर तक किया गया है। परीक्षा सेंटर के लिए चिकित्सा विभाग की दो टीमें नियुक्त की गई हैं। एक टीम कलेक्ट्रेट कार्यालय के नियंत्रण कक्ष में रहेगी।

भिवाड़ी में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर

खैरथल/भिवाड़ी, (नि.सं.)। अलवर सांसद एवं केंद्रीय पर्यावरण, वन जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपनी लोकसभा क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 के कार्यक्रम शुभारंभ पर कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आत्मनिर्भरता को आवश्यक बताते हुए कहा कि स्वदेश का अर्थ केवल चरखे से केवल कपड़ा बनाना नहीं, बल्कि चरखे से चंद्रमा (अंतरिक्ष) तक पहुंचना है।

शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भिवाड़ी जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, जिला प्रशासन खैरथल-तिजारा एवं लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में आयोजित हो रहे 12 वाँ इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 2025 के कार्यक्रम शुभारंभ अवसर पर पहुंचे थे। यह आयोजन 19 से 21 सितम्बर 2025 तक किया जा रहा है। इस अवसर पर अखिल भारतीय संगठन मंत्री, लघु उद्योग भारती प्रकाशचंद व तिजारा विधायक महंत योगी बालक नाथ सहित भाजपा नेता व अधिकारी एवं उद्योगपति मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन, विचार एवं उपलब्धियों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया और उसका अवलोकन भी किया।

अखिल भारतीय संगठन मंत्री, लघु उद्योग भारती प्रकाश चंद ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के सतत विकास के लिए नैतिकता और गुणवत्ता का समायोजन अत्यंत आवश्यक है। तिजारा विधायक महंत बालक नाथ योगी ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्मित उत्पादों की जानकारी मिलेगी, जिससे वे उद्योगों की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझ सकेंगे। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया। मंत्री भूपेंद्र यादव ने रीको गेस्ट हाउस पर भिवाड़ी जलभराव की समस्या निस्तारण सहित अनेक मुद्दों पर उद्योगपतियों के साथ संवाद कर विस्तार से चर्चा की ओर समाधान कराने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, उद्योग जगत से जुड़े लोग और लोग उपस्थित रहे। तिजारा विधायक महंत बालक नाथ योगी, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, लघु उद्योग भारती से सुधीर गर्ग, नरेश पारीक, एलएन गुप्ता, संदीप दायमा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

अवैध बजरी मामले में तीन गिरफ्तार

टोंक, (नि.सं.)। अवैध बजरी खनन व परिवहन की रोकथाम अभियान के तहत वृत्ताधिकारी टोंक राजेश विद्यार्थी के सुपरविजन में थानाधिकारी मेंहन्दवास ओमप्रकाश द्वारा गठित टीम ने कार्यवाही करते हुए ग्राम लक्ष्मीपुरा धाकडान में दो ट्रेक्टर-ट्रोली को अवैध बजरी परिवहन करते हुए जप्त किया जाकर ट्रेक्टर चालक सीताराम पुत्र फूलचंद नाथ उम्र 25 साल निवासी बिंजारी थाना नगरफोर्ट एवं दूसरा चालक नरेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र श्यामसिंह राणावत उम्र 24 साल राजपूत निवासी बंथली थाना दूनी को गिरफ्तार किया है। डिग्गी थानाधिकारी सत्यनारायण के नेतृत्व में गठित थाना टीम ने अवैध बजरी से भरे एक ट्रेलर परिवहन करते जप्त कर चालक विष्णुलाल पुत्र घीसालाल नाई उम्र 32 साल निवासी सरसुन्दा थाना सरवाड अजमेर को गिरफ्तार किया गया।

ट्रैक्टर ट्रॉली ने बालिका को कुचला

दौसा, (नि.सं.)। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत काली के दांतली गांव में पत्थरों से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली ने 5 वर्ष की बालिका को कुचल दिया। ग्रामीणों ने बताया की अर्पिता योगी पुत्री प्रकाश योगी उम्र 5 वर्ष राजकीय प्राथमिक विद्यालय दांतली पढ़ती थी छुट्टी होने के बाद वह घर को लौट रही थी।

तभी एक पत्थरों से भरीं हुईं ट्रैक्टर ट्रॉली तेज़ रफ़्तार से आई और बच्ची के पीछे से टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई और उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डाक्टरों ने जयपुर रैफर कर दिया। बच्ची जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में जिंदगी और मौत के बिच की जंग लड रही है है। इस दुर्घटना का सारा दृश्य दांतली में लगी हुई दुकानों के सीसी टीवी कैमरों में कैद हो गया। ग्रामीणों ने बताया की तीतरवाडा, रामबास बडोली आदि गांवों में अवैध खनन हो रहा है। आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है। प्रशासन को अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

आवासन मंडल सचिव का स्वागत

जयपुर। शुक्रवार को गोपाल सिंह, आर.ए.एस. द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल में सचिव पद पर कार्यभार ग्रहण करने पर राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष दशरथ कुमार के नेतृत्व में संघ प्रतिनिधि मण्डल ने स्वागत किया।

प्रतिनिधि मण्डल में प्रदीप शर्मा, महासचिव, गोविन्द नाटाणी एवं रमेश चन्द शर्मा, संयुक्त महासचिव, मोहन सिंह, कोषाध्यक्ष, मो. युसुफ खान, कार्यालय सचिव, विनोद रावत, मुख्यालय सचिव, मधुर मलिक, पूर्व शाखा अध्यक्ष इत्यादि शामिल हुये।

खाद के लिए लोग परेशान

भरतपुर, (निस)। भरतपुर की क्रय विक्रय समिति पर डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खाद लेने के लिए किसान रात से ही लाइनों में लगे हुए हैं।

क्रय विक्रय समिति ने 50 हजार कट्टों की डिमांड भेजी है, लेकिन दो दिन में सिर्फ 2500 डीएपी कट्टे ही समिति पर आए हैं। क्रय विक्रय समिति के प्रभारी मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि 18 सितंबर को क्रय विक्रय समिति में 1900 बैग मिले थे। हर किसान को 5-5 कट्टों के हिसाब से कट्टे बांट दिए गए।

खनन से परेशानी

कोटपूतली, (नि.सं.)। ग्राम अजीतपुरा कुजोता संघर्ष समिति का धरना शुक्रवार को लगातार 39 वें दिन भी बदस्तुर जारी रहा। धरणार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास के नेतृत्व में खान सुरक्षा विभाग अजमेर के निदेशक डॉ. आई. सत्यनारायण को नेशनल लाईमस्टोन कम्पनी की मनमानियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। बताया कि आबादी, स्कूल, जोहड़, पेयजल टंकी व कचरा संग्रहण केंद्र के नजदीक ब्लास्टिंग एवं रात्रिकालीन खनन कार्य से आमजन परेशान हैं।

कार्यशाला का शुभारंभ

फुलेरा। भारतीय जनता पार्टी मंडल फुलेरा की ओर से गणगौरी बाजार स्थित श्रीरामद्वारा सभागार में बुधवार से सेवा पखवाड़ा की कार्यशाला का शुभारंभ फुलेरा मण्डल अध्यक्ष प्रणव अग्रवाल की अध्यक्षता में किया गया। अतिथि के रूप में मण्ड़ल प्रवासी जिला मंत्री भाजपा जयपुर देहात दक्षिण देवव्रत चंदलाई व भाजपा जयपुर देहात दक्षिण के प्रवक्ता रतन राजौरा मौजूद रहे।

गोद भराई : चाकसू, (नि.सं.)। शहरी और ग्रामीण शिविर 2025 के दौरान आज चाकसू के वार्ड न 4,5 शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक गर्भवती महिला मनीषा पत्नी की गोद भराई का कार्यक्रम करवाया। उचित खान-पान एवं पोषण की सलाह के साथ पोषाहार के पैकेट भी बांटे।

सूचना

मेरे अभिभाष्य जितेश कुमार जैन निवासी बी-150 मंगल मार्ग बापू नगर, जयपुर की पुत्री खुशी जैन उम्र 20 वर्ष जो कि मेरे अभिभाष्य के कहने में नहीं है मेरे अभिभाष्य ने सम्पूर्ण सम्पत्ति चल अचल जमीन जायजाद से बेदखल कर दिया है जो भी खुशी जैन से लेन देन व्यवहार करेगा चल व अचल सम्पत्ति जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी मेरे अभिभाष्य की नहीं होगी। सूचित रहे।
प्रमोद कुमार जैन, एडवोकेट, मो.9314963519

नाम व जन्मतिथि परिवर्तन की सूचना

महेंद्र कौर पत्नी हाकिम सिंह निवासी कारवारी तहसील बयाना जिला भरतपुर राज. मेरे पुत्र का नाम और जन्मतिथि क्रमश: कपिल गुर्जर 31.07.2008 है जो शैक्षणिक रिकॉर्ड मै गलत दर्ज है। मेरे पति हाकिम सिंह के सेना सर्विस रिकॉर्ड में नाम व जन्मतिथि कपिल व 31.08.2008 दर्ज है। जो सही है आज दिनांक से मेरे पुत्र को सही नाम कपिल एवं जन्मतिथि 31.08.2008 से पहचाना जाए शैक्षणिक दफ्तरों में ये सूचना नाम व जन्मतिथि शुद्धिकरण मै काम आवे। -महेंद्र कौर

राजस्थान आवास मंडल, वृत-तृतीय,

जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
क्रमांक : 3148 दिनांक : 19.09.2025

आम जाहिर सूचना

राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक :10102 दिनांक 28.01.2014 जारी कर आवास संख्या-3/476 मालवीय नगर जयपुर, क्षेत्रफल 90.00 का हस्तान्तरण श्री पवन शर्मा पुत्र स्व. श्री शेखर तैनगौर के पक्ष में किया गया था। श्री पवन शर्मा की मृत्यु दिनांक 05/02/2022 को जाने के कारण श्रीमती राधा शर्मा पत्नी श्री पवन शर्मा के द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रशासनिक शुल्क की छाया प्रति, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास का नाम प्रतिस्थापन अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अत: उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्रीमती राधा शर्मा पत्नी श्री पवन शर्मा के पक्ष में उक्त आवास के नाम प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी।
संपदा प्रबंधक, वृत्त तृतीय, रा.आ. मंडल, जयपुर

नाम परिवर्तन

मै आर्मी नं- 15676367X रैंक-HAV चौधरी भारत रतन निवासी- गांव- खिर्डी, बाणगाव, तहसील- नांदगाव, नाशिक, महाराष्ट्र ने अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपनी माताजी का नाम बिजलाबाई से बदलकर श्रीमती बिजलाबाई रतन चौधरी व जन्मतिथि 01-07-1959 से बदलकर 01-01-1963 कर ली है।

मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम जयन्ती रयाल अथवा जयन्ती प्रसाद अंकित है जो त्रुटिवश है। मेरा सही एवं पूर्ण नाम जयन्ती प्रसाद रयाल पुत्र श्री मित्रानन्द रयाल है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम से ही जाना जाये। पता-बी-3, फ्लैट नम्बर एस-1, श्री किशनपुरा, जगतपुरा एलीगेन्ट-3, जयपुर

मै ANUJ KUMAR GUPTA पुत्र केशव गोयल मेरे स्कूल दस्तावेज में भुलवश ANUJ KUMAR GOYAL हो गया यह नाम गलत है। सही नाम ANUJ KUMAR GUPTA है इसी नाम से जाना जावे।

हुकम सिंह शेखावत आर्मी नम्बर JC454713M मेरे आर्मी रिकॉर्ड मे मेरे पुत्र का नाम यशवर्धन सिंह अंकित है जो गलत है मेरे पुत्र का सही नाम यशवर्धन सिंह शेखावत है।

मैनें अपना नाम रोशनी से बदलकर रोशनी बेगम पत्नी श्री हारून अहमद निवास 1698 गुलाबसिंह की गली, कॉवटियों की पीपली, रामगंज बाजार, जयपुर रख लिया है, भविष्य में मुझे रोशनी बेगम के नाम से जाना पहचाना जावें।

मै सुभेदार लोहार सागर शामराव निवासी गांव- सिध्दनेर्ली, ता. कागल, जि. कोल्हापूर, महाराष्ट्र ने अपने पुत्र का नाम चिन्मय से बदलकर चिन्मय सागर लोहार कर लिया है। भविष्य मे मेरे पुत्र को चिन्मय सागर लोहार के नाम से जाना जाए।

मै सुभेदार लोहार सागर शामराव निवासी गांव-सिध्दनेर्ली, ता. कागल, जिला. कोल्हापूर, महाराष्ट्र ने अपने पुत्र का नाम कार्तिक से बदलकर कार्तिक सागर लोहार कर लिया है। भविष्य मे मेरे पुत्र को कार्तिक सागर लोहार के नाम से जाना जाए।

I have changed my name from Neeraj Bhagchandani to Neeraj Kumar Bhagchandani for my daughter's school documents and all future purposes. R/o- C-17A, Model Town, Malviya Nagar, Jaipur.

खोया पाया

मेरे प्लॉट 134, 141 विष्णु गार्डन, टोंक रोड, जयपुर AU Bank के से प्राप्त कब्जा पत्र व मानचित्र व सोसायटी पट्टे के कुल पांच मूल कागजात सोडाला के पास दिनांक 17/9/25 को गिर गए/गुम हो गए किसी सज्जन को मिले तो लौटाने का कष्ट करें। ओम प्रकाश शर्मा, 134, 141 विष्णु गार्डन, जयपुर, मो. 7976747513

मेरे मकान 1H66 इंदिरा गांधी नगर जयपुर का मूल अलॉटमेंट लेटर एवं अन्य कागज़ात जयपुर में कहीं गिर गए है मिलने पर सूचित करें- 9829260473

के.वी.2 का मूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र (2022), मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र खो गये मिलने पर सूचित करें। प्रियन्का यादव पुत्री श्री गौरीशंकर यादव, 8755149659

मेरे आवास संख्या 180/49, प्रताप नगर, सांगानेर का मूल पॉवर ऑफ अर्टोनी कहीं गिर/गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें- मुकेश नाथानी 8005928447

मेरे मकान सं. 261/189, प्रताप नगर, जयपुर का मूल मांग पत्र व मांग पत्र जमा रसीद कहीं गुम हो गयी है। मिलने पर सम्पर्क करें। लीला- 9782508915

मेरे मकान सं. 261/190, प्रताप नगर, जयपुर का मूल पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें। लीला- 9782508915

मेरी शिवा का-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड जयपुर प्लॉट नं. 11, भूदेव कॉलोनी, श्रीजी नगर, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर द्वारा दिनांक 1.5.1981 को जारी पट्टे की रसीद दिनांक 19.9.2025 को दुर्गापुरा में कहीं खो गई है। मिलने पर सूचित करें। मंयक शर्मा, 9828130058

प्लॉट नम्बर ए-12, योजना श्याम नाथ तिवारी जी का बाग, आदर्श नगर, जयपुर की मूल रजिस्टर्ड मुख्यारनामा आम एवं मूल विक्रय पत्र 1/2 हिस्सा (श्रीमती कमला देवी) के हित में निष्पादित हुआ है गुम हो गये है। मिलने पर सम्पर्क करें। श्रीमती कमला देवी, मो.नं. 9785383979

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/642

चूँकि प्रार्थी श्री सुदेश शर्मा, प्लाट न. 11ए, सरस्वती कॉलोनी, सांगनेर, जयपुर 302029 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास, श्री स्वामी हरिदास संगीत संस्थान, प्लाट न. 11ए, सरस्वती कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर 302029 के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 27/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/643

चूँकि प्रार्थी श्री मेघा भारती, 56, डिफेंस कॉलोनी, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान-302012 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास, मेहनतकश कल्याण एवं संदर्भ केन्द्र संस्था, 56, डिफेंस कॉलोनी, निवारू रोड, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान-302012 के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 26/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/668

चूँकि प्रार्थी श्री MANOJ KUMAR AGARWAL, 16 AGRASAIN COLONY BRAHMPURI JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, डी.ए.वी. प्रि प्राइमरी स्कूल समिति जयपुर, 22 AGRASEN COLONY BRAHMPURI JAIPUR के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 24/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/672

चूँकि प्रार्थी श्री NAVEEN BOHARA, BOHARA BHAWAN RAIGRO KA MOHILLA WARD 4 CHAKSU JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, श्री 1008 भृतहरि जनम्धाम सेवा ट्रस्ट जोगवाड़ी, JOGAWADI CHAKSU JAIPUR के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 21/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/636

चूँकि प्रार्थी श्री KAMAL KUMAR KOTHARI, 1012/5 JLN MARG NEAR POLICE MEMORIAL JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, TF-01 GOLDSOUK, JAGATPURA ROAD NEAR JAWAHAR CIRCLE, JAIPUR 302017 के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 26/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/673

चूँकि प्रार्थी श्री MANOJ KUMAR AGARWAL, 16 AGARSEN COLONY BRAHAMPURI JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, डी.डी.ए.वी. मान्टेसरी स्कूल समिति जयपुर, 14, Inderpuri Colony, Brahampuri Khurra, Jaipur के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 21/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/623

चूँकि प्रार्थी श्री DHAKA RAM SAPKOTA, S 2, KRISHNA RESIDENCY II MATHUR FARM HOUSE KALWAR ROAD JHOTWARA ROAD JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, आनन्दम योगापीस, BESMENT KRISHNA KRIPA 4 SHASTRI NAGAR BEHIND SCIENCE PARK JAIPUR के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 28/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/641

चूँकि प्रार्थी श्री SHANKAR LAL SOMANI, P 42 SOMANI HOUSE GULAB BARI JHOTWARA IND. AREA ROAD JHOTWARA JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, मोहनी देवी गगन लाल सोमानी फाउंडेशन, 42 GULAB BARI IND. AREA ROAD JHOTWARA JAIPUR KRISHNA KRIPA 4 SHASTRI NAGAR BEHIND SCIENCE PARK JAIPUR के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 27/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/646

चूँकि प्रार्थी श्री SARVESH AGARWAL, B 202 RAJENDRA MARG JANTA STOR CIRCLE BAPU NAGAR JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, एच पी आई राजस्थान चेप्टर, RAJASTHAN HOSPITALS LIMITED, HOSPITAL ROAD, MILAP NAGAR, JLN MARG, JAIPUR 302018 RAJASTHAN के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 26/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I TRUST/2025/647

चूँकि प्रार्थी श्री MAHESH SINGH BENIWAL, S 57 SECTOR 24 RAJ AANGAR NRI COLONY PRATAP NAGAR JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत प्रन्यास, श्री बीरबल मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, 268 SEC 26 PRATAP NAGAR JAIPUR के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है, की वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख के साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह भी सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गयी तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जायेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधिन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 26/11/2025
सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: ज.वि.प्रा./उपा./जोन-5/2025/डी- **आम सूचना** दिनांक: 15.09.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अशोक कुमार ताम्बी पुत्र श्री भगवान सहाय ताम्बी द्वारा योजना रूप विहार के भूखण्ड संख्या-ई-70 क्षेत्रफल 200.00 व.ग. का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार योजना रूप विहार के भूखण्ड संख्या-ई-70 क्षेत्रफल 200.00 व.ग. का पट्टा दिनांक 20.10.2003 को श्रीमती सुमन अग्रवाल पत्नी श्री राम कुमार अग्रवाल के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदिका द्वारा अपलोड दस्तावेजों अनुसार श्रीमती सुमन अग्रवाल पत्नी श्री राम कुमार अग्रवाल ने उक्त भूखण्ड संख्या- ई-70 क्षेत्रफल 200.00 व.ग. को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.07.2024 के द्वारा श्री आदर्श सक्सेना पुत्र श्री अतुल सक्सेना के पक्ष में बैचान किया गया था। तत्पश्चात् श्री आदर्श सक्सेना पुत्र श्री अतुल सक्सेना ने भी उक्त भूखण्ड को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.04.2025 के द्वारा श्री अशोक कुमार ताम्बी पुत्र श्री भगवान सहाय ताम्बी के पक्ष में बैचान किया गया है। अतः उक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किये जाने के संबंध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवें। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।
उपायुक्त जोन-5 जविप्रा, जयपुर

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय सहायक कलक्टर फागी जिला जयपुर
प्रेम देवी बनाम लक्ष्मीनारायण वगै.
वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद संख्या 152/2024

1. काना पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण
2. सुरज पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण
3. राजेन्द्र पुत्र स्व0 बाबूलाल
4. नरेन्द्र पुत्र स्व0 बाबूलाल
5. सुगना पुत्री बाबूलाल
6. सीता पत्नि बाबूलाल

समस्त जातियान खारोल निवासी बासडा उर्फ गोविन्दपुरा हाल निवासी ग्राम पोस्ट लक्ष्मीपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक। उक्त पत्रावली मे आपको इस न्यायालय में दिनांक 25.09.2025 को प्रातः 10:00 बजे दावें का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये सम्मन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रति रक्षा का लिखित कथन दाखिल करे और उस दिन सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे में या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावें या प्रतिदावें के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची मे प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि उपर बताई गई तारीख पर/प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस के भीतर इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई और निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज दिनांक 15 माह 09 सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया।

मोहर
सहायक कलक्टर, फागी
जिला जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 120/2025

चूंकि प्रार्थी श्री विनोद कुमार बेसवाला पुत्र श्री गोपी राम बेसवाला निवासी मुकन्दगढ तह० नवलगढ जिला-झुंझुनू, राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास बाबलिया बाबा स्मृति प्रन्यास मुकन्दगढ, तह० नवलगढ जिला - झुंझुनू के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तिया नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 3/9/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 19/11/2025

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय),
देवस्थान विभाग, जयपुर

विवाधको के स्थिरीकरण के लिए सम्मन

आदेश 5 के नियम 1 और 5
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कि.रेनवाल जि.जयपुर
तुलसीराम बनाम किशनाराम वगैरह

वाद पत्र सं.44/19 वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा
बनामः-3/1-राजू पत्नि स्व0 रामलाल उम्र 35 साल, 3/2-अजय पुत्र स्व0 रामलाल उम्र 13 नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता राजू पत्नि स्व0 रामलाल उम्र 35 साल, 3/3-नवीन पुत्र स्व0 रामलाल उम्र 10 नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता राजू पत्नि स्व0 रामलाल उम्र 35 साल, 5- शारदा पुत्री स्व0सुखाराम उम्र 38साल, 16-आशादेवी पुत्री स्व0श्री जवाहरलाल उम्र 24 साल, 17-मंजूदेवी पुत्री स्व0श्री जवाहरलाल उम्र 30 साल 19-मुकेश पुत्र स्व0श्री बंशीलाल उम्र 24 साल, समस्त जाति बलाई निवासी वार्ड सं07 पूरा बाबा की ढाणी कि0 रेनवाल जिला जयपुर। 24/1- शांतिदेवी पत्नि स्व0बनवारीलाल उम्र 58 साल जाति बलाई निवासी वार्ड सं07 पूरा बाबा की ढाणी कि0 रेनवाल जिला जयपुर राज0 24/2-सुमन पुत्री स्व0 बनवारीलाल पत्नि जानेश्वर जाति बलाई निवासी 21, जगदम्बा कॉलोनी, फुलेरा जिला जयपुर राज 0,24/3-चम्पा वर्मा पुत्री स्व0 बनवारी पत्नि अनिल वर्मा उम्र 32 साल जाति बलाई निवासी अशोक नगर निवारू रोड झोटवाडा जयपुर। 24/4-पूनम पुत्री स्व0 बनवारीलाल पत्नि राहुल वर्मा उम्र 26 साल जाति बलाई निवासी अशोक नगर निवारू रोड झोटवाडा जयपुर।
24/5-विशाखा पुत्री स्व0 बनवारीलाल उम्र 20 साल, 26-सुगनचन्द पुत्र स्व0श्री दूलाराम उम्र 68 साल 35-अनिता पुत्री मन्नाराम पत्नि शंकरलाल उम्र 45 साल 37/1-कमलेश देवी पत्नि स्व0 हीरालाल उम्र 38 साल, 37/2-साहिल पुत्र स्व0 हीरालाल उम्र 19 साल, 37/3-सन्नी वर्मा पुत्र उम्र 17 साल पुत्र स्व0 हीरालाल, 37/4- विशाल वर्मा पुत्र स्व0 हीरालाल उम्र 15 साल नाबालिक जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता कमलेश देवी पत्नि स्व0 हीरालाल उम्र 38 साल।, 38-सन्ना पुत्री स्व0लक्ष्मण उम्र 28 साल, समस्त जाति बलाई निवासी वार्ड सं07पूरा बाबा की ढाणी रेलवे स्टेशन के पास कि0 रेनवाल जिला जयपुर।
उपरोक्त आपके विरूद्ध उपरोक्त के वाद प्रार्थना पत्र पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय मे तारीख 8.10.25 को दिन में 10 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नो का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करे और दाखिल/सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति मे हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजो को उल्लेखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची मे प्रविष्ठ करे।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय मे उपसंजात नही होगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जायेगा।
यह वाद ता0 17/9/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से लगाकर दिया गया है।

मोहर अदालत
आज्ञा से-न्यायाधीश
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर

न्यायालय तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर

दूरभाष नंबर 01425-228219 ई-मेल tdrsbr@ymail.com
क्रमांक :- भू.अ./2025/4674 दिनांक :- 18.09.2025

सार्वजनिक सूचना नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सीताराम पुत्र हनुमान जाति कुमावत निवासी शिवजी का टीबा, बिचून रोड फुलेरा द्वारा ग्राम मातेडा की आराजी खसरा नं. 265/1, 267/3, किता 3 कुलरकबा 1.9726 हैक्टेयर की मृतका खातेदार धन्नी पत्नी हनुमान जाति कुमावत निवासी ढाणी कारीगरान के द्वारा की गई वसीयत दिनांक 05.11.1992 के आधार पर नामान्तरण खुलवाने बाबत प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। अत: यदि किसी दीगर व्यक्ति को कोई आपत्ति/एतराज हो तो आगामी दिनांक 06.10.2025 तक मय दस्तावेज पेश करे अन्यथा इकतरफा कार्यवाही कर प्रार्थी के पक्ष में निर्णय पारित कर दिया जावेगा।
तहसीलदार (भू.अ.), फुलेरा मु. सांभरलेक

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर), बसेडी, धौलपुर 328027
क्रमांक :- प.( )/भंडार/कृमब/2025/888 दिनांक :- 18/09/2025

ई-बिड सूचना

कृषि महाविद्यालय बसेडी में विभिन्न श्रेणी के सौलर पैनल व इन्वर्टर आदि की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन हेतु खुली निविदा प्रपत्र वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है एवं **sppp.rajasthan.gov.in and www.sknau.ac.in** पर देखा जा सकता है। पूर्ण रूप से भरी हुई निविदाए दिनांक 27.09.2025 समय सुबह 10:30 बजे तक प्राप्त किये जा सकते है प्राप्त निविदाए दिनांक 27.09.2025 को सुबह 11.30 बजे टैण्डर समिति द्वारा खोली जावेगी। **UBN :SKN2526GSOB00216, NIB CODE-SKN2526A0214**
राज.संवाद/सी/25/10461 अधिष्ठाता

राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल

2-2,ए झालाना डूंगरी,जयपुर फोन 0141-2711237, 2703657, 2700540 फैक्स : 0141-2710362
E-Mail : secretary.rstb@rajasthan.gov.in

अनुपयोगी सामान की नीलामी — **निविदा सूचना संख्या 354**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मण्डल में अनुपयोगी सामान मोटर वाहन, फर्नीचर, विद्युतीय उपकरण, एसी, टीवी, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, मुद्रण पेपर, रद्दी पुस्तके, ट्यूब टायर इत्यादि की नीलामी की जानी है। इच्छुक फर्म कार्यालय समय में उपस्थित होकर स्टोर शाखा से निःशुल्क निविदा फार्म एवं शर्ते प्राप्त कर सकता है। सामग्री का अवलोकन भण्डारपाल द्वारा कराया जायेगा। नीलामी का कार्य दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2.00 बजे से किया जायेगा। नीलामी फार्म वितरण दिनांक 14.10.2025 सुबह 11.00 बजे से दिनांक 15.10.2025 दोपहर 1.30 बजे तक किया जायेगा।
राज.संवाद/सी/25/10467 सचिव

Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Regional Office, Gandhinagar, A Wing- 407 & 409,
"Aranya Bhawan", Near Ch-3 Circle,
Sector-10a, Gandhi Nagar-382010
Email: Iro.gandhingr-mefcc@gov.in

Online Proposal No.: FP/RJ/OTHERS/448679/2023 **Dated: 10/05/2025**

To,
Principal Secretary (Forest and Environment),
Department of Forest and Wildlife
Government of Rajasthan,
Vaniki Path, Near Secretariat
Jaipur-302005 (Rajasthan)

Subject
Proposal for non-forestry use of 0.1703 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s MAHESH NAIR for Jaipur (North) Territorial Division in JAIPUR Forest Division, District (RAJASTHAN) – reg.

Sir/Madam,

I am to refer to the online proposal no. FP/RJ/OTHERS/448679/2023 dated 13/10/2023 on the abovementioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Central Government under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. After careful consideration and approval of the proposal by the Central Government, I am to convey the "In-Principle/ Stage-I" approval of the Central Government under section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for the proposal for non-forestry use of 0.1703 ha of forest land under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of M/s MAHESH NAIR for Jaipur (North) Territorial Division in Forest Division, District JAIPUR (RAJASTHAN) subject to the fulfillment of the following conditions:

1. General Conditions

S. No	Conditions
1.1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged
1.2	The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a Survey of India toposheet of 1:50,000 scale
1.3	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years
1.4	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard
1.5	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India
1.6	All the funds received from the user agency under the project, except the funds realized for regeneration/ demarcation of safety zone, shall be transferred to Ad-hoc CAMPA in the Savings Bank Account pertaining to the State concerned
1.7	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required
1.8	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar
1.9	The User agency, if required, will undertake comprehensive soil conservation measures in the area being diverted at the project cost in consultation with the State Forest Department. A scheme of the same may be submitted along with the compliance report
1.10	No labour camp shall be established on the forest land
1.11	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas
1.12	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal
1.13	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government
1.14	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government
1.15	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused
1.16	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department
1.17	The State Government shall complete settlement of rights, in terms of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, if any, on the forest land to be diverted in accordance with the relevant guidelines issued by the MoEF
1.18	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project
1.19	The User Agency shall submit six monthly self-compliance reports as on 1st January and 1st July of every year to this office as well as to the Nodal Officer of the State
1.20	The State Government shall monitor compliance of conditions of Forest Clearance and shall submit in this regard yearly report as on 31st December of every year
1.21	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
1.22	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project
1.23	Grant of working permission to the extant proposal may be considered by the State Government in accordance with the provisions as contained in the MoEF&CC's Guidelines dated 28.08.2015
1.24	User agency shall restrict the felling of trees to 05 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
1.25	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 1.00 ha degraded forest land, Survey No. Nil, Village- Lakhawala, Range & Tehsil- Viratnagar, District- Jaipur of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided.
1.26	The Optical Fiber Cable shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down the OFC the ground will be leveled.

2. Standard conditions
3. Specific Conditions

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under section '2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to RO, Gandhinagar. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard. Further, it may also be noted that this In-principle/Stage-I approval shall be valid for a period of 2 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after two (02) years.

Sd/-
(Shrawan Kumar Verma)
Regional Officer/Head of Department
Regional Office, Gandhinagar
MoEF&CC, Govt of India

कार्यालय नगरपालिका देवली (टोंक) राज.

Tel.- (01434) 232013 E-mail : npdeoli@gmail.com
क्रमांक :: न.पा.दे./आपत्ति आमन्त्रण सूचना/2025-26/17908240 दिनांक : 19.09.2025

आपत्ति आमन्त्रण सूचना

एतद्द्वारा हितबद्ध, व्यक्ति विशेष, आम खास को सूचित किया जाता है कि पालिका क्षेत्र में अधोलिखित व्यक्तियों द्वारा अपनी सम्पति के नामान्तरण, 69ए, खांचा भूमि हेतु आवेदन किया गया है। किसी भी व्यक्ति को निम्नांकित इजाजत बाबत् आपत्ति हो तो आपत्ति आमंत्रण सूचना जारी होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर म्याद विधिमान्य दस्तावेजों सहित लिखित में आपत्ति कार्य दिवस के दौरान कार्यालय समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करावें। बाद म्याद गुजरने आपत्ति मान्य नहीं होगीं।

क्र. स.	नाम प्रार्थी	मौहल्ला	भूखण्ड संख्या/नाप	प्रयोजन
1.	श्री शिवचरण लुहार पुत्र श्री जगदीष	ग्राम देवली गांव पैराफेरी ऐरिया देवली	भूखण्ड नाप 49.33 वर्गगज	69ए
2.	श्री साजिद हुसैन पुत्र श्री शब्बीर अहमद	वार्ड संख्या 7 कसाई मोहल्ला, देवली	भूखण्ड नाप 30.83 वर्गगज	69ए
3.	श्री सत्यनारायण साहू पुत्र श्री हरजी राम साहू	वार्ड संख्या 09 नेहरू मार्केट, देवली	भूखण्ड नाप 47.25 वर्गगज	नामान्तरण
4.	श्री हरीश गोयल पुत्र श्री बंशीलाल गोयल	वार्ड संख्या 17 विवेकानन्द कॉलोनी, देवली	भूखण्ड संख्या 17 नाप 90.55 वर्गगज	नामान्तरण
5.	श्री हरीश गोयल पुत्र श्री बंशीलाल गोयल	वार्ड संख्या 17 विवेकानन्द कॉलोनी, देवली	भूखण्ड संख्या 20 नाप 73.75 वर्गगज	नामान्तरण
6.	श्री हरीश गोयल पुत्र श्री बंशीलाल गोयल	वार्ड संख्या 17 विवेकानन्द कॉलोनी, देवली	भूखण्ड संख्या 21 नाप 77.50	नामान्तरण
7.	श्री हरीश गोयल पुत्र श्री बंशीलाल गोयल	वार्ड संख्या 17 विवेकानन्द कॉलोनी, देवली	भूखण्ड संख्या 22 नाप 79.58 वर्गगज	नामान्तरण
8.	श्री हरीश गोयल पुत्र श्री बंशीलाल गोयल	वार्ड संख्या 17 विवेकानन्द कॉलोनी, देवली	भूखण्ड संख्या 18 नाप 70 वर्गगज	नामान्तरण
9.	श्री हरीश गोयल पुत्र श्री बंशीलाल गोयल	वार्ड संख्या 17 विवेकानन्द कॉलोनी, देवली	भूखण्ड संख्या 19 नाप 71.66 वर्गगज	नामान्तरण
10.	श्री सुशील कुमार बम्ब पुत्र श्री पारस मल बम्ब	वार्ड संख्या 25 पटेल नगर देवली	भूखण्ड संख्या 8 के समीप नाप 8.33 व 42.43 वर्गगज	खांचा भूमि
11.	श्री घीसालाल पुत्र श्री स्वरूपचन्द	वार्ड संख्या 24 पटेल नगर देवली	भूखण्ड संख्या बी-1 के समीप नाप 40.88 वर्गगज	खांचा भूमि

राज.संवाद/सी/25/10574 अधिशाषी अधिकारी

प्रदेश में अपराध नियंत्रण और शान्ति व्यवस्था हमारी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने की आर.पी.ए. में नया प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा

- प्रशिक्षु आर.पी.एस. के 55वें बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित
- अपराध के बदलते स्वरूप में पुलिस रहे सजग एवं अपडेट : भजनलाल शर्मा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस में प्रशिक्षण से कानून की जानकारी के साथ ही आपसी संवाद, सहयोग और टीम भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि यही बुनियादी प्रशिक्षण पुलिस के चरित्र और व्यक्तित्व को आकार देकर उन्हें एक आदर्श अधिकारी बनाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण और शान्ति व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। आगामी समय में इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। शर्मा शुक्रवार को राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में राजस्थान पुलिस सेवा (प्रशिक्षु) के 55वें बैच के प्रशिक्षणार्थियों के दीक्षान्त परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को आर.पी.एस. के 55वें बैच के दीक्षान्त समारोह में परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली।

उन्होंने बैच के 76 प्रशिक्षुओं को बधाई देते हुए कहा कि मेहनत, लगन और कड़ी तपस्या से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। श्री शर्मा ने इस अवसर पर पुलिस कार्मिकों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में नया प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा की। इससे साइबर अपराध, आर्थिक मामलों से सम्बन्धित अपराध इत्यादि के सम्बन्ध में पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के लिए महिला सशक्तिकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। राजस्थान पुलिस में महिलाओं की लगातार बढ़ती भागीदारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आज के 76 प्रशिक्षु अधिकारियों में 20 महिला अधिकारी शामिल होना अत्यंत गर्व की बात है। महिला पुलिस अधिकारी से महिलाएं अपनी समस्याएं बेझिझक बताती हैं। ये महिला अधिकारी न केवल पुलिस बल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि समाज की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत भी हैं।

शर्मा ने कहा कि वर्तमान में अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है। संगठित अपराध, साइबर अपराध और डिजिटल युग की नई-नई चुनौतियों से लड़ने के लिए पुलिस को निरंतर सजग, अपडेट और प्रशिक्षित रहना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के लिए पारंपरिक पुलिसिंग के साथ ही तकनीकी कुशलता, साइबर सिक्योरिटी की जानकारी और डिजिटल फॉरेंसिक की समझ भी महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के लिए ईमानदारी सबसे शक्तिशाली हथियार है। पुलिस को किसी भी तरह के दबाव में ना आकर सदैव धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। उन्होंने पुलिस के लिए टीम वर्क पर जोर देते हुए कहा कि पुलिसिंग एक टीम का काम है। जब हम साथियों के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आपसी भाईचारा और विश्वास से ही हम प्रत्येक चुनौती का आसानी से सामना कर सकते हैं।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार गिर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 से अब तक अपराधों में 19.45 प्रतिशत की कमी आई है। अनुसूचित जाति अत्याचार में 17.80 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति अत्याचार के मामलों में 18.77 प्रतिशत की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि महिला अत्याचार के मामलों में भी 9.24 प्रतिशत की कमी आई है।

पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद रख न्याय व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नवीन चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर तकनीकी नवाचार, त्वरित अनुसंधान एवं कार्यकुशलता का उन्नयन किया जा रहा है। शर्मा ने इस अवसर पर राजस्थान पुलिस सेवा (प्रशिक्षु) के 55वें बैच के उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थियों को पुरुस्कृत किया तथा सामूहिक फोटो खिंचवाया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया तथा परेड की सलामी ली। इस दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव सुधांश पंत तथा निदेशक आरपीए एस. सेंगाथिर सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

देबाशीष पृष्टि ने किया हाऊसिंग बोर्ड के शिविर का निरीक्षण

प्रमुख शासन सचिव ने शहरी सेवा शिविर में आमजन से लिया फीडबैक

जयपुर (कासं)। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं आवासन मण्डल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने शहरी सेवा शिविर 2025 के तहत शुक्रवार को आवासन मण्डल के वृत-तृतीय, जयपुर कार्यालय में संचालित शिविर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को शिविर में आ रहे आमजन के लिए माकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए साथ ही आमजन के साथ संवाद करते हुए फीडबैक भी लिया। शिविर में आए हुए कई लाभार्थियों ने व्यवस्थाओं को सराहा तथा समस्याओं के तत्काल निस्तारण पर राज्य सरकार को धन्यवाद भी दिया। मण्डल अध्यक्ष द्वारा आवंटियों को त्वरित राहत प्रदान करने के विभिन्न कार्यों का एवं मण्डल द्वारा जारी किये जा रहे प्रपत्रों का अवलोकन भी किया गया। इस दौरान पृष्टि ने शिविर में लाभान्वित विभिन्न आवंटियों को अदेय प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रपत्र इत्यादि वितरित किये गये।

आवासन एवं नगरीय विकास के प्रमुख शासन सचिव एवं आवासन मण्डल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टि ने शुक्रवार को आवासन मण्डल के वृत-तृतीय, जयपुर कार्यालय में संचालित शिविर का निरीक्षण किया।

आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया की मण्डल द्वारा आयोजित शिविरों में अब तक कुल 316 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष प्रकरणों का निस्तारण भी जल्द से जल्द करने के लिए कार्यवाही शुरू की जा चुकी है । राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शिविरों में आवासीय योजनाओं, भवन निर्माण अनुमति, लीज़ कन्वर्ज़न, नामान्तरण, बकाया निस्तारण सहित अन्य सेवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान हाथों हाथ किया जा रहा है । निरीक्षण के दौरान सचिव गोपाल सिंह, मुख्य अभियंता प्रथम अमित अग्रवाल, प्रतीक श्रीवास्तव सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित रहे ।

बिजली कंपनी के इंजीनियरों को नगरीय विकास विभाग में नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा

-कार्यालय संवाददाता-

- मामले से जुड़े अधिवक्ता पीसी भंडारी व टीएन शर्मा ने बताया कि प्रदेश की 5 बिजली कंपनियों ने जे.ई.एन. की भर्ती की थी, परंतु बाद में इन इंजीनियरों को यूडीएच में भेज दिया गया। जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये नियुक्तियां राजस्थान सेवा नियम व आरएपीएसएआर एक्ट का उल्लंघन हैं।

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बिजली कंपनी के इंजीनियरों को नगरीय विकास विभाग में नियुक्ति देने पर हाईकोर्ट ने यूडीएच सचिव व पांच बिजली कंपनियों के एम.डी. और अफसरों से जबाव देने के लिए कहा है। अदालत ने इनसे पूछा है कि बिजली कंपनियों के इंजीनियरों को यूडीएच में नियुक्ति क्यों दी गई है। जस्टिस एसपी शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह निर्देश पब्लिक अंगेंस्ट करप्शन संस्था की जनहित याचिका पर दिया। मामले से जुड़े अधिवक्ता पीसी भंडारी व टीएन शर्मा ने बताया कि प्रदेश की पांच बिजली कंपनियों ने जेईएन की भर्ती की थी। लेकिन बाद में इन इंजीनियरों को यूडीएच विभाग में भेज दिया। जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहीं ये नियुक्तियां राजस्थान सेवा नियम व आरएपीएसएआर एक्ट का उल्लंघन है। केवल सरप्लस होने पर ही एक निगम से दूसरे निगम में नियुक्ति का नियम है। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान,नियम या एक्ट नहीं है जिसमें किसी निगम या बोर्ड से सीधे ही सरकार में नियुक्ति दी जा सके। वहीं नगरीय विकास विभाग में इनकी नियुक्ति में जिन नियमों का उल्लेख किया है उनके अनुसार इनको यूडीएच में समाहित नहीं कर सकते। ऐसे में ये नियुक्तियां पिछले दरवाजे से दी हैं और इनमें नियमों का पालन नहीं किया है। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा और राज्य सरकार से पूछा है कि इन अफसरों को किन नियमों से बिजली कंपनी से यूडीएच में समाहित किया गया है।

टैक्स चोरी पर ट्रांसपोर्टर्स के 6 गोदाम सील, 17 वाहन जब्त

जयपुर । राज्य के मुख्य कर आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देशन में प्रवर्तन शाखा की 9 टीमों को गोपनीय रूप से राज्य के विभिन्न राजमार्गों पर तैनात किया गया। जहाँ से टेक्निकल सर्विलांस के द्वारा बिना ई वे बिल और बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहनित करने वाले 17 वाहनो को जब्त किया गया है। गत सोमवार को जयपुर के 6 प्रमुख ट्रांसपोर्ट कंपनियो के गोदामों में एक साथ कार्यवाही कर बड़ी कर चोरी उजागर की है। गिल संधु ट्रांसपोर्ट, जड़िया ट्रांसपोर्ट, क्रियाशक्ति, सुनील ट्रांसपोर्ट और पीसीएम कार्गो के ये गोदाम जयपुर के वी.के.आई एरिया तथा ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित है। इन गोदामो से भारी मात्र में रेडीमेड, ड्राई फ्रूट, इलेक्ट्रिक्ट आईटम आदि के 1 हजार 960 नग जब्त किए है। जिनका आरंभिक आकलन किए जाने पर इनका बाज़ार मूल्य करोड़ो रूपये पाया गया है। यह माल राज्य के बाहर से बिना कर चुकाए राज्य में लाया जा रहा था।

राजेश्वर सिंह ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण किया

जयपुर (कासं)। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1989 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी एवं पूर्व राजस्व मण्डल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने आज राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिया है। सिंह के राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचने पर आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव नलिनी कठोतिया एवं अन्य अधिकारियों ने उनका पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया ।

इस अवसर पर राजेश्वर सिंह ने कहा कि राज्य में पंचौयती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के चुनाव संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों एवम विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसरण में पूर्णतया वैधानिकता,निष्पक्षता, तटस्थता,त्रुटिहीनता एवं पारदर्शिता के आधार पर संपन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।

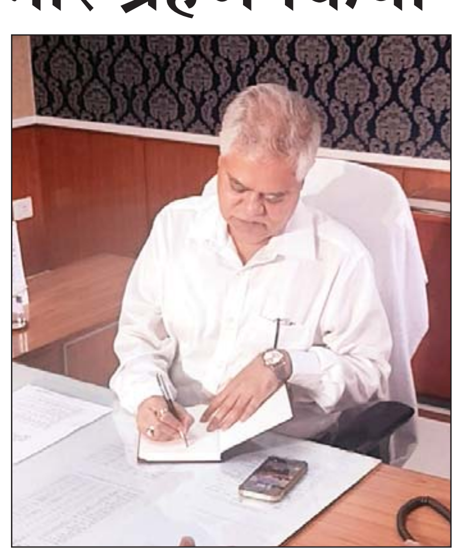

राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह

उन्होंने आशा व्यक्त की कि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी आयोग की मंशा के अनुरूप पूर्ण निष्पक्षता व तटस्थता का परिचय देंगे तथा वैधानिक प्रवधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाएगी ।

उल्लेखनीय है कि राजेश्वर सिंह को जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जालोर एवं जयपुर तथा संभागीय आयुक्त, उदयपुर, भरतपुर व जयपुर के रूप में चुनाव कार्य के प्रबन्धन व पर्यवेक्षण का विस्तृत एवं व्यापक अनुभव है । इसके अलावा वे अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा महा निदेशक,इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के रूप में पंचायती राज प्रशासन एवं प्रशिक्षण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे हैं।

रिलायंस रिटेल मार्ट पर 100 किलो एक्सपायरी सामग्री जब्त

जयपुर । सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की फूड सेफ्टी टीम ने प्रताप नगर स्थित मैसर्स रिलायंस रिटेल स्टोर से लगभग 100 किलो अवधिपार खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट करवाई है। यह कार्रवाई शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में हुई।

पुत्र से जुड़े मामले में उडीसा के पूर्व डीजी विद्याभूषण मोहंती दोष मुक्त

जयपुर (कासं)। सेन्ट्रल जेल जयपुर में सजायाप्ता पुत्र को 18 साल पहले 20 नवम्बर, 2006 को पैरोल पर छुडाने के बाद फरार कराने तथा पकड़ने गई वैशाली नगर-जयपुर पुलिस की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या-04, मेट्रो-द्वितीय ने आरोपी रहे उडीसा के पूर्व महा निदेशक होमगार्ड 75 वर्षीय विद्याभूषण मोहंती को दोषमुक्त कर दिया है। इस संबंध में तत्कालीन कार्यवाहक जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने लाल कोठी पुलिस थाने में 10 जनवरी, 2007 को एफआईआर दर्ज करवाई थी। अनुसंधान पुलिस ने पूर्व आईपीएस विद्याभूषण मोहंती के खिलाफ अदालत ने 23 जनवरी, 2008 को चार्जशीट पेश की थी। विद्या भूषण मोहंती की ओर से अदालत को बताया कि वह निर्दोष हैं। मामले में झूठा फंसाया गया हैं। पुत्र के पकड़े जाने, गिरफ्तार करने में कोई अडचन व बाधा नहीं डाली और ना ही आश्रय दिया। बचाव पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि परिवादिया जेल अधीक्षक की ओर से पेश की रिपोर्ट की अन्य गवाहों ने ताईद नहीं की हैं। पुत्र को पैरोल पर छुड़ाकर फरार कराने के गलत आरोप लगाए हैं। अभियोजन पक्ष मामले में संलिप्त होने की लेशमात्र भी साक्ष्य पेश नहीं की हैं। ऐसे में दोषमुक्त घोषित किया जाए। गौरतलब है कि पूर्व डीजी होमगार्ड विद्याभूषण मोहंती के पुत्र को बीटीहोत्रा मोहंती को 2004 में अलवर में हुए दुष्कर्म के अपराध में 07 साल की सजा हुई थी और जयपुर जेल में बंद था। आरोपी पुत्र को मां की गंभीर बीमारी पर 20 नवम्बर, 2006 को आपात पैरोल पर छोड़ा गया था।

।। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।।

22वाँ पुण्य स्मरण

शत-शत नमन एवं श्रद्धांजलि

इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित

महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड टेक्नोलॉजी, जयपुर के पथ प्रदर्शक

सीय राममय सब जग जानी

करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी

(20 सितम्बर 1920 - 20 सितम्बर 2003)

परम श्रद्धेय श्री रामजीलाल जी स्वर्णकार (मासलपुर वाले)

उनकी पुनीत स्मृति में आज शनिवार, 20 सितम्बर 2025 सायँ 6.30 बजे

अभिषेक नारायण कृत अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिन्दी नाटक कर्ण

प्रस्तुति का LIVE प्रसारण देखने हेतु QR Code को Scan करें

QR Code

-: श्रद्धावनत :-

शांति देवी, डॉ. मोहन लाल-मीना, गोविन्द-कमलेश, रामरतन-नीलम (पुत्र एवं पुत्रवधु), वीरेन्द्र-बेबी, डॉ. रविकान्त-पूजा डॉ. विकास-हरमन, डॉ. शोभित-जयाश्री, डॉ. दिलीप-सोनिया, डॉ. मनु-महिमा, लीलाधर-ऋषिका (पौत्र एवं पौत्रवधु) व श्रीधर (पौत्र) केशव, श्रीकान्त, माधव, युवराज, वासुदेव, जतिन (प्रपौत्र), वैदेही, गौरी, माही, नव्याश्री, रूक्मिणी, कात्यायनी, जाह्नवी (प्रपौत्री) विद्या-गोपाल सोनी, शंकुतला-अशोक सोनी, सन्तोष-प्रेम सोनी, सती देवी-अशोक सोनी (पुत्रियां एवं दामाद) तथा समस्त स्वर्णकार परिवार

डॉ. एम. एल. स्वर्णकार, MD, PhD (hc)

Founder and Emeritus Chairperson

Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology (MGUMST), Jaipur

Senior Professor of Obstetrics & Gynaecology, Specialist in Reproductive Medicine & IVF

Patron : Jaipur Fertility Centre, Banipark and Sahkar Marg Centre, Jaipur

मैं सचिन के लिए बहुत खुश हूं जिसने अपना पर्सनल बेस्ट फेंका और लगभग भारत के लिए मेडल जीत ही लिया।
- नीरज चोपड़ा

भारतीय जैवलिन थ्रोअर, अपनी हार के बाद बोलते हुए।

खेल जगत

आज का खिलाड़ी — आर. अश्विन

चीन ने गुरुवार को घोषणा की कि दिग्गज भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन आगामी हांगकांग सिक्सेस 2025 के लिए टीम इंडिया के एक प्रमुख सदस्य होंगे, जो इस साल 7 से 9 नवंबर तक आयोजित होने वाला है। आर. अश्विन ने कहा, "हम सभी ने बचपन में टेलीविजन पर हांगकांग सिक्सेस देखा है और यह हमेशा से एक ऐसा प्रारूप रहा है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहता था। इस प्रारूप के लिए एक अलग रणनीति की आवश्यकता होती है और यह एक रोमांचक खेल साबित होगा, जिसे मैं अपने पूर्व साथियों के साथ खेलने के लिए उत्सुक हूँ।

क्या आप जानते हैं ?... टीम इंडिया एशिया कप की सबसे सफल टीम है। भारतीय टीम ने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के खिताब पर आठ बार कब्जा जमाया है।

पाइक्रॉफ्ट को टॉस से चार मिनट पहले पता चला था कि दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे

दुबई, 19 सितम्बर। 2025 एशिया कप को लगभग पटरी से उतारने वाले विवाद के केंद्र में रहे आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ़्ट को 14 सितंबर को भारत-पाकिस्तान मैच के टॉस से कुछ मिनट पहले ही बताया गया था कि दोनों कप्तान हाथ नहीं मिलाएंगे। उस समय, उन्होंने ख़ुद को निर्देश देने के बजाय संदेश देने वाला समझा। इसके बाद, पीसीबी ने पाइक्रॉफ़्ट के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन पर आईसीसी के नियमों और क्रिकेट भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया और उन्हें टूर्नामेंट से हटाने की मांग की गई। 14 और 17 सितंबर को पाकिस्तान द्वारा खेले गए दो मैचों के दौरान हुई घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी सामने आने लगी है। मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले एक अधिकारी के अनुसार, यह विवाद रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में "टॉस से चार मिनट पहले" शुरू हुआ। जैसे ही पाइक्रॉफ़्ट मैदान पर पहुंचे, उन्हें एसीसी स्थल प्रबंधक ने बताया कि बीसीसीआई ने उन्हें – भारत सरकार की अनुमति से – सूचित कर दिया है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा के बीच हैंडशेक नहीं होगा। पीसीबी अधिकारियों ने तर्क दिया कि पाइक्रॉफ़्ट को इस असामान्य अनुरोध के बारे में आईसीसी को सूचित करना चाहिए था; ऐसा माना जा रहा है कि पाइक्रॉफ़्ट ने कहा कि उनके पास ऐसा करने का समय नहीं था। अगर पर्याप्त समय होता, तो वह आईसीसी से सलाह लेते। इसके बजाय, टॉस से कुछ क्षण पहले, उन्होंने आग़ा को स्थिति के बारे में बताया, यह सोचकर कि अगर आग़ा सूर्यकुमार से हाथ मिलाने गए, तो वह सार्वजनिक रूप से शर्मनाक स्थिति उत्पन्न होने से बचा रहे थे। पाइक्रॉफ़्ट के इस फ़ैसले को आईसीसी ने किसी भी समय आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ऐसी कार्रवाई के रूप में देखा, जो उन्हें खेल के प्रबंधन के लिए नियुक्त एक मैच अधिकारी के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र में करने के लिए अधिकृत किया गया था। यह मुद्दा बुधवार को तब और बढ़ गया जब पाकिस्तान के यूएई के ख़िलाफ होने वाले जरूरी मैच को लेकर अनिश्चितता के बादल छा गए और पीसीबी ने धमकी दी कि अगर इस मैच के लिए चुने गए पाइक्रॉफ़्ट की जगह कोई और मैच रेफरी नियुक्त नहीं किया गया तो वह टूर्नामेंट से हट जाएगा। पाइक्रॉफ़्ट और पाकिस्तानी टीम के शीर्ष अधिकारियों के बीच आनन-फानन में हुई एक स्पष्ट बैठक के बाद आख़िरकार एक घंटे की देरी के बाद मैच शुरू हुआ। पीसीबीने एक बयान में दावा किया कि पाइक्रॉफ़्ट ने "पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माफी मांगी है", हालांकि स्थिति से परिचित सूत्रों का कहना है कि यह माफी नहीं थी, बल्कि घटना के बारे में "गलतफहमी और गलत संचार पर खेद की अभिव्यक्ति" थी।

भारत-पाकिस्तान कल दूसरे दौर में आमने-सामने होंगे

दुबई, 19 सितम्बर। श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 चरण की शुरुआत शनिवार को होगी। अबु धाबी में ग्रुप स्टेज के दूसरे अंतिम मुकाबले में अफ़ग़ानिस्तान को हराकर श्रीलंका ने न केवल उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, बल्कि ग्रुप बी से बांग्लादेश के साथ अजेय रहते हुए अगले चरण में प्रवेश किया। वहीं, भारत और पाकिस्तान ने ग्रुप ए से पहले ही सुपर-4 में अपनी जगह पक्की कर ली थी। पाकिस्तान ने बुधवार को यूएई को हराकर यह सुनिश्चित किया। इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप स्टेज में दुबई में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को हराया था और ओमान के ख़िलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलने से पहले तक अजेय है। पाकिस्तान को सुपर फोर में श्रीलंका के ख़िलाफ मुकाबले से पहले एक दिन का आराम मिलेगा, लेकिन बांग्लादेश को लगातार दो दिन खेलना होगा जिसमें 24 सितंबर को भारत से और 25 सितंबर को पाकिस्तान से, दोनों मुकाबले दुबई में होंगे। सुपर-4 चरण का आख़िरी मुकाबला 26 सितंबर को भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जाएगा। इसके बाद शीर्ष दो टीमें 28 सितंबर को फाइनल में भिड़ेंगी।

संजू सैमसन का अर्द्धशतक, भारत ने दिया ओमान को 189 रनों का लक्ष्य, 17 ओवर में ओमान का स्कोर 141/1

अबु धाबी, 19 सितंबर। भारत ने एशिया कप के आखिरी लीग मैच में ओमान के सामने 189 रन का टारगेट रखा है। जवाब में 17 ओवर के बाद ओमान का स्कोर 141/1 है। आमिर कलीम और हमाद मिर्जा नाबाद हैं। दोनों फिफ्टी पार्टनरशिप कर चुके हैं। कलीम ने अर्धशतक बना लिया है। जतिंदर सिंह (32 रन) 9वें ओवर की तीसरी बॉल पर प्लेड ऑन हुए। उन्हें कुलदीप यादव ने आउट करके फिफ्टी पार्टनरशिप ब्रेक की। संजू सैमसन (56), अभिषेक शर्मा (38) की शानदार पारियों के दम पर भारत ने शुक्रवार को एशिया कप के 12वें मुकाबले में ओमान को जीत के लिए 189 रनों का लक्ष्य दिया।

आज यहां भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने दूसरे ही ओवर में शुभमन गिल (पांच) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट लिए 66 रनों की साझेदारी की। आठवें ओवर में जितेन रामानंदी ने अभिषेक शर्मा को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। अभिषेक शर्मा ने 15 गेंदों में पांच चौके और दो छक्के लगाते हुए 38 रन बनाये। इसके बाद हार्दिक पांड्या (एक) रनआउट हुये। 12वें ओवर में अक्षर पटेल 13 गेंदों में (26) को आमिर कलीम ने आउट किया। शिवम दुबे (पांच) भी आमिर का शिकार बने। 18वें ओवर में शाह फैसल ने संजू सैमसन को आउट किया। संजू सैमसन ने 45 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्के लगाते हुए 56 रनों की पारी खेली। तिलक वर्मा ने 18 गेदों में 29 रन बनाये। आठवें विकेट के रूप में अर्शदीप सिंह(एक) रनआउट हुये। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में विकेट आठ विकेट पर 188 रन का स्कोर खड़ा किया। हर्षित राणा आठ गेंदों में 13 रन बनाकर नाबाद रहे। ओमान के लिए शाह फैसल, जितेन रामानंदी और आमिर कलीम ने दो-दो विकेट लिये।

उम्मीद है कि एशेज के पांचों टेस्ट में खेलूंगा : कमिंस

सिडनी, 19 सितंबर। पीठ की समस्या से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज पैट कमिंस एशेज के सभी पांच टेस्ट मैचों में खेलना चाहते है। कमिंस ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। इस कार्यक्रम में खेल क्लबों के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बने रहने के लिए संघीय सरकार ने 50 मिलियन डॉलर के अनुदान की घोषणा की गई। कार्यक्रम के दौरान कमिंस ने स्वीकार किया कि एशेज से पहले वह पूरी तरह से प्रतीक्षा करने और देखने की स्थिति है। कमिंस ने कहा, "लक्ष्य पांच टेस्ट मैच है। हर गर्मियों में आप पांच टेस्ट मैच खेलने का लक्ष्य रखते हैं। यह मैच थोड़ा अलग हो सकता है क्योंकि आप बाकी मैचों से थोड़े अलग अंदाज में आ रहे हैं। लेकिन शुरुआती लक्ष्य पांच विकेट लेना है। एक बार जब हम करीब पहुंच जाएंगे, तो हम शायद अधिक यथार्थवादी परिस्थितियों पर बात करेंगे। सच कहूं तो यह कहना अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन फिलहाल हमारा लक्ष्य इन सबके लिए तैयार रहने का प्रयास करना है।" कमिंस ने इस तथ्य की ओर इशारा किया कि पहले तीन टेस्ट मैचों के कार्यक्रम में आठ दिनों का स्पष्ट अंतराल रखा गया था, इसलिए बैकअप लेना कोई समस्या नहीं हो सकती।

राज्य अंडर-23 प्रतियोगिता
जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, करौली, अजमेर, अलवर जीती

जयपुर, 19 सितम्बर। आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक डी डी कुमावत के अनुसार बीसीसीआई के आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र 2025 – 26 की अंडर 23 प्रतियोगिता में में भाग लेने वाली राजस्थान टीम के संभावितों के चयन हेतु आरसीए के तत्वाधान में जयपुर में खेली जा रही राज्य अंडर 23 प्रतियोगिता में जयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, हनुमागढ़, जोधपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, करौली, अजमेर, अलवर जीती। आज देवांश सिंह, राहुल गर्ग, राहुल चौधरी, मोहित भगतानी, कुलदीप सिंह, शिवम् रंजन, आदित्य भाम्भू, राजीव, चकर्वर्ती सिंह, का शानदार प्रदर्शन किया।

मानिनी ने स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान का मान बढ़ाया

जयपुर, 19 सितम्बर। मध्य प्रदेश, भोपाल में नेशनल राईफल एसोसिएशन द्वारा आयोजित हो रही छठी सलेक्शन ट्रायल, 2025 (17.09.25 से 23.09.25 तक) 50मी. राईफल 3 पॉजिशन वूमन फाईनल प्रतियोगिता में आज राजस्थान की मानिनी कौशिक ने इस बार फिर स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान का मान बढ़ाया व पश्चिम बंगाल की आयुषी पोडर ने रजत पदक जीता, जबकि हरियाणा की आकृति दहिया ने कांस्य पदक जीता। मानिनी कौशिक ने लगातार अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाईनल राउण्ड में 461.9 अंक अर्जित करते हुए प्रथम स्थान पर रहकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

हार्दिक पंड्या ने लापरवाही के कारण गंवाया खुद का विकेट

अबु धावी, 19 सितंबर। टीम इंडिया अबू धाबी के शेख जायदा स्टेडियम में ओमान के खिलाफ एशिया कप 2025 का अपना आखिरी ग्रुप मैच खेल रही है। जहां भारत के बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे लेकि इस दौरान भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से कई बार लापरवाही देखने को मिली। इन्हीं में से एक हार्दिक पंड्या भी रहे जो नॉन-स्ट्राइक प होने के बावजूद रन आउट हो गए।

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ये पली बार है जब इस टूर्नामेंट में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने चेज़ किया था। वहीं इस दौरान भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से कई खामियां देखने को मिली।

दरअसल, आठवें ओवर की गेंद पर संजू सैमसन ने सामने की तरफ शॉट खेला था। हार्दिक पंड्या काफी पहले क्रीज से बाहर निकलगए थे। संजू ने जो शॉट खेला जो गेंदबाज की तरफ आया। ये कैच था जिसे रामानंदी पकड़ नहीं सके और गेंद उनके हाथ से टकरा कर स्टम्प पर जा ली।

जब गेंद स्टम्प पर लगी तब पंड्या क्रीज से बाहर थे और इसी कारण वह आउट हो गए। यहां पंड्या की किस्मत खराब थी कि वह गेंद गेंदबाज के हाथ से टकरा कर गई। वहीं पंड्या को भी यहां देखना चाहिए था कि उन्हें कब क्रीज छोड़नी है। जब वह रन आउट हुए तो क्रीज से काफी बाहर थे और लौटने की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी थीं।

मौजूदा चैम्पियन हरियाणा स्टीलर्स ने पुनेरी पल्टन को हराया

जयपुर, 19 सितंबर। प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन के 41वें मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स ने सांस रोक देने वाले रोमांच के बाद पुनेरी पल्टन को 34-30 के अंतर से हरा दिया। परिणाम चाहें जो भी रहा लेकिन इसमें कबड्डी की जीत हुई। हरियाणा की यह सात मैचो में पांचवीं जीत है जबकि पल्टन को नौ मैचों में तीसरी हार मिली।

सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में हरियाणा की जीत में विनय (13) और शिवम (8) का अहम योगदान रहा। यह शिवम ही हैं, जिन्होंने दो अंक की रेड के साथ हरियाणा की जीत पक्की की। डिफेंस में कप्तान जयदीप ने चार और राहुल सेतपाल ने तीन शिकार किए। पल्टन के लिए पंकज मोहिते (14) ने अपना श्रेष्ठ खेल दिखाया और एक समय 10 अंक से पिछड़ रही टीम की वापसी कराई लेकिन वह उसे जीत नहीं दिला सके। दो अच्छी टीमों के बीच मुकाबला जोरदार तरीके से शुरू हुआ। 2-0 से लीड लेने के बाद हरियाणा ने ग्रिप खोया लेकिन फिर भी पांच मिनट के बाद उसे 5-2 की लीड मिली हुई थी। इसके बाद गुरदीप का शिकार कर शिवम पल्टन को सुपर टैकल की स्थिति में ले आए। शिवम ने अगली रेड पर अबिनेश को आउट कर पल्टन को आलआउट की ओर धकेल दिया। जयदीप ने असलम को डैश कर पल्टन को आलआउट कर हरियाणा को 11-2 की लीड दिला दी।

आलइन के बाद हरियाणा ने दो के मुकाबले चार अंक लेकर 14-4 के स्कोर पर ब्रेक पर गई। ब्रेक के बाद पल्टन ने चार अंक लेकर वापसी की राह पकड़ी। इस दौरान हालांकि उसने एक अंक गंवाया भी। फासला अब 7 का रह गया था। आदित्य लगातार अंक ले रहे थे। हरदीप को आउट कर वह हरियाणा को सुपर टैकल की स्थिति में ले आए लेकिन विनय ने उसे इस स्थिति से निकाल लिया। अगली रेड पर हालांकि सेतपाल ने आदित्य को लपक लिया।

इस बीच गुरदीप ने डू ओर डाई रेड पर विनय को लपक स्कोर 10-17 कर दिया लेकिन साहिल ने इसी तरह की रेड पर पंकज को डैश कर हिसाब बराबर किया। फिर शिवम ने डू ओर डाई रेड पर गौरव को आउट कर हाफटाइम तक स्कोर 19-10 कर दिया। हाफटाइम के बाद पल्टन के डिफेंस ने शिवम और विनय का शिकार कर लिया। हरियाणा के डिफेंस ने हालांकि सचिन को डैश कर शिवम को रिवाइव कराया और आते ही उन्होंने स्कोर 22-12 कर दिया।

पंकज ने हालांकि अगली रेड पर सेतपाल और शिवम का शिकार कर लिया। अगली रेड पर भी पंकज सफल रहे लेकिन विनय ने सुपर रेड के साथ पल्टन की वापसी पर ब्रेक लगा दिया। 30 मिनट के बाद हरियाणा को 25-16 की लीड मिली हुई थी। ब्रेक के बिनय ने अबिनेश का शिकार कर फासला फिर 10 का कर दिया। पंकज ने हालांकि दो रेड में तीन अंक लेकर फासला 7 कर दिया। अगली रेड पर पंकज फिर दो अंक लेकर लौटे और हरियाणा को दो खिलाड़ियों तक सीमित कर दिया।

पंकज ने अगली रेड पर हरियाणा को आलआउट कर स्कोर 25-27 कर दिया। आलइन के बाद बोनस के साथ फासला 1 का कर दिया लेकिन विनय ने मल्टीप्वाइंटर के साथ फासला 3 का कर दिया लेकिन पंकज फिर बोनस लेकर लौटे। इसके बाद स्टुअर्ट ने फासला 1 का कर दिया। फिर शिवम ने बोनस लिया और फिर जयदीप ने स्टुअर्ट का शिकार कर फासला 3 का कर दिया। इसके बाद शिवम ने दो अंक की रेड के साथ हरियाणा की जीत पक्की कर दी।

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर

क्रमांकः न.नि.भ./नियमन/2025–26/11846 दिनांक : 18-09-2025

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का नियमन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्डों का नियमन आवेदकों के पक्ष में करने पर किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के सात दिवस में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर देवें अन्यथा आवेदकों के पक्ष में नियमन की कार्यवाही कर दी जावेगी।

क्र.सं.	ऑनलाइन नं.	नाम	पिता/पति का नाम	भू.सं	योजना
1.	207187	विकास राना	हापूरी राम	37	रोज विला
2.	207214	अमर कौर	नानक सिंह	39	कुम्हेर गेट वर्कशॉप
3.	208440	गुड्डी देवी	प्रेमचंद	202	जसवंत नगर फेज–3
4.	211408	लोकेश शर्मा	शिम्भू दयाल शर्मा	155	दीनदयाल नगर
5.	214865	सुनील कुमार	अतर सिंह	65	सुभाष नगर फेज–6
6.	220420	बलदेव सिंह	महेन्द्र सिंह	524	संजय नगर फेज–4
7.	222584	सुशमीता	दीपक सरकार	110	पदम बिहार कॉलोनी
8.	222864	विजय लक्ष्मी	शम्भू दयाल शर्मा	920	आनंद नगर फेज–3
9.	223926	रीना	जगमोहन शर्मा		गोविन्द नगर
10.	224083	शिव चरन	गिर्राज प्रसाद	01	गृह निर्माण सहकारी समिति नई मण्डी
11.	226461	तेजा	बसंता	241	जसवंत नगर फेज–2
12.	227185	कमलेश चंद जैन	पदम चंद जैन	550	बृजनगर–5
13.	227199	मोहन चंद सिघंल	नैमी चंद सिंघल	1–E	जयंती नगर
14.	230104	राजकुमारी	जगदीश कुमार	10	गुलाल कुण्ड
15.	231209	मनीष शर्मा	रामस्वरूप शर्मा	346	संजय नगर फेज–2
16.	231210	मनीष शर्मा	रामस्वरूप शर्मा	341	संजय नगर फेज–2
17.	231470	सुलोचना	दिलबाग सिंह	E–481	रनजीत नगर
18.	232716	कृष्णा कुमार	नेकराम शर्मा	26	गांधी नगर सेवर रोड
19.	232769	उलफत	बाबू खान	369	आनंद नगर फेज–3
20.	233789	मोहन सिंह	गजपत सिंह	58	बृजनगर–5
21.	234324	लख्मीराम	मुलीराम	282	जसवंत नगर फेज–3
22.	234477	विमला देवी	पदमचंद जैन	23	बृज बिहार
23.	234496	सुनीता	छालो		विजय नगर
24.	234727	चंद्रपाल	नन्नूराम	54	विजय नगर
25.	234750	किशनलाल	रामशरद	49	विजय नगर
26.	234865	शकुंतला देवी	सवाई सिंह	184	जगन्नाथपुरी
27.	235170	चेतराम शर्मा	उदय राम शर्मा	1147	गांधी नगर
28.	235203	शकुंतला देवी	रमेशचंद शर्मा	1171	गांधी नगर
29.	235614	चतुर्भुज	जहान सिंह	46	विजय नगर कॉलोनी
30.	235781	चंद्रवीर	दर्याव सिंह	70–A	बृजनगर
31.	235828	राजेश कुमार अग्रवाल	राधेश्याम अग्रवाल	134	बृजनगर नोर्थ जॉन
32.	235929	चंद्रभान	छुट्टन लाल	134	आनंद नगर फेज–3
33.	236150	खेमसिंह	हीरालाल	283	बसंत बिहार
34.	237264	अनिल कुमारी	राकेश कुमार	325	आनंद नगर फेज–1
35.	239033	संजय सिंह	विजय सिंह	39	रनजीत नगर
36.	241602	राजेन्द्र सिंह, तेजसिंह, अशोक	रामबाबू	101	बृजनगर–2
37.	226005	जगदीश	मंगलराम	834	आनंद नगर–1
38.	226632	सीमा सिंह	अनिल सिंह	8	गांधी नगर रेलवे कॉलोनी

आयुक्त
नगर निगम, भरतपुर

कैबिनेट ने स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी, मैडिकल कॉलेज फीस व पारितोषिक पेंशन पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए

मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में युवाओं, ऊर्जा व पर्यटन विभाग पर ध्यान दिया गया

जयपुर, 19 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आमजन से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा एवं संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेसवार्ता में इन निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में खेलों को प्रोत्साहित करने, एनआरआई मेडिकल छात्रों के लिए फीस सुधार, दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों की पेंशन प्रणाली में सुधार, सौर ऊर्जा को बढ़ावा और सेवा नियमों में बदलाव जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राज्य में खेल प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निखारने के लिए कैबिनेट ने "महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक-2025" के प्रारूप को मंजूरी दी। यह विश्वविद्यालय खेल विज्ञान, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स में उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देगा। यह संस्थान हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर के रूप में और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करेगा।

राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेस) द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा सीटों की फीस को तर्कसंगत बनाते हुए संशोधन किया गया है। अब एनआरआई कोटा की फीस मैनेजमेंट कोटा की फीस का 2.5 गुना होगी, जो औसतन 23.93 लाख प्रति वर्ष तय की गई है।

कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1996 में संशोधन करते हुए दिवंगत सरकारी कर्मचारी के माता-पिता को भी अब 50 प्रतिशत तक पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान किया है। साथ ही, अब मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग संतान को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त हो सकेगी।

बैठक में 5,200 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सशर्त कीमत पर भूमि आवंटन की स्वीकृति भी दी गई। राज्य सरकार ने राजस्थान पर्यटन सेवा नियम, 1976 और राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा नियम, 1960 में संशोधन को मंजूरी दी है।

ट्रंप के टैरिफ के "श्राप" ...

- स्थापित ज्वैलर्स, जिनके पास अमेरिका में सोना खरीदने का सामर्थ्य व संगठन है, वो ही यह सारी कसरत कर सकते हैं। पर, छोटे-छोटे देशों के उभरते ज्वैलर्स के लिए यह सब करना असंभव नहीं तो कठिन तो है ही। अतः वे "इनोवेटिव" व सामर्थ्य पूर्ण भारतीय ज्वैलर्स की तुलना में टिक नहीं पायेंगे।
- अतः भारतीय ज्वलैर्स ने न केवल अपने माल को भारी टैरिफ (50 प्रतिशत) की मार से बचा लिया, बल्कि एक तरह से अमेरिका के ज्वैलरी के मार्केट में छोटे-मोटे सप्लायर्स की पहुँच को खत्म कर दिया व अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अस्तित्व बचाने की रणनीति नहीं, बल्कि एक मजबूत बढ़त है। उसके मुनाफ़े सुरक्षित रहते हैं, निर्यात मात्रा स्थिर रहती है और अमेरिकी साझेदार आश्वस्त रहते हैं। इसके विपरीत, छोटे भारतीय निर्यातकों के पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त पैमाना या सीमा-पार नेटवर्क नहीं है, इसलिए ये कमज़ोर व असुरक्षित बने रहते हैं। नतीजा है, संगठित आभूषण दिग्गजों और पारंपरिक खिलाड़ियों के बीच खाई बढ़ रही है।

गोल्डियम का यह कदम एक व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है, दुनिया भर के निर्यातक उद्योग की दीवारों से टकराने के बजाय उनके इर्द-गिर्द घूमना सीख रहे हैं। चीन की कंपनियों ने अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध के दौरान अपनी असेंबली लाइनों का मार्ग वियतनाम और मलेशिया की तरफ मोड़ दिया है। मैक्सिकन ऑटो सप्लायर लंबे समय से लागत और टैरिफ के असर को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए उत्तरी अमेरिकी व्यापार ढांचे का लाभ उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि वियतनाम के गारमैंट एक्सपोर्टर भी फ्री ट्रेड एग्रीमैंट्स के तहत ड्यूटी फ्री प्रावधानों का लाभ उठाकर सफल हो रहे हैं। इन सभी उदाहरणों को जो बात जोड़ती है, वह है सोच में बदलाव। टैरिफ, जो कभी संरक्षणवाद के भौंथरे औजार माने जाते थे, अब सप्लाई चेन डिज़ाइन में इनोवेशन (नवाचार) लाने वाले बन रहे हैं। वैश्विक पहुँच और कुशल रणनीतियों वाली कंपनियाँ अक्सर जोखिम को कम करने के लिए कानूनी रास्ते खोज लेती हैं, जबकि छोटे खिलाड़ी गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। भारत के आभूषण उद्योग के लिए सबक स्पष्ट है। अमेरिका इसका सबसे बड़ा बाज़ार है और संरक्षणवादी कदम बार-बार उठते रहेंगे। व्यावसायिक मॉडलों को नए सिरे से ढालने की क्षमता, चाहे वह अमेरिका से प्राप्त सोने के माध्यम से हो, विदेशों में संयुक्त उद्यमों के माध्यम से हो, या डिज़ाइन और ब्रांडिंग की सीढ़ी पर आगे बढ़ने के माध्यम से हो, यह तय करेगी कि कौन फलता-फूलता है और कौन पीछे छूट जाएगा। 1986 में स्थापित गोल्डियम ने दिखाया है कि वह कैसे अनुकूलन कर सकता है और जीत सकता है। 50 प्रतिशत के दंडात्मक टैरिफ को एक प्रबंधनीय लागत (मैनेजेबल कॉस्ट) में बदलकर, इसने दुनिया के सबसे आकर्षक आभूषण बाज़ार में अपनी चमक बरकरार रखी है। इससे भी बढ़कर, इसने व्यापक रूप से भारतीय निर्यातकों के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान की है, व्यापार अनिश्चितता के नए युग में असली बात यह नहीं है कि आप क्या बेचते हैं, बल्कि यह है कि आप उसे बाज़ार तक पहुँचाने के लिए किस तरह का रास्ता अपनाते हैं।

चुनाव आयोग के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी द्वारा जेन ज़ैड को लोकतंत्र के रक्षक कहने की कोशिश को नेपाल, बांग्लादेश और कुछ साल पहले श्रीलंका जैसे देशों में हुए युवा आंदोलनों से जोड़ने की कोशिश बताया, जहाँ बड़े विरोध प्रदर्शनों के कारण सरकारों में बदलाव हुए थे।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी यह सब इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अब जनता उन्हें या उनकी पार्टी को वोट नहीं देती। प्रसाद ने कहा, "राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को व्यवस्थित तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता उन्हें वोट नहीं देती। इसलिए वे मोदी जी के 2014 के चुनाव को नकली बता रहे हैं। वे 2019 के चुनाव को फर्जी बता रहे हैं। वे 2024 के चुनाव को भी फर्जी बता रहे हैं। सभी चुनावों को वोटों की धांधली से जीता हुआ बता रहे हैं। राहुल गांधी, कृपया भारत के मतदाताओं की लोकतांत्रिक पसंद का अपमान करना बंद कीजिए।"

बिहार की राजधानी पटना में बोलते हुए, प्रसाद ने कहा कि गांधी ने 2023 के कर्नाटक चुनाव में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया था, जिसमें उनकी पार्टी कांग्रेस को जीत मिली थी। उन्होंने कहा कि उस समय पूरी सरकारी मशीनरी कांग्रेस के अधीन थी, फिर भी वे दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं। प्रसाद ने यह भी कहा कि उस समय ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त भी नहीं थे, फिर भी राहुल गांधी उन्हें कथित "वोट चोरी" के लिए निशाना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने जिस चुनाव की बात की है, वह 2023 का कर्नाटक चुनाव है। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती थी। उस समय, कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने खुद शिकायत दर्ज कराई थी, उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, पुलिस, प्रशासन सभी उसके अधीन थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो अब इतना हो-हल्ला क्यों? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार की तस्वीर दिखाई, वे तो इस साल आए हैं, तो 2023 के चुनाव से उनका क्या लेना-देना? झूठ बोलना, बिना प्रमाण आरोप लगाना और देश के सामने गलत तस्वीर पेश करना राहुल गांधी की आदत बन गई है।" प्रसाद ने गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को झूठा करार दिया।

उन्होंने कहा, "राहुल गांधी को क्या हो गया है? वे आखिर कितने झूठ बोलेंगे? वे कितनी बातें तोड़-मरोड़ कर पेश करेंगे? मैं इससे भी सख्त शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी, यह मेरी संस्कृति नहीं है, न ही मेरी पार्टी की। लेकिन आप देश के लोकतंत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, 2023 से कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, और सीआईडी उसके अधीन है, तो न वे होमवर्क करते हैं, न कुछ समझते हैं, वे झूठे आरोप लगा रहे हैं, तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और यह उनकी प्रकृति बन चुकी है। राहुल गांधी ने विपक्ष के नेता के पद की गरिमा को गिरा दिया है।" ज्ञातव्य है कि उन्होंने यह नहीं बताया कि कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग से वोटरों के नाम हटाये जाने का विवरण माँगा है।

भाजपा सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पार्टी और एनडीए नेताओं को राहुल गांधी पर आक्रामक हमला करने का निर्देश देने के बाद, उन पर यह तीव्र हमला शुरू हुआ है, क्योंकि "वोट चोरी" के खिलाफ राहुल गांधी का अभियान बिहार सहित देश के कई हिस्सों में लोगों के बीच पकड़ बना रहा है।

लोकसभाध्यक्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यदि वे एफ आई आर दर्ज करने की प्रक्रिया को रोकते हैं एक बार फिर से प्रभावित करते हैं या रोका गया, तो यह कोर्ट की अवमानना का मामला बन सकता है। यह जग जाहिर है कि राजीव दत्ता और ओम बिडला कोटा के दिनों से बेहद करीबी रहे हैं, और अब यह दोस्ती सबके सामने आ गई है, क्योंकि बिडला खुद दत्ता को एफ आई आर से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि वह हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जिसका मतलब है कि राज्य सरकार और दत्ता दोनों को कोई राहत नहीं मिली है। अब यह स्थिति साफ़ इशारा करती है कि राजीव दत्ता के पास अपने पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि यह एक संवेदनशील पद है। इसके साथ ही, जयपुर पुलिस एफ आई आर दर्ज करने से बचती आ रही है, जिससे यह भी संकेत मिलता है कि दत्ता ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक पर एफ आई आर दर्ज न करने के लिए दबाव डाला है। इस पूरे घटनाक्रम के मद्देनज़र, ओम बिडला का सॉलिसिटर जनरल से मिलने जाना खुद ही हालात साफ कर देता है।

'आईबी के आग्रह पर मैं आतंकियों ...

- मलिक ने कहा, 2000 में देश में वाजपेयी सरकार के समय में सीबीआई के तत्कालीन स्पेशल डायरैक्टर अजीत डोभाल जेल में मुझ से मिलने आए थे, उन्होंने मुझे आईबी डायरैक्टर श्यामल दत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बृजेश मिश्रा से मिलवाया। वे चाहते थे कि मैं उनके रमज़ान सीज़फायर को सपोर्ट करूं।
- मलिक ने कहा, नब्बे के दशक के बाद से लगातार 6 सरकारों (वी.पी. सिंह से लेकर मनमोहन सिंह तक) ने कश्मीर मसले के समाधान प्रक्रिया में मुझे शामिल किया था।
- यासीन मलिक ने यह हलफनामा एनआईए के आरोप पत्र के जवाब में दिया है। एनआईए ने आतंकवाद में भूमिका के लिए मलिक को मृत्युदंड देने की माँग की है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मुलाकात की और उन्हें इस मुलाकात की पूरी जानकारी दी।

उन्होंने अपने हलफनामे में लिखा, मैंने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को अपनी मुलाकातों की जानकारी दी और संभावनाओं से अवगत कराया, जिस पर प्रधानमंत्री ने मेरे प्रयास, समय, धैर्य और समर्पण के लिए मुझे धन्यवाद दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश, यह मुलाकात जिसे मैंने केवल आईबी के स्पेशल निदेशक के कहने पर किया था, उसे मेरे खिलाफ गलत रूप में पेश किया गया।

मलिक ने ये दावे दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक विस्तृत लिखित जवाब में किए हैं, जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में उन्हें फांसी की सजा देने की मांग पर प्रतिक्रिया के रूप में दायर किया गया है। यह जवाब कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में दायर किया गया है, हालांकि कोर्ट ने इसे सीलबंद रखने का कोई आदेश नहीं दिया है। मलिक ने अपने जवाब में यह भी बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान भी उनकी भागीदारी थी, और उस समय के स्पेशल डायरेक्टर अजीत डोभाल ने उनसे जेल में मुलाकात की थी। मलिक ने बताया "अजीत कुमार डोभाल जी ने मुझसे नई दिल्ली में मुलाकात की और मेरी रिहाई की सूचना दी। उन्होंने मेरी मुलाकात आईबी निदेशक श्यामल दत्ता और प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बृजेश मिश्रा से करवाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कश्मीर मुद्दे पर वार्ता को लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि मैं रमज़ान संघर्ष विराम का समर्थन करूं।" मलिक ने दावा किया कि उन्होंने शांति प्रक्रिया में समर्थन पाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वामपंथी नेताओं (जो उस समय विपक्ष में थे) से भी मुलाकात की थी। मलिक ने कहा, 2002 में मैंने पूरे जम्मू-कश्मीर में एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। इसका मकसद कश्मीर में अहिंसक लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देना और कश्मीरी नेतृत्व को संवाद प्रक्रिया में शामिल करना था। यह बेहद कठिन कार्य था, और मुझे हर गाँव, स्कूल और कॉलेज जाकर 1.5 मिलियन (15 लाख) हस्ताक्षर एकत्र करने में ढाई साल लगे।

सन् 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद 2006 में पीएम मनमोहन सिंह ने उन्हें औपचारिक वार्ता के लिए आमंत्रित किया और कहा कि वे कश्मीर मसला हल करना चाहते हैं। मुलाकात के बाद मलिक अमेरिका गए और वहां स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मुलाकात की। हालाँकि, इसके बाद तत्कालीन पीएम को आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसके बाद मलिक ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को पत्र लिखा। मलिक ने यह भी कहा कि उन्हें केवल देश में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर बोलने के लिए सरकारों द्वारा प्रोत्साहित किया गया।

उन्होंने कहा, मुझे केवल घरेलू मंच ही नहीं, बल्कि बार-बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कश्मीर के मुद्दे पर बोलने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया गया। मलिक ने कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और सामूहिक बलात्कार में शामिल होने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। "ऐसे निराधार दावे हैं कि कश्मीरी पंडितों का पलायन मेरे द्वारा किए गए नरसंहार और सामूहिक हिंसा के कारण हुआ। अगर यह साबित हो जाए, तो मैं बिना किसी मुकदमे के खुद को फांसी पर लटका लूंगा और इतिहास में अपने नाम को एक अभिशाप के रूप में दर्ज करवाऊंगा।" दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में निर्धारित है।

JAIPUR: CHITRAKOOT MARG, SATYA COLONY, TAGORE NAGAR, JAIPUR, AURIC MOTORS: 8690988784,8890988912, 8690988758 | E-101, ROAD NO. 8, VKIA AREA, JAIPUR, PREM MOTORS: 8058791634, 8058794187, 8058794102, 8058794177 | E-197(A), RIICO INDUSTRIAL AREA, MANSAROVAR, JAIPUR, KP AUTOMOTIVES: 9549651769, 9116190346 | B 1 GOVIND MARG, RAJAPARK OPP. PINK SQUARE MALL, KP AUTOMOTIVE: 9549851770, 9116190344 | A-209, RAJENDRA PRASAD NAGAR, 200FT BYPASS, AJMER ROAD, JAIPUR, SATNAM MOTOCORP: 7413900007, 7413900009, 7821823626, 8290654400, 7568249500, 9358868371 | 13 JHOTWARA INDUSTRIAL AREA, NEAR JHOTWARA POLICE STATION, JAIPUR, KTL: 7412068475, 9602001594, 9257051686 | SECTOR-35,PRATAP NAGER, TONK ROAD, JAIPUR, SANGA AUTONATION PVT LTD.: 9057809180 | PADMAWATI COLONY- II, OPPOSITE METRO PILLAR NO 25, MANSAROVER METRO STATION JAIPUR, VIPUL MOTORS PVT. LTD.: 9829333522, 9829351470, 9079191348.

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908